

C O N T E N T S

**Sixteenth Series, Vol. III, Second Session, 2014/1936 (Saka)
No.15, Friday, July 25, 2014/Shravana 3, 1936 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos.261 to 264	3-46
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.265 to 280	47-101
Unstarred Question Nos.2343 to 2572	102-728

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	729-731
ASSENT TO BILL	731
DEPARTMENTALLY RELATED STANDING COMMITTEE	
Summary of Work	731
PARLIAMENTARY COMMITTEES (OTHER THAN FINANCIAL AND DRSCs)	
Summary of Work	732
MESSAGES FROM RAJYA SABHA	732
STATEMENT BY MINISTER	
Status of implementation of the recommendations contained in the 16th Report of the Standing Committee on Defence on critical review of functioning of Sainik Schools, pertaining to the Ministry of Defence	
Shri Arun Jaitley	733
FINANCE (NO.2) BILL, 2014	
Shri Arun Jaitley	739
Motion to Consider	750
Clauses 2 to 112 and 1	750-767
Motion to Pass	767
PRIVATE MEMBERS' BILLS -Introduced	
(i) Basic and Primary Education (Compulsory Teaching in Mother Tongue) Bill, 2014 By Shri Om Prakash Yadav	795
(ii) Constitution (Amendment) Bill, 2014 (Amendment of the Eighth Schedule) By Shri Om Prakash Yadav	495

(iii) Sanskrit Language (Promotion) Bill, 2014	496
By Shri Om Prakash Yadav	

**NATIONAL MINIMUM PENSION (GUARANTEE)
BILL, 2014**

Shri Nishikant Dubey	797-808
Shri Adhir Ranjan Chaudhary	809-813
Shri Prahlad Singh Patel	814-820
Prof. Saugata Roy	821-825
Shri Bhartruhari Mahtab	826-831
Shrimati Kavitha Kalvakuntla	832-834
Shri Mullappally Ramchandran	835-838
Shri Hukmdeo Narayan Yadav	839-845
Shri Varaprasad Rao Velagapalli	846-848
Shri Arjun Ram Meghwal	849

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	850
Member-wise Index to Unstarred Questions	851-854

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	855
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	856

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. M. Thambidurai

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Prof. K.V. Thomas

Shri Anandrao Adsul

Shri Prahlad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayan Rao

Shri Hukum Singh

GENERAL SECRETARY

Shri P. Sreedharan

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, July 25, 2014/Shravana 3, 1936 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, भारतीय भाषा का सवाल है।...(व्यवधान)

11.0 ½ hrs.

At this stage Shri Rajesh Ranjan, Shri Dharmendra Yadav and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन ऑवर।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी सस्पेंशन का कुछ नहीं है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन 261 - प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ - उपस्थित नहीं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी कुछ नहीं होगा, आपको बाद में मौका देंगे। Please go to your seats.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मिनिस्टर का स्टेटमेंट आ चुका है। Please go to your seats.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन 261 - श्रीमती संतोष अहलावत।

...(व्यवधान)

श्रीमती संतोष अहलावत (झुंझुनू): पप्पू भाई, यह मेरा पहला प्रश्न है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER : Q. No. 261, Shrimati Santosh Ahlawat

(Q. No.261)

श्रीमती संतोष अहलावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय सेना अपने पराक्रम और शौर्य के लिए मशहूर है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि झुंझुनू जिले के लोग भारतीय सेना में काफी बड़ी संख्या में हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि सेना के करीब-करीब सारे मेडल, जैसे परमवीर चक्र भी माननीय पीरू सिंह शेखावत को प्राप्त हुआ है।...(व्यवधान) झुंझुनू जिले के सैनिक देशभक्ति का यह कार्य बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मेरी रिक्वेस्ट है, जितना आप हिन्दी भाषा को चाहते हैं, उतना ही सभी चाहते हैं। एक बार मिनिस्टर का स्टेटमेंट आ चुका है तो कृपया आप अपनी सीट पर जायें। अभी ऐसा नहीं होता है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन ऑवर का सस्पेंशन नहीं होता है। इसे बाद में इसे देखेंगे। अभी आप सीट पर जाइये।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन ऑवर में ऐसा नहीं होता है।

...(व्यवधान)

श्रीमती संतोष अहलावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय सेना अपने पराक्रम और शौर्य के लिए मशहूर है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये।

...(व्यवधान)

श्रीमती संतोष अहलावत : महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि भारतीय सेना में झुंझुनू जिले के सर्वाधिक संख्या में सैनिक हैं। ...(व्यवधान) यहां के लोग सेना द्वारा प्रदत्त लगभग सभी मेडल प्राप्त कर चुके हैं, जैसे परमवीर चक्र भी और ये सारे देशभक्ति के कार्य झुंझुनू जिले के लोग सिर्फ देशभक्ति की भावना के आधार पर करते हैं। ...(व्यवधान) मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर किसी संस्था के द्वारा कोई मूर्त रूप दिया जाए तो ये उच्चतर भावनार्यें प्राप्त की जा सकती हैं। ...(व्यवधान) मैं आपके

माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि पूर्ववर्ती सरकार ने झुंझुनू जिले के लिए एक सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की थी। अभी तक इस दिशा में क्या प्रगति हुयी है तथा कब तक झुंझुनू जिले में सैनिक स्कूल खुल पाएगा? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, महिलाओं का सेना में बढ़ते योगदान को देखते हुए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं, कृपया महिलाओं के लिए भी अलग से सैनिक स्कूल खोला जाए।...(व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : माननीय अध्यक्ष जी, झुंझुनू जिले में सैनिक स्कूल खोलने के लिए राजस्थान सरकार की दिसंबर, 2012 में एक सिफारिश आयी थी, उसके बाद वहां पर इंस्पेक्शन किया गया था। ...(व्यवधान) जो भी उसकी आवश्यकतायें होती हैं, उसके अनुरूप ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आप जो बोल रहे हैं, उसके बारे में मिनिस्टर ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुके हैं।
...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : क्या स्टेटमेंट दे चुके हैं? ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब बार-बार एक ही प्रश्न सदन में नहीं उठेगा।
...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, आप अपनी सीट पर जाइए।
...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है। प्लीज, आप अपनी सीट पर जाइए।
...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने पहले ही बोला है कि यह सभी लोगों की हिंदी भाषा के लिए है, मगर बार-बार ऐसा नहीं होता है। I am not allowing you.
...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन ऑवर सस्पेंड नहीं होगा।
...(व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : अध्यक्ष जी, दिसम्बर-2012 में उसकी इंस्पेक्शन हुई थी।...(व्यवधान) अक्टूबर-2013 में झुंझुनू जिले में स्कूल बने, ...(व्यवधान) इसको स्वीकृति दे दी गई है। ...(व्यवधान) इसके लिए जो मेमोरेण्डम ऑफ एग्रीमेंट होता है,...(व्यवधान) उसके ऊपर भी हस्ताक्षर हो चुके हैं।...(व्यवधान) जो वास्तविक प्रक्रिया होती है, वहां पर जमीन लेना, ...(व्यवधान) वहां पर कंस्ट्रक्शन आरंभ करना।...(व्यवधान) वह प्रक्रिया अब आरंभ हो चुकी है। ...(व्यवधान)



श्रीमती संतोष अहलावत : माननीय अध्यक्ष महोदया, ...(व्यवधान) महिलाओं के बढ़ते योगदान को ध्यान में रखते हुए, ...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से महिला सैनिक स्कूल खोलने की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूँ। ...(व्यवधान) क्या सरकार की भविष्य में इस प्रकार की कोई योजना है?

श्री अरुण जेटली : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्या का जो सुझाव है, ...(व्यवधान) हम लोग उसके ऊपर विचार करेंगे।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : अध्यक्ष जी, ...(व्यवधान) मंत्री जी ने जो जवाब दिया है...(व्यवधान) उसमें हमारे संसदीय क्षेत्र उत्तराखंड में एक सैनिक स्कूल विचाराधीन है। ...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ...(व्यवधान) उत्तराखंड सैन्य बाहुल्य क्षेत्र है।...(व्यवधान) उत्तराखंड के अंदर गढ़वाल रेजिमेंट सेन्टर खुला हुआ है।...(व्यवधान) वहां के सैनिकों ने पहले युद्ध में, ...(व्यवधान) विश्व युद्ध में ...(व्यवधान) और अन्य युद्धों में बहुत सारे पदक जीते हैं।...(व्यवधान) भारत वर्ष का पहला विश्व विक्टोरिया क्रॉस पदक, गढ़वाल में जिता गया है।...(व्यवधान) पहला परमवीर चक्र भी गढ़वाल में जीता गया है।...(व्यवधान) मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि इसको फास्ट ट्रेक करके जल्दी से जल्दी इस जगह पर स्वीकृति देंगे। ...(व्यवधान) यह मेरा आप से आग्रह है।...(व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : अभी तक उत्तराखंड वाला विषय विचाराधीन है। ...(व्यवधान) उसको सैद्धांतिक रूप से ...(व्यवधान) जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल होता है...(व्यवधान) वह मिलने के लिए जो सैनिक स्कूल का बेसिक आधार है, ...(व्यवधान) ढाई सौ एकड़ जमीन राज्य सरकार दे। ...(व्यवधान) इसके अतिरिक्त वहां पर कंस्ट्रक्शन की जो पूरी व्यवस्था है...(व्यवधान) वह करनी है।...(व्यवधान) इसके जो साधन हैं...(व्यवधान) वे कुछ राज्य सरकार से भी आते हैं और कुछ साधन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देती है। ...(व्यवधान) इसलिए अभी जो प्रक्रिया चल रही है...(व्यवधान) उसके बाद इंस्पेक्शन होगा...(व्यवधान) उसके बाद स्वीकृति दी जाती है।...(व्यवधान) क्योंकि, उत्तराखंड वाली प्रक्रिया अभी जारी है। ...(व्यवधान) निश्चित रूप से, हम लोग इसके ऊपर विचार करेंगे।...(व्यवधान)

12.08 hrs.

At this stage, Shri Shailesh Kumar, the hon. Member came and stood on the floor near the Table.

...(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : As per the reply submitted by the hon. Minister, the Rashtriya Military Schools as well as Sainik Schools are intended to remove regional imbalance in the officer cadre of the defence services. From the reply, it is observed that the Ministry of Defence does have 24 Sainik Schools and three Rashtriya Military Schools.

However, as far as my knowledge goes, the Ministry of Defence does have five Rashtriya Military Schools. Though U.P. is the most populous State in the country, it does not have any Sainik School.

SHRI ARUN JAITLEY: The hon. Member has said that there are three Rashtriya Military Schools. If you see Annexure I, these Schools are spread in three States, but there are actually five schools. There are some States, which are eight in all, which do not have a Sainik School. As and when proposals are received, they are considered and in-principle approval is granted.

As far as U.P. is concerned, if you see Annexure II, there are three Sainik Schools, in Mainpuri, Amethi and Jhansi. In the year 2014, in-principle approval has been granted for three Sainik Schools in U.P.

HON. SPEAKER: Hon. Members, please go back to your seats.

Q.No.262 – Shri Shivkumar Udasi.

... (*Interruptions*)

(Q.262)

SHRI SHIVKUMAR UDASI : Madam, I would like to highlight the discrimination in the high lending rates to the various borrowers of this country where they have been charged to the tune of 24 to 38 or 48 per cent.... *(Interruptions)* This is a discrimination in respect of the borrowers who are poor in this country.... *(Interruptions)* So I would like to know from the hon. Minister, through you, Madam, whether our Government is having a new policy because the NABARD is refinancing the banks at the rate of 7.5 to 8 per cent and the banks, in turn, are lending to the MFIs at the rate of 11 to 13.5 per cent.... *(Interruptions)* The Micro Finance Institutions are charging the borrowers at the rate of 24 to 38 per cent or 48 per cent. So, I would like to know from the hon. Minister whether our Government is going to have any policy regarding this. ... *(Interruptions)*

11.11 hrs.

At this stage, Shri Rajesh Ranjan, Shri Dharmendra Yadav and some other hon. Members went back to their seats.

SHRI SHIVKUMAR UDASI : We are talking about financial inclusion. In answer to questions (a) and (b), it has been stated that there are around 2.80 crore borrowers in this country taking loans to the tune of Rs.22,338 crore. This is a very miniscule amount. ... *(Interruptions)* How can we achieve financial inclusion by not giving them money at a lower rate of interest? Therefore, I want an answer from the hon. Minister.

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़ मुलायम सिंह जी, मैंने कहा है कि मैं शून्य काल में ऐलाऊ करूंगी, अभी नहीं।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया, हमारी भारतीय भाषाओं के बारे में मांग है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : मुझे मालूम है।

...*(व्यवधान)*

HON. SPEAKER: There is no suspension of Question Hour. Please go back to your seats. No, I am sorry. Shri Mulayam Singh Yadav, please take your seat.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : क्वश्चन आवर में यह परिपाटी मत डालिए, I am requesting you. मैं आपको बाद में बोलने का मौका जरूर दूंगी।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I am requesting you to cooperate.

श्री मुलायम सिंह यादव : आप सारी दुनिया में देखेंगी कि अपनी देसी भाषाओं में ही काम हो रहा है।...(व्यवधान) उसी से सब तरक्की कर रहे हैं।...(व्यवधान) हम चाहते हैं कि भारतीय भाषाओं का उत्थान किया जाए और स्टेट की जो भाषा है, उस राजभाषा में काम किया जाए।...(व्यवधान) यह हमारी मांग है। इससे सदन में कोई भी असहमत नहीं हो सकता।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक बार इसका जवाब आ चुका है, मंत्री जी ने दिया है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्वश्चन आवर के बीच में यह नहीं चलेगा। शून्य काल में बोलिए।

...(व्यवधान)

Hon. Speaker: No, I am sorry. Yes, hon. Minister, please continue.

... (Interruptions)

11.13 hrs.

At this stage, Shri Rajesh Ranjan came and stood on the floor near the Table.

HON. SPEAKER: Shri Rajesh Ranjan, please go back to your seat. Now, you will have to go back to your seat.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: No, this is not the way. Please go back to your seat. I am sorry.


Hon. Minister, please continue.

11.13 ½ hrs.

At this stage, Shri Rajesh Ranjan went back to his seat.

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, the present Government has a very important scheme with regard to financial inclusion. I had mentioned it in the Budget Speech also. At present, the banking system in India covers about 58.7 per cent of our population and our financial inclusion scheme includes various innovative methods of encouraging banking as also the establishment of a larger network as far as banks are concerned. Once that is done, within the requisite and prescribed reasonable rate of interest, finances will be available to a larger section of the population.

With regard to the Micro Finance Institutions, there are different kinds of Micro Finance Institutions. The NBFCs, which have a 34 per cent share, are registered with the Reserve Bank of India and, therefore, there are guidelines of the Reserve Bank of India with regard to their rate of interest. There are Self Help Groups which run their own Micro Finance Institutions which are not so regulated. In 2012, a legislation had been brought forward. The Standing Committee's Report had come in. They wanted further consultation with the State Governments because a large number of State Governments also regulate this. Now, that consultation process is going on. Meanwhile, the Lok Sabha was dissolved and the Bill has lapsed. So, after further consultation, the Government may consider bringing in a fresh legislation because the earlier legislation has lapsed.

SHRI SHIVKUMAR UDASI : I wanted to know whether the Government is interested in bringing down the lending rates. Borrowers who are at the bottom of the pyramid are very poor in this country. We are talking of financial inclusion but there is a very discriminatory interest rate which is being charged to them. This is where the lending rate is very high. In such a scenario, how can we achieve the financial inclusion in this  matter? I wanted to know specifically from our Government as to what we are going to do because in his answer, it is stated that there are 2.8 crore borrowers and the loan portfolio is around Rs.22,238 crore. We have 12 crore farmers in this country. In the Budget speech, the Minister has given Rs.8 lakh crore to them as loan amount, which is miniscule. How can we achieve

financial inclusion? If MFIs do not give loans to borrowers at less interest rate, we can't achieve financial inclusion.


I want to know from the Government as to how we are going to achieve it because it is discriminatory. Every man in this country is equal; as per our Constitution, everyone is equal but the lending rate which is being charged to the poor people is very high. I would like to know from the hon. Minister as to what the Government is going to do in this regard.

SHRI ARUN JAITLEY: There are three different categories. As far as Scheduled Banks are concerned, they are bound by the lending rates which are within the limits on the basis of what is decided by the RBI, and the banks decide their own rates. As far as micro finance institutions are concerned, as I mentioned earlier, there is one category where the RBI circular itself prescribes the limit but with regard to the micro finance institutions which are run by a very large number of Self Help Groups, volumes are very large but the borrowers need money for some small trades, for businesses, etc. This is a service at their doorsteps which they provide for which they needed. This so far is an unregulated activity but this unregulated activity is going on in a manner where almost the recoveries are 100 per cent because it shows that the market has leveled itself. But yes, the hon. Member may be right that in some cases, interest rates may be high because the period for which the loan is taken is a short. The period may be a few days itself. Therefore, the market itself regulates it. At the moment, there is no regulation as far as the Government is concerned, but certainly in regard to what the hon. Member has stated, after consultation with the States is over, this is one area - while we reframe the legislation which was earlier brought by the Government - that we will certainly bear in mind.

DR. M. THAMBIDURAI : Hon. Minister's reply clearly says as to how the micro finance institutions are growing very fast. For example, he said that in 2001, the lending in the micro finance sector was only Rs. 51 crore; in 2013, it was Rs.22,330 crore. Micro finance institutions are charging very high rate of interest.

Borrowers also pay high rate of interest when they borrow from moneylenders. Many people are committing suicide because of the torture by the micro finance institutions and moneylenders. At the same time, he stated about starting of branches of nationalized banks. It is not up to the mark as per his reply and the statistics provided by him.

Coming to opening of accounts in the nationalized banks, people face cumbersome procedures. I also faced problem during election time when I wanted to open an account to show my election fund. But the State Bank of India refused to open an account and sought many documents. In spite of submitting documents, I faced problem in opening the account. Many people face such problem. How can a common man open account in the rural areas using the banking system? Recently, the RBI has issued an instruction for cardholders, due to which cardholders are not eligible now for opening the bank account.

Previously, the Ration Card was accepted as proof of identity to open a bank account. Now, it is not accepted. So, I would like to ask the hon. Finance Minister whether he would issue instructions to the Reserve Bank of India to simplify the procedures to open bank account so that the common people also can easily open bank accounts. I would also like to know whether the Ration Card can be used as proof to open a bank account. 

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, I have already mentioned that one of our main objectives is to increase financial inclusion. Today, while there are 1,15,000 regular branches of banks and banking activity has reached about 58.7 per cent of the population, the object is, it must reach all. So, the number of bank branches has to increase. New technologies and innovations have come up now. For instance, banking on the mobile phone itself is now becoming a permissible activity elsewhere in the world and since a very large section of the population has access to mobile phones you can actually expand banking through mobile phones. Then, business representatives going from one village to another to even collect deposits is another way by which you can expand it. But one of our main

programmes, which I have indicated, was that, while retaining the public sector character of our banks, we want to offload some part of their equity into the market to small retail investors and use that resource to become a capital for expanding the number of bank branches so that this figure of 58.7 per cent of banking reach is further extended. In that event, it will reach a much larger section of the population.

But the question which Dr. Thambidurai has brought to the notice is a very valid question. I will certainly bear this in mind so that there is an ease as far as customer is concerned because eventually the object is to reach an ideal situation where in every household at least 2 members have an account in a bank. That is the ideal form of financial inclusion which can be reached.

PROF. SAUGATA ROY : Madam, the Minister's reply states the gaps. As the banking activity and bank branches have increased to 1,15,000, micro finance institutions expanded themselves. But the Minister has not replied to one specific question of Mr. Udasi. When he mentioned that recovery of micro finance institutions is nearly 100 per cent, he failed to mention that these micro finance institutions are using strong arm, coercive methods to recover loans. This is what happened in Bangladesh with regard to Bangladesh Grameen Bank which was praised much at one time, but is now under great criticism for using these methods. Now we want to free the poor people from money lenders. But they are landing in the hands of micro finance institutions because our banking activity has reached only 58 per cent of the population.

So, I would like to ask two things from the Minister. I would like to know whether he is taking any strong legal measures for stopping coercive, strong arm methods to recover loans by increasing the inclusion process of nationalized and cooperative banks because it is not possible without a support system. The Government has registered only 46 micro finance institutions, but there must be thousands of micro finance institutions in the country which are not registered.

As Dr. Thambidurai said, I also faced a problem. When I went to take a loan from a bank, they said, 'you are over 65 years of age and so you cannot get a loan. Mr. Jaitley has not yet reached the age of 65 years. So, just because we are over 65 years, we cannot go to a bank and get a loan. That means, we have to go to a micro finance institution or a money lender to get a loan. Would the Minister consider this in the interest of senior citizens like us?

SHRI ARUN JAITLEY: The question has several overlapping parts. One relates to the scheduled banks where people go and ask for loans and then the loans are to be returned. On the one hand, we have the problem of large NPAs. On the other hand, we must have civility in the matter of recovery of loans also. Earlier, you are right, complains were received where vehicles were stopped in the middle of the road and then taken possession of, which is something which is not permissible. Even courts have taken notice of that.

As far as Micro Finance Institutions are concerned, 46 are the NBFCs doing micro finance business which are registered with the RBI. But there are a very large number of Micro Finance Institutions which are self-help groups. These self-help groups are groups of people, mostly ladies who collect some amount. Each one contributes an amount and then, out of that amount, lending is done to each one of them. They function on a basis that you take a loan of Rs. 200 in the morning and by the evening you do some business, earn some money out of that and you return Rs. 202 to them. This is an illustrative example of the manner in which they are doing it. If this activity in a country which has a very large population expands itself, I think there is nothing wrong in encouraging it. It is because, these are self-help groups where people go in for self-employment and find various trades on their own initiative.

But, then, you are right, as far as these unfair practices are concerned of some of the institutions, on the 18th of February, 2013, the Reserve Bank has issued a detailed code to all these institutions with regard to the field staff being trained, with the interest rates being displayed and being transparent, nodal

officers being appointed in each institution with regard to grievance redressal, disbursement and recovery to take place of loans at a central place. These are several guidelines in that code which the Reserve Bank has issued. If there is any violation of these guidelines, the Reserve Bank can take action against any of these institutions.

HON. SPEAKER: Shri Bhartruhari Mahtab.

... (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY : What about the loans to the people over 65 years of age?

SHRI ARUN JAITLEY: Well I will find out, if you let me know.

PROF. SAUGATA ROY : The State Bank of India in the Parliament House refused me a loan to buy a car. They said, 'You are over 65; RBI guidelines do not allow.'

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Madam Speaker, my question follows from the immediate answer which the hon. Finance Minister gave and that also relates to part (d) of the Question relating to the regulatory framework put in place by the Government. While deliberating in the Committee on Finance, a discussion went around that should we have a regulatory framework for MFIs or not. The idea was that let us allow the MFIs to flourish further; then we will have a regulatory framework. But, recently, last month, the RBI accorded self regulatory organisation status to Micro Finance Institutions Network (MFIN). This is a self regulatory organisation which will deal with Non-Banking Financial Companies-Micro Finance Institutions (NBFC-MFIs).

My question to the hon. Finance Minister is this. This is the first RBI recognized SRO in the industry. Is it not true that the High Court of Kerala on 18th November, 2009 had said, MFIs are money-lenders – this is the bitter truth Madam – who are primarily involved in lending and recovering money? So, why not allow MFIs to operate under the control of money lending regulation? Is it true that the SRO concept in the past failed to prevent the 2006 and 2010 micro finance crisis in Andhra Pradesh?

SHRI ARUN JAITLEY: Well, the Andhra Pradesh crisis was local to Andhra Pradesh which emanated out of one concern itself. In other parts of the country, it has been functioning and so far functioning reasonably well.

Now, the hon. Member's question itself, when he referred to his experience in the Standing Committee, there are two views on that. One is that in a largely populated country like India, these Micro Finance Institutions are growing and expanding very fast. Should we allow them to grow and do the work that they are doing, particularly when there are no large-scale complaints? When I say there are no large-scale complaints, 58 per cent of the micro finance in India today is lent by self-help groups to its own members. So, it is like a cooperative exercise. There is a group of 200 or 400 ladies. They collect the funds and they lend it to their own members. Now, should we start regulating it and making their work a little difficult or should we allow it to remain unregulated?

Then comes the kind of incident relating to the SKS Company in Andhra Pradesh which gives the feeling that yes, we need a regulation. In view of the recommendations of the Standing Committee, they said that before you decide what to do, please consult all the States. The consultation with the States is a process, which is going on. But meanwhile the RBI keeps coming out with its guidelines so that the interest factor can be regulated and if some people want registration, their registration can be done, particularly, with regard to NBFCs, etc. We are still passing through the grey phase where we are yet to take a decision in which the whole legislative exercise is involved as to how much to regulate this. I think, in days to come, our experience will teach us as to which of the two options will be a preferred option.

SHRI JAYANT SINHA : Madam Speaker, the hon. Minister and the hon. Members have correctly pointed out that Micro Finance Institutions are essential for meeting our national goals of financial inclusion. The hon. Minister has also correctly pointed that with new technologies, it will be possible to get mobile banking and Micro Finance Institutions at your doorstep. I think, all of us in this

august House, would like a situation where we can provide this convenience at the lowest possible cost to all of our citizens. My question is, knowing the industry well that while these new innovative technologies can certainly reduce cost, a very important element of the cost associated with lending to microfinance customers is the rate at which they themselves borrow. That is called wholesale financing that they get.

Is the Government considering ways in which these Micro Finance Institutions themselves can borrow at lower wholesale rates so that they can lend to their customers at lower rates accordingly?

SHRI ARUN JAITLEY: I will certainly take the question of the hon. Member as a suggestion, which we will reflect on.

(Q.263)

श्री रामसिंह राठवा : अध्यक्ष महोदया, संचारी रोग अधिकतर व्यक्तिगत मौसम यानि बरसात के समय होते हैं। जैसे मलेरिया, डेंगू, हेपेटाइटिस 'बी' और 'सी', लैप्टोस्पाइरोसिस आदि रोग इसी समय होते हैं। सरकार इन रोगों से बचाव के प्रति ध्यान भी रखती है, फिर भी प्रति वर्ष इन संचारी रोगों से कई लोगों की जान जाती है। इसका मुख्य कारण मच्छरों की पैदावार है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या वर्षा से पूर्व ऐसा प्रयास नहीं किया जा सकता, जिससे मच्छरों की पैदावार रुक सके और मलेरिया-डेंगू जैसी गम्भीर बीमारियों की रोकथाम हो सके?

डॉ. हर्ष वर्धन : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूँ कि मच्छरों से जुड़े हुए जो रोग हैं, उन्हें हम वेक्टरबॉर्न डिजीसीज़ कहते हैं। इसके लिए विस्तृत नेशनल डिजीसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है। इसके तहत बहुत सारी एक्टिविटीज साल भर की जाती हैं। बरसात से पहले भी एक डिटेल्ड एक्शन प्लान बनाया जाता है। इस वर्ष भी, स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद मैंने आते ही सब प्रांतों के स्वास्थ्य मंत्रियों और एसीआर के भी भी स्वास्थ्य मंत्रियों तथा स्वास्थ्य अधिकारियों को दिल्ली में बुलाकर विस्तार से इस संदर्भ में रोकथाम की दृष्टि से समय से पहले जो भी एक्शन लेना है, वह लिया है। मच्छरों को मारने के लिए स्प्रे और फॉगिंग आदि जो भी करना होता है, वह किया जाता है। लेकिन यह इस प्रकार की बीमारियां हैं, जिनका अभी सम्पूर्ण इरेडिकेशन नहीं हुआ है। इसलिए सब प्रकार के प्रयासों के बावजूद भी कंट्रोल प्रोग्राम में यही कोशिश होती है कि इन बीमारियों से कम से कम लोगों को प्रभावित होने दें और इनसे समाज के अधिकांश लोगों को बचाने का प्रयास करें। हमारा जो नेशनल डिजीजीज कंट्रोल प्रोग्राम है वेक्टर-बोर्न डिजीजीज का, इसके तहत हमारा एनसीडीसी है उसकी देश भर में शाखाएं हैं, बहुत सारी लेबोरेट्रीज हैं। जिन स्टेट्स में बड़ी दफ्तर नहीं हैं वहां हम नये दफ्तर खोल रहे हैं और प्रमुख बीमारियों के सरवेलेंस के लिए अभी हमने सीडीसी एटलांटा के साथ भी एग्रीमेंट करके इस बात को सुनिश्चित किया है कि कहीं भी कोई भी नयी बीमारी, उसका नया कोई वेक्टर या उससे जुड़ा हुआ ऑर्गेनिज्म अगर पैदा होता है तो उसे समय पर डिटेक्ट किया जाए। उसे डिटेक्ट करने के लिए वहीं पर फील्ड में, उसके संदर्भ में डिटेल्ड स्ट्रेटेजी बनाकर उसे वहीं पर रोका जाए। इसलिए इस प्रोग्राम के तहत हमारा पूरा प्रयास है कि हम देश के अंदर इन बीमारियों से लोगों को बचाने का पूरा प्रयास करें।

श्री रामसिंह राठवा : महोदया, मेरा दूसरा प्रश्न है कि स्कल-सेल का जो रोग है, ज्यादातर ट्राइबल्स में ज्यादा होता है और लैप्टोस्पाइरोसिस का रोग भी किसानों में ज्यादा होता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन क्या हर राज्य में है और अगर है तो कितने राज्यों में है और कितने

राज्यों में नहीं है। अगर नहीं है तो ऐसे कौन से राज्य हैं जहां यह मिशन नहीं है। मैं गुजरात से आता हूँ तो क्या गुजरात सरकार ने ऐसे मिशन स्थापित करने के लिए कोई आवेदन दिया है और अगर दिया है तो सरकार उस बारे में क्या सोच रही है और कितने समय में उन्हें स्वीकार किया जाएगा।

डॉ. हर्ष वर्धन : स्पीकर महोदया, माननीय सदस्य ने पूछा कि नेशनल हैल्थ मिशन कौन-कौन से राज्यों में है। जैसा कि उसका नाम ही नेशनल हैल्थ मिशन है तो वह सारे देश के लिए है, सारे प्रांतों में उसकी शाखाएं हैं। उसके माध्यम से केन्द्र सरकार सहायता करती है। उसका जो रूल कम्पोंन्ट है वह पहले प्रारम्भ हुआ और लगभग उसे 10 साल पूरे होने वाले हैं। अभी हम उसे डिटेल् में रिव्यू कर रहे हैं, मॉनिटरिंग भी प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं तथा उसमें और नये प्रोफेशनल इनपुट्स डालते की कोशिश कर रहे हैं। उसका जो अर्बन कम्पोंन्ट है वह अभी इंफेंसी स्टेज में है, उसे हम बहुत तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। स्कस-सेल डिसीज की अभी उन्होंने बात की है, नॉन-कम्युनिकेबल डिसीज है और जहां तक गुजरात का प्रश्न उन्होंने खड़ा किया, लैप्टोस्पाइरोसिस के संदर्भ में, लैप्टोस्पाइरोसिस जो है पिछले एक-दो सालों में उसके एपीसोड्स गुजरात में भी विशेष रूप से हुए हैं। हमारा जो एनसीडीसी है, उसके माध्यम से और दूसरी जो हमारी लैबोरेट्रीज हैं उनके माध्यम से हम इन बीमारियों को समय पर जांच करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सब प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं। गुजरात में भी हमने 400 करोड़ रुपये की योजना बनाई है जिसमें देश के 27 प्रांतों में हम नयी एनसीडीसी की लैबोरेट्रीज और पूरे-पूरे विभाग स्थापित कर रहे हैं। यह विषय एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी के पास है। गुजरात में भी हम उस व्यवस्था को और ज्यादा बड़े पैमाने पर बाकी प्रांतों की तरह सुदृढ़ करेंगे।

श्री नारणभाई काछड़िया : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से खाद्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि वर्ष 2011-2014 तक होने वाले मामले और उसके कारण मृतकों की संख्या, तो तमिलनाडु में वर्ष 2011 में 1345 में मृतकों की संख्या जीरो परसेंट, वर्ष 2011 में तमिलनाडु में 3587 मामले सामने आये उसमें मृतकों की संख्या जीरो परसेंट और 2013 में 2887 मामले सामने आये और मृतकों की संख्या जीरो परसेंट, उसी तरह से वर्ष 2014 में 512 मामलों में मृतकों की संख्या जीरो परसेंट है। इसके सामने गुजरात में जो वर्ष 2011 में 918 मामले सामने आये, जिसमें मृतकों की संख्या 108 थी। वर्ष 2012 में जो 157 मामले सामने आए उनमें से मृतकों की संख्या 26 थी। वर्ष 2013 में 308 मामलों में मृतकों की संख्या 38 है। जिस जगह पर एनसीडीसी की स्थापना की गई है, वहां मृतकों की संख्या जीरो परसेंट है। जहां एनसीडीसी की स्थापना नहीं है वहां 20 परसेंट के करीब मृतकों की संख्या है।



माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए।

श्री नारणभाई काछड़िया : पिछले साल मेरे क्षेत्र अमरेली में कांगो नामक बुखार फैला। उसकी जांच करने के लिए सैम्पल पूना भेजा जाता है, जिसकी रिपोर्ट आठ दिनों तक आती है। तब तक बीमारी पूरी तरह फैल जाती है और बहुत ज्यादा लोग इस बीमारी के कारण मर जाते हैं। मैं केवल गुजरात की बात नहीं कह रहा हूँ। पूरे देश के राज्यों में एनसीडीसी की स्थापना होनी चाहिए, ताकि ऐसी बीमारियों को हम जल्द से जल्द कंट्रोल कर सकें और मानव जिंदगी के साथ न्याय हो सके।

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए।

श्री नारणभाई काछड़िया : महोदया, हमारे देश में दो सड़कें कम बनेंगी तो चलेगा, दो ब्रिज कम बनेंगे तो चलेगा, लेकिन एनसीडीसी स्थापना हर राज्य में होनी जरूरी है, ताकि मानव जिंदगी को हम न्याय दे सकें।

माननीय अध्यक्ष : आप कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री नारणभाई काछड़िया : माननीय मंत्री जी कृपया बताएं कि यह सब किस तरह से होगा।

डॉ. हर्ष वर्धन : मैडम स्पीकर, मैंने अभी पिछले प्रश्न के उत्तर में भी बताया कि एनसीडीसी की 27 स्टेट्स में आने वाले वर्षों में चार सौ करोड़ रुपये का खर्च करके स्थापना करने वाले हैं। दूसरी बात जो मैं आपको माध्यम से माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूँ कि यह ऐसा नहीं है कि अगर एनसीडीसी का वहां ऑफिस नहीं है तो वहां एनसीडीसी का कंट्रोल नहीं है। एनसीडीसी की शाखाएं दिल्ली से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक सभी जगह पर हमारे ऑफिसर्स हैं, इसके अलावा आईडीएसपी के अंदर 88 लेब्स 17 स्टेट्स में मेडिकल कॉलेजिस के अंदर जो रेफरल लेब्स हैं, इसके अलावा पचास डिस्ट्रिक्ट प्रयोरिटी लेबोरिट्रीज़ 35 स्टेट्स में हैं। इसी तरह से जापानी एनक्फलाइटिस के नेटवर्क में 12 एपेक्स लेब्स और 85 सेन्टिनल लेब्स हैं, टेंगिलेक लेब का जो नेटवर्क है, उसमें भी हमारे पास 14 एपेक्स और 394 सेन्टिनल लेब्स हैं। इसी तरह से आईसीएमआर को लेबोरिट्री नेटवर्क है जिसके अंदर 160 हमारी लेब्स हैं, इसमें कुछ की अभी स्थापना होनी है। इसमें दस रीजनल और तीस स्टेट लेवल पर और 120 मेडिकल कॉलेजिस पर है। इसलिए हमारे पास डिजिस सर्विलेंस और कंट्रोल के लिए देश भर में बहुत बड़ा नेटवर्क है और अभी इस सारे नेटवर्क को, जैसा कि मैंने पहले भी सूचित किया, इसको हमने सीडीसी अटलांटा, अमेरिका के सबसे डिजिस सर्विलेंस नेटवर्क से भी कनेक्ट किया है। उनके साथ भी हमारा रेगुलर एग्रीमेंट है। अभी जब मैं यूएस गया तो इसके बारे में विस्तार से उनके साथ चर्चा करके आया हूँ। मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाता हूँ कि गुजरात में जिस सेंटर की वह बात कर रहे हैं, वह बहुत जल्द स्थापित किया जाएगा, लेकिन उसकी वजह से वहां किसी डिजिस कंट्रोल को कम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं।

SHRI NINONG ERING : Madam Speaker, firstly, I would to have an assurance from the Health Minister regarding the National Centre for Disease Control. We have institutions like this in Imphal; we have such institutions in Shillong, we have the AMC in Dibrugarh and Guwahati. But as regards Super Specialty Hospitals, we do have them in Arunachal Pradesh, Mizoram and Nagaland.

Regarding awareness, monitoring, implementation of NACP, NLEP, NVBDCP and RNTCP by the NRHM, all of them are in a starting stage. But I would like to inform the hon. Minister that people are not aware about the diseases like Encephalitis, HIV, Chikungunya, Dengue in the North-East. Even my very good friend, Mr. Ramesh Rathwa of Gujarat is asking about NRHM.

So, I would inform the hon. Minister that even in shining Gujarat, they are not aware of these diseases. How can you expect that the people of Arunachal Pradesh or the North-East would know about them?

HON. SPEAKER: Please ask your Supplementary.

SHRI NINONG ERING: I would like to know from the hon. Minister as to what kind of monitoring or vigilance he is doing in this regard. What kind of monitoring or vigilance are you doing?

माननीय अध्यक्ष : बीमारी प्रश्न पूछकर कोई थोड़े आती है। आप प्रश्न पूछिए।

SHRI NINONG ERING : What is the hon. Minister thinking in terms of monitoring and vigilance? Can we not go through the Panchayat level or the legislature level or through the parliamentarian level just like what they are doing in the RA Department?

DR. HARSH VARDHAN: As regards the question of the hon. Member, North-Eastern States also receive the same amount of attention from the Government. There is the same national programme under which all the States get equal support. But I can assure him on behalf of this Government that we have our specialized focused attention on the North-Eastern States. I have already had meetings with a number of Ministers of the North-Eastern States. I have planned a visit to these States. We are reviewing their programme and trying to help them as best as

possible. But there is no difference between what we are providing to the other States and to the North-Eastern States. So, I appreciate the Member's concern for his people but your people are our people also. They are country's people and we will certainly give them the best possible attention.

DR. MRIGANKA MAHATO : Madam, we all know that prevention is better than cure. This is particularly true in the case of communicable diseases. Recently, in the State of West Bengal, in north Bengal there is an outbreak of Japanese Encephalitis which kills a large number of lives. So, my suggestion to the Central Government is that it should focus more on prevention in the case of communicable diseases so that this type of incidents does not occur in any State. My specific question is, will the Central Government take definite plan of action to strengthen preventive measures in association with State Government so that such types of incidents do not occur in any State?

DR. HARSH VARDHAN: Madam, we are already on it. We fully endorse the sentiment expressed by the Member that prevention is better than cure, and our Government's strategy is to strengthen prevention as far as possible.

Regarding the West Bengal Government, we have already extended all possible help to them, including flying five senior doctors to West Bengal on the very day when we heard about some deaths occurring there due to Acute Encephalitis Syndrome and Japanese Encephalitis. We have sent them a large number of kits for investigation. We have ensured that the vaccines are properly supplied to them. We have assured them of having more pediatric ICUs. I have personally written to the Chief Minister of West Bengal offering her all possible support in the control of the present epidemic of Japanese Encephalitis and Acute Encephalitis Syndrome.

SHRI K.C. VENUGOPAL : As per the reply, the Department of Health Services has taken many new initiatives to strengthen research in the area of communicable diseases. Even though Kerala has a good track record in treating communicable

diseases, those communicable diseases, which had been wiped out years ago, are coming back now-a-days. We have a virology institute in Alappuzha.

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए। बहुत समय हो गया है।

SHRI K.C. VENUGOPAL : Due to lack of infrastructure and lack of human resources, including scientists, that institute is facing so many problems. I have already met you and made a request in this regard. I would like to know from the Minister, through you, Madam, whether any step has been taken in this regard.

माननीय अध्यक्ष : अभी तो दिया है। कर लेंगे।

DR. HARSH VARDHAN: I think I have already told him personally and I have said here on the floor of the House also that we are reviewing all the facilities which are already available. We are trying to strengthen all the labs and all other facilities. ... (*Interruptions*)

You are talking about Kerala. I am talking about the whole country. I think it is not only Kerala that we have to strengthen but also we have to strengthen the whole country, and I assure you that your concerns will be honestly addressed.

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER : As the hon. MP, Shri Venugopal said, water-borne diseases are increasing in States like Kerala where waterlogged areas are very much there by nature. Water borne diseases are very high in number in Kerala. There are not sufficient diagnostic facilities available in the State. My question to the hon. Minister, through you, is as to whether the Government intends to establish a new viral research and diagnostic laboratory for controlling this epidemic diseases in Kerala. As I am a former Minister of Health and Family Welfare, I am compelled to ask this question for my State also.

DR. HARSH VARDHAN: There are two aspects of your question. Basically health is a State subject. The primary responsibility of taking care of health of the people of Kerala is that of the State Government. In spite of that, we are providing a lot of support to the State Government for setting up of labs, primary health centres, community health centres, etc., through the National Health Mission and the National Rural Health Mission. If you have any specific suggestion about

strengthening of any particular lab, which requires help of the Central Government, please write to me. I will personally look into the issue and see that it is taken care of.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY : Hon. Minister has already given a detailed reply. The National Centre for Disease Control was established in 2006 and underneath mentioned are several national programmes such as National AIDS Control Programme (NACP), National Leprosy Eradication Programme (NLEP), National Vector Borne Disease Control Programme (NVBDCP) and Revised National Tuberculosis Control Programme (RNTCP).

Sir, here I would like to ask a question on Revised National Tuberculosis Control Programme. The world over about 26 per cent of the tuberculosis reported is in India. In this programme, what exactly I want to know is about there is an important aspect, which is surveillance. Is there any provision for surveillance in the Budget for NTCP? Is there a national policy, which has been made for Revised National Tuberculosis Control Programme and are there any research projects in this? It is because this is one aspect which is still affecting India very badly? So, I would like to know about RNTCP, which is one of the four sub-paras given in your answer.

DR. HARSH VARDHAN: This is a very huge national programme, which has, in fact, all the basic components, which include surveillance, providing treatment, ensuring compliance of treatment ensuring research against development of multidrug resistance cases, as that is a major threat for the whole programme. I can assure the Member that the Government is very meticulously reviewing the already existing national health programme against Tuberculosis and is trying to add new inputs that are required into the whole programme.

(Q.264)

श्री अनन्तकुमार हेगड़े : माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर में जो आंकड़े दिए गए हैं, यह साबित करते हैं कि दिन प्रति दिन और साल के साल टैक्स इवेज़न के केस बढ़ रहे हैं और एमाउंट भी ज्यादा होता रहा है। आपने प्वाइंट बी में कहा है कि वर्ष 2012-13 में 288814 केसिस थे, वर्ष 2013-14 में 98425 केसिस थे। इसमें जमीन आसमान का फर्क है और एमाउंट लाकड़ अप 39997 करोड़ रुपए है और वर्ष 2013-14 में 15715 करोड़ रुपए है, जो एसेट्स सीज़ किए हैं वही करीब 36153 करोड़ है। सीबीडीटी ने कहा था कि जुलाई, 2014 को चार हजार करोड़ इकट्ठा करना चाहते हैं। जो कमिटिड हैं वह 36000 करोड़ से ज्यादा है लेकिन सीबीडीटी ने कहा है कि चार हजार करोड़ इकट्ठा करना चाहते हैं। मैं यह नहीं पूछना चाहता हूँ कि कितनी मात्रा में अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? यह अलग बात है लेकिन केस साल के साल बढ़ते जा रहे हैं।

मंत्री जी ने 'डी' भाग में उत्तर दिया है, वह हम सालों से सुनते आ रहे हैं कि हम रिफार्म्स करेंगे। इस तरह के बहुत से उत्तर हम सुन चुके हैं। हम बदलाव के लिए आए हैं। लोगों ने बदलाव के लिए ही हमें चुनकर भेजा है। मैं मंत्री जी से ठोस उत्तर सुनना चाहता हूँ कि क्या आने वाले दिनों में ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉसिबल और सिम्पलीफाइड टैक्सेशन सिस्टम को कैसे ला सकते हैं? मैं कैटेगोरिकली पूछना चाहता हूँ कि इस दिशा में रोड मैप क्या है? बुलेट प्वाइंट्स क्या हैं?

श्री अरुण जेटली : माननीय अध्यक्ष जी, सर्च, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सीज़र के माध्यम से टैक्स इवेज़न को पकड़ते हैं, केवल उस आंकड़े से माननीय सदस्य प्रभावित न हों। इसका कारण यह है कि इस देश में करोड़ों की संख्या में लोग हैं जो इनकम टैक्स देते हैं। यह प्रश्न डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स से संबंधित है। पिछले साल डायरेक्ट टैक्स की कलैक्शन लगभग 6,38,000 करोड़ के करीब थी। हम इस साल अपेक्षा कर रहे हैं कि यह बढ़कर 7,36,000 करोड़ होगी। इसमें से अधिकतर वह टैक्स आता है जो लोग एडवांस टैक्स स्वयं देते हैं, वालएंटी देते हैं या टीडीएस काटकर वालएंटी देते हैं। इस पूरे टैक्स की बहुत बड़ी संख्या है, मैं एग्जेक्ट परसेंटेज भी दे सकता हूँ, वह आंकड़ा वालएंटी कम्पलायंस से आता है। यह पूरी दुनिया में देखा गया है कि जैसे ही टैक्स रेट्स रीजनेबल होते हैं तो वालएंटी कम्पलायंस अपने आप में बढ़ती है। स्वाभाविक है कि ब्लैक मनी देश के भीतर भी है, कई लोग टैक्स ढांचे से बाहर काम करना चाहते हैं इसलिए उनके लिए डेटरेंट हो, डर हो जिसकी वजह से सर्च, सीज़र और असेसमेंट्स किए जाते हैं। इनमें से कई मामले ऐसे हैं जो सर्च, सीज़र के डर से माध्यम से लोग कम्पलायंस करते हैं।

इस प्रश्न में जो आंकड़े हैं, जो लोग टैक्स को छुपाते हुए पकड़े गए और जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई ये वे लोग हैं। इसको सिम्पलीफाई करने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं, जैसा कि मैंने पहला कदम आपको बताया है कि आज अगर बहुत बड़ी मात्रा में वालएंटर्री कम्पलाएंस से टैक्स देश में आ जाता है। इसके अतिरिक्त जो झगड़ों में हैं, जैसा कि आपने कहा कि 4,000 करोड़ जो लिटिगेशन में हैं, चाहे सरकार ने मुकदमा डाला है या निजी एसेसरीज़ ने डाला है, इसकी संख्या लाखों करोड़ों में है, चार लाख करोड़ है। यह सारा आएगा, ऐसा हम मान नहीं सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि केस का क्या होगा। इसे सिम्पलीफाई करने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। जब मैं फाइनेंस बिल का उत्तर दूंगा, स्पेसिफाई करूंगा, सैटलमेंट कमीशन को प्रभावी किया गया है ताकि इंडस्ट्री और टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में एक डॉयलॉग बनता रहे जिसके माध्यम से स्टेटुएटरी नोटिफिकेशन्स आएंगे। एक बहुत बड़ी लिटिगेशन थी जो मुकदमे चल रहे थे, वह ट्रांसफर प्राइसिंग को लेकर चल रहे थे जिसकी वजह से हजारों करोड़ रुपए स्टकअप है। इसे सिम्पलीफाई करने लिए इस बार हमने गाइडलाइन्स दी हैं। कई गाइडलाइन्स फाइनेंस बिल में इनकारपोरेट की हैं जिससे हम स्ट्रक्चर को और सिम्पलीफाई कर पाएं।

श्री अनन्तकुमार हेगड़े : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह था कि इसे सिम्पलीफाई कैसे किया जाए? उदारहण के लिए पेट्रोलियम पर टैक्स भी लगाते हैं और सब्सिडी भी देते हैं, इसमें दुविधा है।

मेरा दूसरा सवाल है कि 17 फरवरी, 2014 के टाइम्स आफ इंडिया में लिखा गया था कि 600 केसिस विदेश में कैश डिपोजिटर्स पर कार्यवाही करेंगे। इसके बारे में मौ जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ।

श्री अरुण जेटली : माननीय अध्यक्ष जी, जिनके नाम हमारी जानकारी में आए हैं, जिनके विदेशों में खाते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया गया है। आइडेंटिफाई करने के बाद एक कैटेगिरी ऐसी है जिनके खिलाफ एसेसमेंट प्रोसीडिंग्स खत्म की गई हैं, क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन्स लांच किए गए हैं जिनके लिचेन्सटाइन में एकाउंट थे। जो एचएसबीसी वाली सूची है, उसमें लोगों के एड्रेसिस नहीं थे, सबको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया गया है। इनमें से कुछ एनआरआई हैं इसलिए वे इस दायरे से बाहर चले जाते हैं। बाकी लोगों के खिलाफ बहुत बड़ी मात्रा में केस हैं, टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस दिए हैं और एसेसमेंट प्रोसिडिंग्स चल रही हैं। इस संबंध में हमें जो एविडेंस चाहिए, उसके लिए कानूनी प्रयास हो सकते हैं, सरकार वह भी कर रही है।

12.00 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, Papers to be Laid.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. HARSH VARDHAN): I beg to lay on the Table :-

(1) A copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Health and Family Welfare for the year 2014-2015.

(Placed in Library, See No. LT 323/16/14)

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 31 of the Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Puducherry Act, 2008:-

(i) S.O. 3914(E) published in Gazette of India dated 31st December, 2013, constituting the Institute Body of Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Puducherry.

(ii) S.O. 28(E) published in Gazette of India dated 6th January, 2014, nominating Dr. M. K. Bhan, formerly Secretary, Department of Biotechnology, New Delhi, as President of the Institute (JIPMER, Puducherry).

(iii) S.O. 1296(E) published in Gazette of India dated 16th May, 2014, electing of Shri P. Kannan, Member, Rajya Sabha to serve as a member of Institute Body of JIPMER, Puducherry).

(Placed in Library, See No. LT 324/16/14)

(3) A copy of the Establishment of New Medical College, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity by a Medical College (Amendment) Regulations, 2013 (Hindi and English versions) published in Notification No. 03-06/2014 (Norms) in Gazette of

India dated 28th March, 2014 under sub-section (2) of Section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970.

(Placed in Library, See No. LT 325/16/14)

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF DEFENCE (SHRI ARUN JAITLEY): On behalf of Shri Inderjit Singh Rao, I beg **to lay on the Table** a copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Bharat Electronics Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2014-2015.

(Placed in Library, See No. LT 326/16/14)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): I beg **to lay on the Table** :-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

- (i) Memorandum of Understanding between Security Printing and Minting Corporation of India Limited and the Ministry of Finance for the year 2014-2015.

(Placed in Library, See No. LT 327/16/14)

- (ii) Memorandum of Understanding between PEC Limited and the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, for the year 2014-2015.

(Placed in Library, See No. LT 328/16/14)

(iii) Memorandum of Understanding between State Trading Corporation of India Limited and the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, for the year 2014-2015.

(Placed in Library, See No. LT 329/16/14)

(2) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Corporate Affairs, Gurgaon, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(Placed in Library, See No. LT 330/16/14)

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.

(i) The Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 published in Notification No. LAD-NRO/GN/2013-14/03/1089 in Gazette of India dated 23rd May, 2014.

(ii) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Redeemable Preference Shares) Regulations, 2013 published in Notification No. LAD-NRO/GN/2013-14/11/6063 in Gazette of India dated 12th June, 2013.

(Placed in Library, See No. LT 331/16/14)

12.02 hrs**ASSENT TO BILL**

SECRETARY-GENERAL : Madam, I lay on the Table the National Institute of Design Bill, 2014, passed by the Houses of Parliament during the Second Session of Sixteenth Lok Sabha and assented to by the President since a report was last made to the House on the 9th June, 2014.

12.02 ¼ hrs.**DEPARTMENTALLY RELATED STANDING COMMITTEE
Summary of Work**

SECRETARY-GENERAL : Madam, I lay on the Table the Hindi and English versions of the 'Departmentally Related Standing Committees – Summary of Work (31st August, 2012 to 30th August, 2013)'.

12.02 ½ hrs.**PARLIAMENTARY COMMITTEES (OTHER THAN FINANCIAL AND DRSCs)
Summary of Work**

SECRETARY-GENERAL : Madam, I lay on the Table the Hindi and English versions of the ‘Parliamentary Committees (Other than Financial and DRSCs) - Summary of Work (1st June, 2012 to 31st May, 2013)’.

12.02 ¾ hrs.**MESSAGES FROM RAJYA SABHA**

SECRETARY-GENERAL : Madam Speaker, I have to report the following messages received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

- (i) “In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (No.2) Bill, 2014, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 18th July, 2014 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill.”
 - (ii) “In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (No. 3) Bill, 2014, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 23rd July, 2014 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill.”
-

12.03 hrs.

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 16th Report of the Standing Committee on Defence on critical review of functioning of Sainik Schools, pertaining to the Ministry of Defence*

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF DEFENCE (SHRI ARUN JAITLEY): Madam, I am laying this statement on the Status of Implementation of recommendations contained in the 16th Report of Standing Committee on Defence (15th Lok Sabha) in pursuance of the direction 73A of the Hon'ble Speaker vide Lok Sabha Bulletin - Part II dated September 01, 2004.

The 16th Report of the Standing Committee on Defence (15th Lok Sabha) relates to 'Critical Review of functioning of Sainik Schools'. The 16th Report was presented to Lok Sabha on 22.08.2012.

Action Taken Statements on the recommendations/ observations contained in the 16th Report were sent to the Standing Committee on Defence on 07.02.2013.

The present status of implementation of the various recommendations made by the Committee in their 16th report is indicated in the Annexure to my Statement, which is laid on the Table of the House. I would not like to take the valuable time of the House to read out all the contents of the Annexure. I would request that this may be considered as read.

... (*Interruptions*)

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 332/16/14.

माननीय अध्यक्ष : आपका एडजर्नमेंट मोशन है। मैं आपको बाद में मौका दूंगी। आप यह बिजनेस होने दीजिए, अभी मिनिस्टर का रिप्लाय होने दीजिए, पहले इसे पास करा देते हैं, उसके बाद मैं आपको अलाऊ करूंगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं सबको बोलने का चांस दूंगी। मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं धर्मेन्द्र जी को भी समय दे दूंगी। पहले हम फाइनेंशियल बिजनेस कम्पलीट करते हैं।

... (व्यवधान)

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : महोदया, मैं भी एक मिनट बोलना चाहता हूँ।

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) : मैडम, मैं एक मिनट बोलना चाहता हूँ।

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam, I will take only one minute to speak. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मैं एक-एक मिनट दोनों को देती हूँ, अभी फाइनेंशियल बिजनेस करना है, फिर शून्यकाल चलेगा, यह उसके बाद दोपहर को भी करा सकते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको रिक्वैस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ बोल रही हूँ। प्लीज, बैठिये।

DR. M. THAMBIDURAI : Madam, I will take only one minute to speak on this issue. The hon. Chief Minister of Tamil Nadu has raised concerns about the reports that India has refused visas to the UN Investigation Committee, which was setup to conduct investigations in India about the human rights violations against the ethnic Tamil minorities in Sri Lanka and the war crimes committed by Sri Lanka at the closing stages of the war in Sri Lanka.

A large number of Sri Lankan Tamil refugees are still living in Tamil Nadu. So, Tamil Nadu is definitely a place for the visiting team to probe the human rights violations. This would help them to conduct their investigation in a fair and just manner.

In this connection, our hon. Chief Minister had got four Resolutions passed in the Tamil Nadu Assembly requesting the Central Government to see that action

is taken in this matter. We thought that the present NDA Government will come forward to the rescue of Tamil minorities in Tamil Nadu, but they are not even giving visas for the UN Committee to come over to investigate the matter. It is against the principles. I would request the Central Government to give visa, as our hon. Chief Minister of Tamil Nadu has requested, to this Committee to come over and investigate. Thank you very much, Madam.

माननीय अध्यक्ष : धर्मेन्द्र जी, आप बोलिये, लेकिन एक मिनट में बात समाप्त करें। इसका स्टेटमेंट हो चुका है।

श्री धर्मेन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदया, 16 तारीख को इसी माननीय सदन के अंदर माननीय मंत्री जी, श्री जितेन्द्र जी ने एक बयान दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि आपके माध्यम से मैं सदन के माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूँ कि यूपीएससी सिविल परीक्षा को लेकर सरकार विद्यार्थियों के प्रति पूरी तरह से चिंतित है और उस चिंता के बाद उन्होंने कहा था कि हम भाषा या किसी विद्यार्थी के साथ पक्षपात नहीं होने देंगे। अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के इस बयान के बाद जो आंदोलनकारी थे, जो छात्र आमरण अनशन पर थे, उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। उसके बाद इन्होंने यह भी कहा था कि यूपीएससी से बात कर के हम सी-सैट की प्रणाली को विदड़ों कराएंगे। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह किसी को कुछ नहीं मालूम है।

... (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव : अध्यक्ष जी, मंत्री जी के आश्वासन के बाद ये छात्र सहमत थे। लेकिन उसके बाद यूपीएससी और सरकार ने अपना स्टैंड बदल दिया। जिसके कारण छात्रों में आक्रोश है और आक्रोश के कारण छात्र आंदोलनरत हैं। अध्यक्ष जी, कल हमारे एक माननीय सदस्य भी मौजूद थे। कल बत्रा पर भी नौजवानों की पिटाई हुई। मुखर्जी नगर में भी पिटाई हुई। आज संसद भवन के सामने भी पिटाई हो रही है। अध्यक्ष जी जहां एक ओर हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी देश के अंदर हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान को बढ़ाने की बात कही थी। हमारे नेता आदरणीय नेताजी ने इसी सदन में उनका स्वागत किया था। वहीं दूसरी ओर इस सरकार की नीयत हिंदी और भारतीय भाषाओं की ओर क्या है, इसके बारे में हम स्पष्ट जानना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, आपसे भी हमने प्रार्थना की थी। आपने आश्वासन दिया था कि हम चर्चा का मौका देंगे। अध्यक्ष जी, हम चाहते हैं कि उस चर्चा का मौका दीजिए। हमारा नोटिस ध्यानाकर्षण में भी है, नियम-193 के तहत भी है। अध्यक्ष जी, चर्चा का मौका दीजिए। छात्रों के ऊपर बाहर लाठीचार्ज हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अपमान हो रहा है। हिंदी मानने वालों का, भारतीय भाषाओं को

मानने वालों का अपमान हो रहा है। अध्यक्ष जी, अगर आप भी संरक्षण नहीं देंगे तो आप ही बता दीजिए कि देश के ये लोग कहां जाएंगे। ऐसे करोड़ों-करोड़ों लोग जो हिंदी और भारतीय भाषाओं को श्रद्धा से देखते हैं, यदि उनके साथ आप न्याय नहीं करेंगे तो कौन न्याय करेगा। अध्यक्ष जी, हम आपका संरक्षण चाहते हैं और पूरा देश आपकी ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। अध्यक्ष जी, अगर कहीं चूक गए तो इतिहास हम सब में से किसी को माफ नहीं करेगा, जिस तरह की स्थिति देश के सामने आज खड़ी हुई है। ... (व्यवधान)

श्री राजेश रंजन : अध्यक्ष जी, एक मिनट में मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप एसोसिएट कर सकते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने कहा है कि आप एसोसिएट कर सकते हैं। आपका नाम आ गया है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक ही मुद्दा बार-बार नहीं उठाया जातो है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप गारंटी दे रहे हैं कि एक मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे।

... (व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Madam, why I am requesting because 5-10 मिनट गड़बड़ होने के बजाय, वे अपने विचार दो मिनट में रखेंगे। उनको मौका दीजिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इन सबको मौका देना पड़ेगा। इनका कोई नोटिस नहीं है।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : जिन्होंने मुद्दा उठाया है, उनको तो मौका दीजिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, एक मिनट। मैं आज हाउस को यही निवेदन करने वाली थी कि बिना नोटिस के बार-बार बात नहीं होती है। धर्मेन्द्र जी द्वारा नोटिस दिया हुआ था कि क्वेश्चन ऑवर को सस्पेंड किया जाए। मैंने उनको कहा था कि क्वेश्चन ऑवर सस्पेंड नहीं होगा क्योंकि नियम के अनुसार ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बोलने का मौका दे दूंगी। किसी का कोई नोटिस नहीं है, कोई भी उठे तो उसको मौका नहीं दे सकती हूँ। यह आदत सभी को लग जाएगी।

... (व्यवधान)

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : अध्यक्ष जी, मैंने आपको नोटिस दिया था और मैं आपसे मिली भी थी। ... (व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : अध्यक्ष महोदय, रंजीत रंजन जी ने जनरल बजट के पहले क्वेश्चन ऑवर सस्पेंड करने के लिए आपको नोटिस दिया था। जब आपने आज उनको अलाऊ किया है तो इन्होंने भी आपको नोटिस दिया है, इसलिए आप इनको भी दो मिनट अलाऊ कर दें। आपकी बड़ी कृपा होगी। इन्होंने आपको क्वेश्चन ऑवर सस्पेंशन का नोटिस आपको दिया था। इनको थोड़ा मौका दिया जाए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वे उस समय बोल चुकी हैं।

... (व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : महोदया, उस समय आपने अलाऊ नहीं किया था तो ये नहीं बोली थीं। आपने कहा था कि मैं बजट के बाद मौका दूंगी। अब इनको थोड़ा मौका दिया जाना चाहिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : धर्मेन्द्र जी, आप बैठ जाइए। बार-बार नहीं बोलते हैं। रंजीता जी आप बोलिए।

... (व्यवधान)

श्रीमती रंजीत रंजन : धन्यवाद अध्यक्ष जी, जनरल बजट से पहले ही हम लोगों ने यह मुद्दा उठाया था। ये सिर्फ हिंदी भाषी विद्यार्थियों का ही सवाल नहीं है, यह तमाम जो रीजनल लैंग्वेज के विद्यार्थी हैं, उनका सवाल है। उन्होंने अपनी मांग रखी थी कि डी.पी. अग्रवाल जी ने सन् 2008 में यूपीएससी में जो चेंजेस किया सी-सैट के पेपर में, उनकी डिमांड है कि प्रारंभिक परीक्षा, सी-सैट प्रणाली-दो में जो पेपर है, क्योंकि वह मानविकी, गैर-तकनीकी छात्रों के प्रतिकूल नहीं है। यूपीएससी में आर्ट्स के, आईआईटी और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के पेपर सी-सैट टू में सिलेबस चेंज कर दिया गया है। जो जी.के. का पेपर होता है, उसको एक्सपैक्ट करने के बाद उन्होंने इंग्लिश कंप्रिहेंसिव का पेपर रीजनल और हिंदी भाषियों के लिए दिया है।

महोदया, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एचआरडी मिनिस्टर उस काम्प्रिहेन्सिव को देखें। अगर आप अच्छे हिन्दी भाषी हैं, तब भी आप उसे नहीं समझ सकते हैं। उसमें मेशन कर दिया गया है कि अगर हिन्दी में कोई गड़बड़ी है तो हम इंग्लिश को मान्य कर रहे हैं। जो रीजनल लैंग्वेज, हिन्दी भाषी या भारतीय भाषा के स्टूडेंट हैं, तो क्यों वे इंग्लिश को मान्य करेंगे? हिन्दी के आधार पर क्यों नहीं करेंगे? आप काम्प्रिहेन्सिव के एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वे 38 क्वेश्चन हैं, मेन और पेपर टू में भी। जब वे हिन्दी समझ ही नहीं पाएंगे तो आंसर कैसे देंगे? उस बिहाफ में इंग्लिश वाले छात्र आगे चले जाते हैं। इसके कारण वर्ष 2008 में जो

परसेंटेज 45 था, वह आज वर्ष 2013 में मात्र 2.6 रह गया है। उनका कहना है कि सी-सैट से काम्प्रिहेन्सिव को हटाया जाए। हिन्दी को किसी हिन्दी वाले से कराया जाए, जो इंटरव्यू होता है, उसे हिन्दी भाषी से कराया जाए, इंग्लिश भाषी से इंटरव्यू नहीं कराया जाए। यह उनकी डिमांड है। जो रीजनल हैं, वे इंग्लिश क्यों बोलेंगे?

माननीय अध्यक्ष : मिस्टर मिनिस्टर, अब आप बोलिये।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हर बात का जवाब नहीं होता है। अब आप बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर 9, मिस्टर मिनिस्टर।

...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन : महोदया, आप सरकार को निर्देश दें कि धरनारत छात्रों पर लाठीचार्ज न हो।...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदया, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जगदम्बिका पाल जी, आप बैठिए। इस पर चर्चा नहीं होनी है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप अपना रिप्लाय स्टार्ट करें।

...(व्यवधान)

12.12 hrs.**FINANCE (No.2) BILL, 2014.... Contd.**

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : महोदया, बजट की चर्चा के बाद फाइनेंस बिल की चर्चा में 32 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। उन सबने देश की अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में और फाइनेंस बिल के अन्दर जो प्रावधान हैं, उसके सम्बन्ध में अपने विचार रखे हैं। चर्चा की शुरुआत हम सबके वरिष्ठ सहयोगी श्री वीरप्पा मोइली जी ने की थी, मैं उनका भी विशेष रूप से आभारी हूँ। इस चर्चा में काफी विषय वे थे जो बजट की चर्चा के साथ ओवरलैप करते थे तो जो बातें उस चर्चा में आ चुकी हैं, मैं उनको दोहराने का प्रयास नहीं करूँगा।

महोदया, कल कारगिल युद्ध की 15वीं सालगिरह है और उसका विजय दिवस है। जो लोग इस युद्ध में शहीद हुए थे, आज से ही देश भर में लोगों ने उनको श्रद्धांजलि देनी आरम्भ कर दी है। इसलिए मैं उपयुक्त यह समझता हूँ कि देश की रक्षा और डिफेंस के लिए जो इन प्रावधानों में किया गया है, उसके ऊपर मैं एक बार सदन का ध्यान दिला दूँ। देश के अन्दर स्वाभाविक है कि इतना बड़ा देश है, सरकारी विभाग, सरकार के ऊपर खर्चा, गरीबी उन्मूलन की जितनी योजनाएं हैं, उनके ऊपर जितना व्यय होता है, उसमें से हमारी एक प्राथमिकता देश की सुरक्षा भी है। देश की सुरक्षा को लेकर एक चिन्ता है कि किसी प्रकार से भी जो हमारे सैनिक हैं, उनकी जो अपेक्षा है रेडिनेस की, तैयार रहने की, उसमें किसी प्रकार की कमी न आये। जो इन्टरिम बजट में, वोट ऑन अकाउन्ट में प्रावधान किये गये थे, उसमें मैंने रेग्युलर बजट में इस बार पांच हजार करोड़ रूपया देश की सुरक्षा के सम्बन्ध में और जोड़ा है, इसके साथ-साथ प्रावधान किया है। जो पूर्व सैनिकों के संगठन हैं, जो मौजूदा सर्विसेज हैं, उनसे भी मेरी चर्चा हुई है कि जो एक अपेक्षा सेनाओं की चल रही है कि वन रैंक वन पेंशन हो, इस बार बजट में उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रावधान किया गया है। जितने भी योगदान की उसके लिए आवश्यकता होगी, एक बार उसकी चर्चा समाप्त हो जाए और वह जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला है, सिद्धांत को हम लोग स्वीकार कर चुके हैं, अब केवल कैलकुलेशन का फॉर्मूला है जिसको लेकर चर्चा हो रही है। 24 अप्रैल को एंटोनी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने भी इसके लिए एक कमेटी बैठाई थी। जैसे ही उस पर चर्चा पूरी हो जाती है तो उसके संबंध में भी जो खर्चा होना है, उसके लिए प्रावधान यहाँ पर किया गया है।

एक मांग और अपेक्षा रही कि इस देश के अंदर कोई वॉर मैमोरियल नहीं है। पहले विश्वयुद्ध में बहुत बड़ी संख्या में जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, उनके लिए एक वॉर मैमोरियल बना जिसको हम इंडिया गेट के नाम से जानते हैं। लेकिन 1947 के बाद से लगभग 21000 से ज़्यादा सैनिक हैं जो चाहे युद्ध में या चाहे किसी आंतरिक कारण की वजह से देश के लिए शहीद हुए हैं, उनके लिए अभी तक वॉर

मैमोरियल नहीं बना। उस वॉर मैमोरियल की भी कमिटमेंट हमने इस बार दी है। प्रयास यह है कि उसको स्वीकार करें और उसके लिए कुछ स्थान भी हमने आइडेंटिफाइ किये हैं। एक यह भी अपेक्षा है कि जो बहुत देशों में है लेकिन हमारे देश में कोई वॉर म्यूज़ियम नहीं है। इसलिए आर्म्ड फोर्सज़ ने ही एक जगह आइडेंटिफाइ की है इंडिया गेट के नज़दीक, यह उन्हीं की ज़मीन है प्रिंसेज़ पार्क में, जिसके लिए हमने वॉर म्यूज़ियम के लिए भी प्रावधान किया है।

Madam, I must say with my utmost affection and regard for Moily sahab that he started on the right note when he initiated the discussion. He advised us to be aggressive on the reform process because he felt that the economy has to pick up once again. Some of the points that he mentioned, he must seriously realise, were issues if not problems which in one sense we have inherited as a part of continuity of government. I am glad he virtually expressed himself against the concept of retrospective taxation. I agree with him that it sends a very negative signal, and it has not helped our economy itself. Therefore, one of my jobs was to find a solution to the problem.

Some Members have expressed apprehension as to why I used a phrase that there is a sovereign right of Parliament. Of course every Parliament in the world has a sovereign right. They have a sovereign right to legislate; they have a sovereign right to legislate even retrospectively. The British Parliament has imposed several taxes which are retrospective. There are legitimate cases in which retrospective taxation has been levied by Indian Parliament. I will give an illustration.

Assuming there is a tax collected over a period of 40 years and the tribunal comes to a finding that there is some technical flaw in this, are we going to refund 40 years of taxation already collected? Therefore, we retrospectively legislate to legitimise what has already been collected. That is a sovereign right. So, I cannot be faulted for saying that Parliament has a sovereign right. But I have said, as a policy the present Government will not use that right to create new liabilities. That is an assurance we wanted to give to investors within the country and investors outside so that we are able to assure people of a stable tax regime.

Moily sahab is right when he says extra aggression sends a wrong signal in the matter of tax collection. Therefore, the phrase 'tax terrorism' which critics of his government had been using is a phrase he used himself.

I have taken several steps. I will just illustrate some of them in order to put an end to this whole environment. I was surprised when I found that Moily Saheb himself was a little critical of GAR because it was sending a fright signal amongst tax payers. I must confess, I have not yet gone into the whole issue because we were busy with the Budget exercise but I now intend spending sometime and then the Government will take a final view as to what we are to do with the proposal which is already pending.

He mentioned the problem of stagflation. It is actually a contradiction in terms. If you have stagnation, that is normally a sign of recession because there is no economic activity. In inflation, the money supply is increased. So, there is a lot of activity otherwise. But there are rare cases and that is why this term 'stagflation' was coined to indicate that you have a slowdown in the economy and inflation at the same time; and therefore it was referred to as stagflation. I think, it will be too extreme to say that we had reached that situation. Our growth had slowed down but that there was stagnation may be perhaps an overstatement. It is this slowdown which we really need to fight today.

My entire effort has been, through the various proposals in the Finance Bill, that we must be able to generate more economic activity, more industrial and manufacturing activity and put more money in the hands of the average citizen so that his spending also increases and this larger economic activity will then lead to an enhancement of the growth rate itself. Inflation cannot only be tackled by hiking the interest rates. When you have larger economic activity, you tackle the supply side also. You make more goods, more products, more commodities, and more agricultural items available in the market. That is one way of fighting inflation. Therefore, the whole approach of the Budget and the roadmap which we have in mind is intended to be in that direction.

I wish to join issue though I personally do not feel that the movement in the stock exchange or the capital market is the only indication of how well the economy is doing. Moily Saheb says that the capital markets have received our proposals very badly. If that were so, the capital markets would not have reached the record height in their figures. I still do not treat it as any test or measure or an approval of the Budget itself. The capital markets have their own logic and they proceed on their own logic but your assessment that they have fallen is factually not borne out because they have reached a record height.

हमारे साथी निशिकान्त दूबे जी जब बोले तो शायद बहुत अच्छा बोले, लेकिन बोलते-बोलते उन्होंने कह दिया कि मेरे जीवन में तो काला धन इस देश में वापस नहीं आने वाला है। हम सब उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। लेकिन उनको बहुत लम्बी अवधि तक इसकी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। अध्यक्ष जी एक समय था कि जब लोग कई कारणों से विदेशों में काला धन रखते थे, टैक्स हेवन्स में रखते थे और टैक्स हेवन्स की कल्पना यह थी कि वहां कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते, वहां आपको एक सीक्रेसी मिल जाती है, किसी ट्रस्ट के नाम से वह एकाउंट होता है। उन टैक्स हेवन्स की अर्थव्यवस्था इसी प्रकार के साधनों के आधार पर चलती थी। वे कोई जानकारी नहीं देते थे। There were firewalls erected around the system और यह असंभव था कि उन दीवारों को तोड़ कर कोई जानकारी ले ले। उसके बाद एक अगली स्टेज आयी कि जब इन टैक्स हेवन्स में से कई ने कहा कि अगर यह अपराध का पैसा है, 'if it is profits of crime'. And this is on the principle of dual criminality – a crime in both the jurisdictions – that is in the tax haven and in the requesting country, then they will start cooperating. लेकिन केवल टैक्स इवेजन की वजह से आया है या करेन्सी वॉयलेशन की वजह से आया है तो वे सहयोग नहीं करते थे। आज विश्व में इस विषय पर बहुत दबाव है क्योंकि पूरे विश्व में बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो इस प्रकार की मनी लाउंड्रिंग के खिलाफ़ हैं। अब जानकारियां मिलनी आरंभ हुई हैं, समझौते भी हुए हैं। यूपीए सरकार ने भी एक समझौता किया था लेकिन उसमें स्विट्ज़रलैण्ड की कंडीशन थी कि आपको जो हम नाम देंगे, वे आप किसी को नहीं बताएंगे और ये भविष्य के लिए होंगे, पुराने वाले नहीं होंगे।

हम लोगों को दो साधनों से कुछ जानकारियां मिलीं हैं। मैंने पिछले सप्ताह भी अपने उत्तर में कहा था कि एक जानकारी मिली जो इसी प्रकार का एक टैक्स हेवन था लिंचेस्टाइन, जिन्होंने कुछ नामों की जानकारी दी है। दूसरे नाम वे थे जिनमें स्विट्ज़रलैण्ड के एक बैंक में कुछ भारतीय लोगों के खाते थे। वहां

से किसी ने वह पूरी जानकारी, जो केवल भारत की नहीं थी दुनिया के कई देशों की थी, निकाल कर फ्रांस को दे दिये। फ्रेंच गवर्नमेंट ने एक समझौते के तहत उसे भारत को दे दिये। उसके संबंध में भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जून के माह में 22 तारीख को यह खबर छपी थी कि भारतीयों की एक सूची स्विट्ज़रलैण्ड देने को तैयार है तो हमने 23 तारीख को ही उन्हें पत्र लिखा कि हम लोग चाहेंगे कि अन्य जानकारी आप हमें दीजिए। बाद में उनका जो जवाब आया, उनके जवाब से लगा कि वह जो पीटीआई के हवाले से खबर छपी थी, वह शायद सही नहीं थी और उन्होंने कहा कि भारतीयों की कोई अलग सूची हमारे पास नहीं है।

हमारे पास जितनी भी जानकारी मिल रही है, उस पर हमारी सरकार ने पहला कदम उठाया कि एस.आई.टी. का गठन कर दिया, जो तीन साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। यूपीए सरकार का यह मत था और यह दरखास्त भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दी थी कि यह कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, यह सरकार करेगी। हमारी सरकार ने इस विषय पर सबसे पहले चर्चा की और हमें लगा कि काला धन देश से बाहर पड़ा है। यह किनका है और कितना है, यह विवाद का विषय हो सकता है या जानकारी का विषय हो सकता है। पर, इसमें यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है या हमारा है, इस ज्यूरिस्टिक्शनल बैटल में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोर्ट भी इसमें कुछ आदेश देना चाहता है और उनकी एस.आई.टी. कदम उठाना चाहती है तो सरकार इस में पूरा सहयोग करेगी और जितनी भी जानकारी हमारे पास आ रही है, हम सुप्रीम कोर्ट को उसकी जानकारी दे रहे हैं।

जी.एस.टी. के संबंध में कहा गया कि इसको लाना चाहिए। अधिकतर सदस्य इस के पक्ष में थे। सभी राज्यों की अपेक्षा है कि जो सी.एस.टी. कॉम्पेनशेसन का वायदा किया गया था, वह दिया जाए। उसके लिए साधनों की व्यवस्था कहां से होगी, मैं इसका प्रयास कर रहा हूँ और मेरी राज्यों के साथ दो बैठकें हो चुकी हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि शीघ्र-से-शीघ्र इस वर्ष के अन्दर ही, कम से कम उसके संबंध में जो कानून बनना है, हम लोग बना दें। जिन सदस्यों ने यह कहा है और मोइली साहब ने इसे बड़ी स्पष्टता से कहा है और मैं उन से सहमत हूँ कि जी.एस.टी. आने से इस देश की जी.डी.पी. के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा। वह बढ़ेगी और इस से पूरे देश को लाभ होगा, राज्यों को भी होगा और केन्द्र को भी होगा।

Madam, a question is repeatedly raised particularly by some of my friends in the Left Parties. This question used to be raised against the UPA Government also. Along with the Budget documents, there is a booklet which says 'Taxes foregone'. That runs into something like Rs.5 lakh crore plus. The charge which is normally made against the Governments is, why do we not collect these taxes?

These will be enough to meet a lot of demand. I personally do not know who decided to publish this booklet because these are not taxes which are due and recoverable.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): It started with spectrum distribution.

SHRI ARUN JAITLEY: It started in 2005-06. Let me just explain so that this issue is not raised again and again. We give rebate to senior citizens and that is tax foregone. Under Section 80 C, whoever deposits in bank or Provident Fund, we give rebate. These are taxes foregone. We give rebate on interest on loan for purchase of a property. That is tax foregone. In several products you have exemption notifications because we want to bring the rates down in order to encourage the economy. Therefore, from 2005 the practice was to add to transparency but this should not be confused as taxes due and not charged. These are taxes which are actually not due. In order to give relief either to a set of assesseees or to industry, we are not levying high taxes.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Individual exemption is given to corporates.... (*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: First of all let us be very clear as to what is tax foregone and let us not mislead each other as to what is tax foregone. Your charge is that corporates get a relief.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): By notification.

SHRI ARUN JAITLEY: The law permits it. Your Government did it. Every Government has done it.

PROF. SAUGATA ROY : Rs.5,00,000 crore is a big amount.

SHRI ARUN JAITLEY: It is a big amount but let us be very clear. It is an area where you and I can differ because I have repeatedly said so, ours is not a high tax Government. A high tax Government will not encourage business and industrial activity in India. A high tax Government will never be able to create jobs. A high tax Government will never be able to create a low cost manufacturing situation

because ultimately what do consumers want to buy. You said in the morning today that you went to the State Bank as you wanted to buy a car. You want to buy a car. You do not want to buy taxes. Consumers buy products. They do not buy taxes.... *(Interruptions)* Please allow me to speak.

So, if consumers start buying taxes, if you load every product with very high level of taxes, your products will become non-competitive in the market. Hence, there is this grievance that you have made as to why our people are buying products from China and elsewhere. This is because they have mastered the art of low cost manufacturing. One of the factors in low cost manufacturing is lower rates of interest and lower rates of taxes and that is why their industry has moved ahead. ... *(Interruptions)* We can disagree. We need not unnecessarily disturb each other

SHRI MOHAMMAD SALIM (RAIGANJ): Who has stopped you from reducing it?... *(Interruptions)*

SHRI ARUN JAITLEY: Let me give you an example. The manufacturing sector in the last one year was flat and in the other year was negative. The previous Government in February decided to actually, by notification, reduce the level of taxation on automobiles, capital goods and consumer durables. Less cars were being sold in India. Less consumer durables were being sold in India because the economy was not doing well. I saw the effect of that. They did it for only three months. I have extended it till the end of the year. They started in February and the UPA Government's decision was to end it by 30th June. I have extended it to the end of the year. The effect of it was, we suddenly saw, of all these products the market was back. The manufacturing had increased. The sale had increased. Now are we to make these products costlier, sluggish and non-competitive against foreign products or are we to make sure that Indian products are also able to sell in the market?

We are interested in creating a situation where the sentiments in regard to the Indian economy, which had been disturbed in the eyes of investors in



comparison to the global economy is revived. The effect is that we revived that sentiment back. Therefore, in order to revive the sentiments back, you need to take certain steps. I had said it in response to the Budget Speech that there is no contradiction in being pro-poor and pro-business at the same time. Unless you are able to generate revenues, how will you service the poor people in the country? How will you have poverty alleviation schemes in the country? Therefore, the Indian economy is doing well and that is how we will be able to take care of the least privileged – 30 per cent people – as far as India is concerned.

Madam, with regard to the Finance Bill, the approach of the Government has been that we try and resolve disputes; we try and end arbitrariness; and we try and give as much relief to the vulnerable as is possible. Therefore, a set of relieves have been given as far as individual taxpayer is concerned. The exemption limit of Rs.2 lakh have been raised to Rs.2.5 lakh. There is a lot of tax sacrifice involved. For senior citizens, it becomes Rs.3 lakh.

The saving rate in India had come down. In just one year from 33 per cent saving, it came down to 30 per cent. The savings are not savings you put in the pocket. Savings are those which individual people who save money, they put it in banks; they put it in various instruments and savings become national investment. The economy and the infrastructure are all built out of these savings and savings are coming down which means the economy will do badly. So, I had to encourage savings. Therefore, I encouraged the savings exemption from Rs.1 lakh to Rs.1.5 lakh. There are crores of taxpayers investing Rs.50000 crore more in savings because they will get tax rebate. So, every taxpayer in India now has the facility to get a rebate and this saving will in turn become an investment which will go into our financial institutions.

Real estate is a major driver of economy in India. To encourage real estate, the exemption limit with regard to the deduction which is allowed in regard to interest on loans which are to be re-paid, from Rs.1.5 lakh, we have made it to Rs.2 lakh a year. Rupees two lakh a year actually means that the interest

deduction that you will get on your income tax is Rs.17,000 to Rs.18,000 a month and if inflation moderates and the Reserve Bank brings down the interest rates, eventually, we would want to go back to a situation where -- which I had said last time also in this House -- taking an apartment on rent for a middle class person or a lower middle class person will become costlier but buying it will become cheaper. That is how, you will not only encourage cement, steel, create jobs but encourage a whole sector itself.

We used the fiscal policy and the Finance Bill to give a fillip to manufacturing sector. Our manufacturing had become flat or negative. देश में बिजली की पैदावार नहीं होगी तो अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। So, I have extended the sunset clause. Today, if you invest in the power sector, you get tax rebates. Those who invest in industry used to get a tax rebate in terms of investment allowance if they invested up to Rs.100 crore. Now not many people can invest Rs.100 crore. To give a fillip to mid-level business people, the MSMEs, I have brought that limit down to Rs.25 crore. You invest Rs.25 crore, you get a tax rebate. Except for some products like cigarettes, pan masala and soft drinks, as a pattern, I have brought down the customs and excise duties in most products which are being manufactured. It is a misnomer - let me repeat - that this is a rebate to the corporates. When it brings down the cost of these products, it encourages Indian industry and becomes a rebate to the consumers. The consumers will get these products cheaper because, if the corporates still decide to sell them at a costly price, they will outmarket themselves. Somebody else will factor in the rebate and the consumers will get the rebate.

To portfolio investments, there were some rebates which were available. Our tax structure was not suitable and a large number of managers used to locate themselves in Singapore. So, I have brought those rebates so that that entire investment can come back to India and they can relocate themselves.

I have mentioned that, with regard to future, I have provided a cushioning against retrospective tax and this was also a question raised by Shri Ananth Kumar

Hegde in the morning. I have gone ahead that the judicial process may sort out the past and, for the future, we will not allow this problem to take place in India. To simplify the tax structure, there is an advance ruling mechanism for domestic investors. आज कोई विदेशी या कोई एन.आर.आई. इस देश में पूंजी लगाता है तो वह पहले ही वहां जा सकता है और पता लगाए कि मुझे पहले बता दीजिए कि कितना टैक्स लगेगा? I have extended this for simplifying the tax structure to domestic investors. A huge number of investors, both domestic and international, and thousands of crores are locked in litigation and transfer pricing. I have simplified the whole issue by detailed guidelines which have been brought into the Finance Bill itself.

In order to settle tax disputes, so that lakhs of crores of rupees are not blocked, I have expanded the whole concept and the functioning of the Settlement Commission. I have given statutory recognition to a consultation mechanism and those can be followed up by guidelines issued by the CBDT.

Now, there are a large number of issues which the hon. Members have raised. I will certainly, for future planning, keep most of those issues in mind with regard to taxation planning. But, even after announcing the Budget proposals, a number of issues have been raised in this House by hon. Members and in the representations that we have received. With an open mind, we will examine each one of them.

Mutual facility was a facility which we had really given for retail investors. A bulk of it was being used by corporates and it was being used for arbitrage. Therefore, I had put the concessional rate of taxation that was available in the Budget proposals to an end with effect from 1st April, 2014. A number of Members in the House also raised this question. Shri Scindia, in the debate on the Budget, had first raised this question that on the one hand, we say that we are against retrospective taxation and does it itself, or even for a period of three months, become retrospective in character? I have reconsidered it and I propose to move a Government amendment today in the Finance Bill itself that the new tax regime will not be applicable to transactions of sale of units which have taken

place between 1st April and 10th July this year itself. If you have sold them during this period, this will not apply.

The second official amendment to the Finance Bill that I propose today is with regard to the Settlement Commission. I am proposing to expand the scope of approaching the Settlement Commission for settlement of tax disputes and also including cases where proceedings have been initiated for reassessment, otherwise known as reopened cases, and proceedings which are pending for making a fresh assessment in pursuance of an order of a Tribunal or a Commissioner for setting aside or cancelling the assessment itself.

Now, for advance ruling, I propose an amendment because you may require more benches. So, that is to provide for additional benches. With regard to transfer pricing that I have suggested, I propose an official amendment in that regard itself. The further amendment that I propose is related to late filing of returns. For late filing of returns, there is a provision which has become onerous for a huge penalty, which is per day and there was no power of waiver itself. So, if somebody says that it is filed after years, then per-day penalty used to become exorbitant. So, some discretion is being given to the CBDT in regard to that penalty where cases of late filing of returns are involved. The penalty as such will remain.

With regard to subordinate legislation, I propose to make two changes, one of which I had announced in the Budget itself. To encourage the wind energy programme, there is an accelerated depreciation. There was a confusion whether we have extended it or not. Members wanted it to be extended. I am, therefore, continuing with that accelerated depreciation.

The last amendment relates to transfer pricing in the domestic transactions itself. Now, these further changes will further simplify and smoothen the tax structure of this country and help us in raising the revenue because this year itself we need a higher revenue to meet the fiscal deficit targets.

With these few observations, I commend the Finance Bill to the House for its acceptance.

HON. SPEAKER: The House shall now take up the motion for consideration of the Bill.

The question is:

“That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2014-2015, be taken into consideration.”

The motion was adopted.

MADAM SPEAKER: The House shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 Income Tax

The question is:

“That clause 2 stand part of the Bill.”

*The motion was adopted.
Clause 2 was added to the Bill.*

Clause 3 Amendment of Section 2

Amendment made:

Page 6, *after* line 48, *insert--*. (1)

“(AA) after the proviso, but before *Explanation 1*, the following proviso shall be inserted with effect from the 1st day of April, 2015, namely:--

“Provided further that in case of a share of company (not being a share listed in a recognized stock exchange) or a unit of a Mutual Fund specified under clause (23D) of section 10, which is transferred during the period beginning on the 1st day of April, 2014 and ending on the 10th day of July, 2014, the provisions of this clause shall have effect as if for the words “thirty-six months”, the words “twelve months” had been substituted.”. (3)

(Shri Arun Jaitley)

MADAM SPEAKER: The question is:

“That clause 3, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 3, as amended, was added to the Bill.

Clauses 4 to 31 were added to the Bill.

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

SHRI ARUN JAITLEY: I beg to move:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 6 to the Finance Bill, 2014 and that this amendment may be allowed to be moved.”

HON. SPEAKER: The question is:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 6 to the Finance Bill, 2014 and that this amendment may be allowed to be moved.”

The motion was adopted.

New Clause 31A Amendment of Section 92C

Page 12, *after* line 7, *insert* –

‘**31A.** In section 92C of the Income-tax Act, in sub-section (2), after the second proviso, but before the *Explanation*, the following proviso shall be inserted with effect from the 1st day of April, 2015, namely:--

“Provided also that where more than one price is determined by the most appropriate method, the arm’s length price in relation to an international transaction or specified domestic transaction undertaken on or after the 1st day of April, 2014, shall be computed in such manner as may be prescribed and

accordingly the first and second proviso shall not apply.”.

(6)

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

“That New clause 31A stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

New clause 31A was added to the Bill.

Clauses 32 and 33 were added to the Bill.

Clause 34 Amendment of Section 112



Amendment made:

Page 12, for line 28, substitute—

‘(b) after the proviso occurring after clause (d), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that where the tax payable in respect of any income arising from the transfer of a long-term capital asset, being a unit of a Mutual Fund specified under clause (23D) of section 10, during the period beginning on the 1st day of April, 2014 and ending on the 10th day of July, 2014, exceeds ten per cent of the amount of capital gains, before giving effect to the provisions of the second proviso to section 48, then, such excess shall be ignored for the purpose of computing the tax payable by the assessee.”;

(c) in the Explanation, clause (b) shall be omitted.’. (7)

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

“That clause 34, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 34, as amended, was added to the Bill.

Clauses 35 to 44 were added to the Bill.

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

SHRI ARUN JAITLEY: I beg to move:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No.8 to the Finance (No.2) Bill, 2014 and that this amendment may be allowed to be moved.”

HON. SPEAKER: The question is:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No.8*to the Finance (No.2) Bill, 2014 and that this amendment may be allowed to be moved.”

The motion was adopted.

New Clause 44A

Amendment of Section 119

Amendment made:

Page 14, *after* line 8, *insert--*

“**44A.** In section 119 of the Income-tax Act, in sub-section (2), in clause (a), after the figures and letter “234C”, the figures and letter “234E” shall be inserted with effect from the 1st day of October, 2014.’” (8)

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

“That new clause 44A be added to the Bill.”

The motion was adopted.

New clause 44A was added to the Bill.

Clauses 45 to 62 were added to the Bill.

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

SHRI ARUN JAITLEY: I beg to move:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No.9 to the Finance (No.2) Bill, 2014 and that this amendment may be allowed to be moved.”

HON. SPEAKER: The question is:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No.9 to the Finance (No.2) Bill, 2014 and that this amendment may be allowed to be moved.”

The motion was adopted.

Amendment made:

New Clause 62A

Amendment of Section 245A

Page 17, *after* line 30, *insert--*

“**62A.** In section 245A of the Income-tax Act, in clause (b), with effect from the 1st day of October, 2014,--

(A) the proviso shall be omitted;

(B) in the Explanation,--

(a) in clause (i), for the words, brackets and figure “referred to in clause (i) of the proviso”, the words and figures “under section 147” shall be substituted;

(b) for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely:--

“(iii) a proceeding for making fresh assessment in pursuance of an order under section 254 or section 263 or section 264, setting aside or cancelling an assessment shall be deemed to

have been commenced from the date on which such order, setting aside or cancelling an assessment was passed;”;

(c) in clause (iv), for the words, brackets, figures and letter “clause (i) or clause (iv) of the proviso or clause (iiia) of the Explanation”, the words, brackets, figures and letter “clause (i) or clause (iii) or clause (iiia)” shall be substituted.’.” (9)

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

“That new clause 62A be added to the Bill.”

The motion was adopted.

New clause 62A was added to the Bill.

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

SHRI ARUN JAITLEY: I beg to move:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No.10 to the Finance (No.2) Bill, 2014 and that this amendment may be allowed to be moved.”

HON. SPEAKER: The question is:

““That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No.10 to the Finance (No.2) Bill, 2014 and that this amendment may be allowed to be moved.”

The motion was adopted.

New Clause 62B**Amendment of Section 245N**

Amendment made:

“Page 17, *after* line 30, *insert*--

‘62B. In section 245N of the Income-tax Act, with effect from the 1st day of October, 2014,--

(A) in clause (a),--

(I) in sub-clause (ii), at the end, the word “or” shall be inserted;

(II) after sub-clause (ii) and before long line, the following sub-clause shall be inserted, namely:-

“(iia) a determination by the Authority in relation to the tax liability of a resident applicant, arising out of a transaction which has been undertaken or is proposed to be undertaken by such applicant,”;

(B) in clause (b), after sub-clause (ii), the following sub-clause shall be inserted, namely:--

(iia) is a resident referred to in sub-clause (iia) of clause (a) falling within any such class or category or persons as the Central Government, may, by notification in the Official Gazette, specify; or”;

(C) for clause (f), the following clauses shall be substituted, namely:--

(f) “Member” means a Member of the Authority and includes the chairman and Vice-chairman;

(g) “Vice-chairman” means the Vice-chairman of the Authority.’.’ ”

(10)

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

“That new clause 62B be added to the Bill.”

The motion was adopted.

New clause 62B was added to the Bill.

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

SHRI ARUN JAITLEY: I beg to move:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No.11 to the Finance (No.2) Bill, 2014 and that this amendment may be allowed to be moved.”

HON. SPEAKER: The question is:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No.11 to the Finance (No.2) Bill, 2014 and that this amendment may be allowed to be moved.”

The motion was adopted.

New Clause 62C Amendment of section 245-O.

Amendment made:

Page 17, *after* line 30, *insert*—

‘**62C.** In section 245-O of the Income-tax Act, for sub-sections (2), (3), (4) and (5), the following sub-sections shall be substituted with effect from the 1st day of October, 2014, namely:—

“(2) The Authority shall consist of a Chairman and such number of Vice-chairmen, revenue Members and law Members as the Central Government may, by notification, appoint.

(3) A person shall be qualified for appointment as—

- (a) Chairman, who has been a Judge of the Supreme Court;
- (b) Vice-chairman, who has been Judge of a High Court;
- (c) a revenue Member from the Indian Revenue Service, who is a Principal Chief Commissioner or Principal Director, General or Chief Commissioner or Director General;
- (d) a law Member from the Indian Legal Service, who is an Additional Secretary to the Government of India.
- (4) The terms and conditions of service and the salaries and allowances payable to the Members shall be such as may be prescribed.
- (5) The Central Government shall provide to the Authority with such officers and employees, as may be necessary, for the efficient discharge of the functions of the Authority under this Act.
- (6) The powers and functions of the Authority may be discharged by its Benches as may be constituted by the Chairman from amongst the Members thereof.
- (7) A Bench shall consist of the Chairman or the Vice-Chairman and one revenue Member and one law Member.
- (8) The Authority shall be located in the National Capital Territory of Delhi and its Benches shall be located at such places as the Central Government may, by notification specify.”’.
- (11)
(Shr Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

“That new Clause 62C be added to the Bill.”

The motion was adopted.

New clause 62C was added to the Bill.

Clauses 63 to 71 were added to the Bill.

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

SHRI ARUN JAITLEY: I beg to move:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No.12 to the Finance (No.2) Bill, 2014 and that this amendment may be allowed to be moved.”

HON. SPEAKER: The question is:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No.12 to the Finance (No.2) Bill, 2014 and that this amendment may be allowed to be moved.”

The motion was adopted.

New Clause 71A Amendment of Section 27 of 1957.

Amendments made:

Page 19, *after* line 51, the following shall be *inserted*, namely:—

“Wealth-tax

‘71A. In section 22A of the Wealth-tax Act, in clause (b), with effect from the 1st day of October, 2014,—

(A) the proviso shall be omitted;

(B) in the *Explanation*,—

(a) in clause (i), for the words, brackets and figures “clause (i) of the proviso shall, in case where a notice under section 17”, the words and figures “section 17 shall, in case where a notice under the said section” shall be substituted;

(b) for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:—

“(ii) a proceeding for making fresh assessment in pursuance of an order under section 23A or section 24 or section 25, setting aside or cancelling an assessment shall be deemed to have been commenced from the date on which such order, setting aside or cancelling an assessment was passed;”;

(c) in clause (iv), for the words, brackets and figures “clause (i) or clause (ii) of the proviso or clause (iii) of the *Explanation*”, the words, brackets and figures “clause (i) or clause (ii) or clause (iii)” shall be substituted.’ (12)
(Shr Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

“That new Clause 71A be added to the Bill.”

The motion was adopted.

New clause 71A was added to the Bill.

Clauses 72 to 79 were added to the Bill.

Clause 80

Amendment of Section 129A

Amendment made:

Page 21, *after* line 19, *insert*—

“(iii) in sub-section (7), in clause (a), the words “for grant of stay or” shall be omitted.”. (13)

(Shr Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

“That Clause 80, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 80, as amended, was added to the Bill.

Clauses 81 and 82 were added to the Bill.

**Clause 83 Substitution of new section for Section 129E.
Deposit of certain percentage of duty demanded or
penalty imposed before filing appeal**

Amendment made:

Page 21, line 30, *for* “duty demanded or penalty imposed or both”,
substitute,—

“duty, in case where duty or duty and penalty are in dispute,
or penalty, where such penalty is in dispute”. (14)
(Shr Arun Jaitley)

Page 21, lines 33 and 34, *for* “duty demanded or penalty
imposed or both”, *substitute—*

“duty, in case where duty or duty and penalty are in dispute,
or penalty, where such penalty is in dispute”. (15)

Page 21, lines 36 and 37, *for* “duty demanded or penalty
imposed or both”, *substitute—*

“duty, in case where duty or duty and penalty are in dispute,
or penalty, where such penalty is in dispute” .(16)
(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

“That clause 83, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 83, as amended, was added to the Bill.

13.00 hrs.

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, I beg to move:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of
Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it



requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 17 to the Finance (No. 2) Bill, 2014 and that this amendment may be allowed to be moved.”

HON. SPEAKER: The question is:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 17 to the Finance (No. 2) Bill, 2014 and that this amendment may be allowed to be moved.”

The motion was adopted.

**New Clause 83A Substitution of new section
for Section 129EE.**

Amendment made:

Page 21, *after* line 42, *insert*—

‘**83A.** In the Customs Act, for section 129EE, the following section shall be substituted, namely:—

“**129EE.** Where an amount deposited by the appellant under section 129E is required to be refunded consequent upon the order of the appellate authority, there shall be paid to the appellant interest at such rate, not below five per cent, and not exceeding thirty-six per cent, per annum as is for the time being fixed by the Central Government, by notification in the Official Gazette, on such amount from the date of payment of the amount till, the date of refund of such amount:

Provided that the amount deposited under section 129E, prior to the commencement of the Finance (No. 2) Act, 2014, shall continue to be governed by the provisions of section 129EE as it stood before the commencement of the said Act.”’. (17)

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

“That New Clause 83A be added to the Bill.”

The motion was adopted.

New Clause 83A was added to the Bill.

Clauses 84 to 94 were added to the Bill.

Clause 95 Amendment of Section 35B

Amendment made:

Page 24, *after* line 15, *insert*—

“(c) in sub-section (7), in clause (a), the words “for grant of stay or” shall be omitted.”. (18)

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

“That clause 95, as amended, stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 95, as amended, was added to the Bill.

Clauses 96 and 97 were added to the Bill.

Clause 98 Substitution of new section for Section 35F

Amendments made:

Page 24, line 26, *for* “duty demanded or penalty imposed or both”, *substitute*—

“duty, in case where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where such penalty is in dispute”. (19)

Page 24, lines 29 and 30, *for* “duty demanded or penalty imposed or both”, *substitute*—

“duty, in case where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where such penalty is in dispute”. (20)

Page 24, lines 32 and 33, *for* “duty demanded or penalty imposed or both”, *substitute*—

“duty, in case where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where such penalty is in dispute”. (21)

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

“That clause 98, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 98, as amended, was added to the Bill.

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, I beg to move:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 22 to the Finance (No. 2) Bill, 2014 and that this amendment may be allowed to be moved.”

HON. SPEAKER: The question is:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 22 to the Finance (No. 2) Bill, 2014 and that this amendment may be allowed to be moved.”

The motion was adopted.

**New Clause 98A Substitution of new section
for Section 35FF.**

Amendment made:

Page 24, *after* line 43, *insert*—

‘98A. In the Central Excise Act, for section 35FF, the following section shall be substituted, namely:—

“35FF. Where an amount deposited by the appellant under section 35F is required to be refunded consequent upon the order of the appellate authority, there shall be paid to the appellant interest at such rate, not below five per cent. and not exceeding thirty-six per cent. per annum as is for the time being fixed by the Central Government, by notification in the Official Gazette, on such amount from the date of payment of the amount till, the date of refund of such amount:

Provided that the amount deposited under section 35F, prior to the commencement of the Finance (No. 2) Act, 2014, shall continue to be governed by the provisions of section 35FF as it stood before the commencement of the said Act.”.

(22)

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEKAER: The question is:

“That New Clause 98A be added to the Bill.”

The motion was adopted.

New Clause 98A was added to the Bill.

Clauses 99 to 112 were added to the Bill.

First Schedule

HON. SPEAKER: There are amendment nos. 1, 2, 3, 4, 31, 32 and 33 to be moved by Prof. Saugata Roy to the First Schedule. Are you moving your amendments?

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam Speaker, I am not moving amendment nos. 1, 2, 3, 4 and 31, but I am moving only amendment nos. 32 and 33. I beg to move:

Page 35, *for* lines 2 to 4, *substitute*—

“(1) where the total income does not exceed Rs. 3,00,000	Nil;
(2) where the total income exceeds Rs. 3,00,000 but does not exceed Rs. 5,00,000	10 per cent. of the amount by which the total income exceeds Rs. 3,00,000;”. (32)

Page 35, for lines 12 to 14, substitute—

“(1) where the total income does not exceed Rs. 3,50,000	Nil;
(2) where the total income exceeds Rs. 3,50,000 but does not exceed Rs. 5,00,000	10 per cent. of the amount by which the total income exceeds Rs. 3,50,000;”. (33)

These amendments relate to raising of the exemption limit to Rs. 3,00,000, and raising of the exemption limit for senior citizens to Rs. 3,50,000. The Minister has proposed no amendments to the First Schedule. It would be my request to him to accept these amendments and raise the exemption limit in the interest of the middle class taxpayers so that more money comes into the pockets of middle class people, the neo-middle class... (*Interruptions*)

I have, therefore, moved Amendment Nos. 32 and 33. I would request you to take Amendment No.32 and Amendment No. 33 separately.

HON. SPEAKER: I will take them separately. It is okay.

I shall now put Amendment No. 32 moved by Prof. Saugata Roy to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. SPEAKER: I shall now put Amendment No. 33 moved by Prof. Saugata Roy to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

“That First Schedule to Ninth Schedule stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

First Schedule to Ninth Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

HON. SPEAKER: The Minister may move that the Bill be passed.

SHRI ARUN JAITLEY: I beg to move:

“That the Bill, as amended, be passed.”

HON. SPEAKER: The question is:

“That the Bill, as amended, be passed.”

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: Hon. Members, eight new clauses and some sub-clauses have been inserted in the Finance (No.2) Bill, 2014 that we have just passed. I, therefore, direct that wherever required the subsequent clauses and sub-clauses may be renumbered accordingly.

13.08 hrs

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.15 p.m.

*The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fifteen Minutes
past Fourteen of the Clock.*

14.16 hrs.*The Lok Sabha reassembled after lunch at Sixteen Minutes past
Fourteen of the Clock**(Dr. M. Thambidurai in the Chair)*

सुश्री महबूबा मुफ्ती (अनन्तनाग) : सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सदन में हार्टिकल्चर के बारे में इश्यू रेज़ करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जम्मू-कश्मीर की इकोनमी में हार्टिकल्चर रीढ़ की हड्डी है। जब हमारे स्टेट के हालात बहुत खराब रहे थे, हमारी अर्थव्यवस्था एक प्रकार से हैंडीकैप्ड हो गई थी, लेकिन हार्टिकल्चर ने ही हमारी स्टेट को जिंदा रखा, खासकर सेब उत्पादन की वजह से। देश में 70 प्रतिशत से ज्यादा सेब की पैदावार जम्मू-कश्मीर में होती है। जब हम सरकार में थे तो हमने इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए टोल टैक्स माफ किया था। इसके अलावा हमने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम शुरू की थी। हमने जगह-जगह मंडियां बनाई थीं। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले चार-पांच साल से इस इंडस्ट्री को बिल्कुल ही इग्नोर किया गया है। आज इसकी हालत यह है कि हमारे कुछ जिलों पुलवामा, शोपियां, कुलगाम और बड़गाम का कुछ एरिया है, जहां सेब की प्रोडक्शन काफी कम हो गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि फसल में बीमारियां बहुत लग गई हैं। इसके अलावा जो फर्टिलाइजर और केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, उनकी क्वालिटी बहुत खराब है और वे कॉस्टली भी बहुत हैं। इस कारण पिछले दो साल और इस साल प्रोडक्शन काफी कम हुई है। इस वजह से एप्पल ग्राउंस को बहुत नुकसान हुआ है। जम्मू-कश्मीर स्टेट में सौभाग्य से किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की है और न एप्पल ग्राउंस में किसी का हुआ है। अगर केन्द्र सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है और तुरंत शार्ट टर्म और लॉग टर्म मेजर्स नहीं उठाती है, तो मुझे खतरा है कि खुदा-न-खास्ता, जितना नुकसान उन एप्पल ग्राउंस का हो रहा है, जिन्होंने इतने कर्जे ले रखे हैं, उनके साथ कोई हादसा न हो जाए। इसलिए मैं कृषि मंत्री जी से अपील करना चाहती हूँ कि वह इसमें तुरंत शार्ट टर्म मेजर्स उठाकर जिन किसानों पर लोन है, केसीसी लोन या दूसरे हैं, उसमें तुरंत हस्तक्षेप करे, नजरसानी करे। इसके अलावा लॉग टर्म प्रोसेस में जो पुलवामा, शोपियां, कुलगाम और बड़गाम के एरियाज में ऑर्चेज़ बहुत पुराने हो गए हैं, उन्हें रिप्लेस करने की जरूरत है। जब तक वे पेड़ बने होंगे, तब तक उन किसानों को कोई न कोई पैकेज देने की जरूरत है। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी सदन में जो भी मंत्री जी बैठे हैं, वे इसे नोट कर लेंगे और कृषि मंत्री जी तक हमारी इस समस्या को पहुंचाएंगे। हमें यह भी उम्मीद है कि इसमें जरूर इंटरवेंशन होगा।

श्री निनोंग इरिंग (अरुणाचल पूर्व) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री जी को बोगीबील ब्रिज, जोकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रिज है, के बारे में बताना चाहता हूँ। यह ब्रिज उत्तर और दक्षिण आसाम को आपसे में जोड़ता है। साथ ही साथ यह अरुणाचल प्रदेश को भी जोड़ता है। यहां पर चीन की जितनी भी सीमाएं हैं, इसी ब्रिज के द्वारा आप वहां तक जा सकते हैं। आपने सुना होगा कि निइंगछी और शिगाटसे दोनों ने 254 किलोमीटर का रास्ता लहासा से निइंगछी तक बनाया है। अरुणाचल की हमारी जो सीमा है तुतिंग, गेलिंग और त्वांग तक वह सड़क पहुंचती है और दूसरी तरफ हमारे सिक्किम के नाथुला दर्रे तक पहुंचती है। इसमें आवश्यक है कि हम वहां जल्दी पुल का निर्माण करें क्योंकि अभी भी जो हमारे डिब्रूगढ़ के युवा मंत्री हैं सरबानंदा सोनवाल और हमारे तेली साहब का क्षेत्र है तीनों क्षेत्रों को यह जोड़ती है। अगर हमने इसे नहीं बनाया तो हमारे यहां फौजों की जो मूवमेंट होती है जल के द्वारा जो मूवमेंट होती है वह बहुत असुरक्षित है। हमें नदी को नाव के द्वारा पार करना होता है। इसलिए आपके द्वारा हम हमारे दोनों मंत्रियों को जानकारी देना चाहते हैं कि इस पुल का जल्दी से जल्दी बनना बहुत आवश्यक है।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : सभापति महोदय, मेरे अपने लोक सभा क्षेत्र जालौन, गरौठा, भोगनीपुर के जनपद कानपुर देहात के नगर-पालिका पुखराया में, वहां जिले के प्रशासन द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है और पांच व्यापारियों को बिना बताए, उनकी दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया, न उन्हें कोई नोटिस दिया गया जिससे उनका लाखों का सामान नष्ट हो गया है। सभापति जी, वहां के व्यापारी वहां पर आंदोलन कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने नगर-परिषद के ऊपर दवाब डालकर करीब 135 नोटिस और दुकानदारों को दे दिये हैं। जिस रोड के किनारे उनके मकान बने हैं उन मकानों की उनके पास रजिस्ट्री है और वह रजिस्ट्री 50-60 साल पहले उन्होंने कराई थी। जिनके मकान ध्वस्त किये गये हैं उनके पास रजिस्ट्री है, वे हाउस-टैक्स देते हैं लेकिन उसके बाद भी उनके मकान ध्वस्त कर दिये गये हैं। जिन मकानों को बाद में नोटिस दिये गये हैं उनके पास भी रजिस्ट्रियां हैं लेकिन जिला प्रशासन अपनी मनमानी पर उतारू है और वह जनता की कोई बात नहीं सुन रहा है। हमारा कहना है कि पहले उनकी जांच करा ली जाए। व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे जाकर मिला था और जिस दिन व्यापारी मिले, उसी दिन प्रशासन ने ये नोटिस दिये।

सभापति जी, जिस रोड का यह अतिक्रमण हटाने की बात कह रहे हैं उसे जनता उपयोग करती है, नगरपालिका उपयोग करती है और वह मेन-रोड भी नहीं है। मेन रोड कानपुर से झांसी असी-बाई-पास बन चुका है वहां बाहर से सारे वाहन निकलते हैं। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अपील

करता हूँ कि उस नगरपालिका क्षेत्र में कोई अप्रिय घटना न घटे, इसलिए इसे केन्द्र सरकार अपने संज्ञान में ले और उसकी जांच कराए। जनता और व्यापारियों के ऊपर हो रहे उत्पीड़न को समाप्त कराए।

श्री हंसराज गंगाराम अहीर (चन्द्रपुर): महोदय, कल जो रेल दुर्घटना हुई थी, उसी के बारे में मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूँ कि बिना चौकीदार के ऐसे हजारों गेट हमारे देश में हैं। कल कई सांसदों ने इस घटना पर संसद में दुख प्रकट किया था और सरकार ने भी संवेदनशीलता दिखाई थी तथा उन्हें मुआवजा देने की घोषणा की है। इस तरह से निर्दोष बच्चों की मृत्यु होने से बहुत दुख हुआ है। मैं रेल मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि बिना चौकीदार के जो रेलवे फाटक हैं, उनके बारे में वे चिंतित हैं। इन सभी गेटों पर चौकीदार होने ही चाहिए। ये जनता की जान-माल के साथ खिलवाड़ है। यह जनता का अधिकार है और इसे मैं मानवाधिकार का हनन भी मानता हूँ। ऐसी दुर्घटना पहली बार नहीं हुई है। इसके पूर्व भी ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी दुर्घटनाएं भविष्य में नहीं होनी चाहिए। इससे पहले जो दुर्घटनाएं मेरे यहां हुई थीं, मैं उनका जिक्र करने जा रहा हूँ। एक बार मूलमरुणा गेट पर ऐसी घटना हुई थी। ट्रेक्टर पर खेत में काम करने वाले मजदूर जा रहे थे, उन सभी का रेल से टकराकर दुखद अंत हुआ था। वैसे ही मानकी गेट पर आटो की दुर्घटना हुई, उसमें छह लोग बैठे थे। उनमें से पांच लोगों की मौत हो गई थी। इस तरह की जो दुर्घटनाएं होती हैं, इसके लिए मैं चालकों को अपराधी नहीं मानता हूँ, बल्कि सरकार को, रेल मंत्रालय को अपराधी मानूंगा क्योंकि वे ऐसे गेट न छोड़ें जहां पर चौकीदार न हों। रेल फाटकों पर चौकीदारों की नियुक्ति होनी चाहिए। निर्दोष लोगों की मौत नहीं होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से विनती करता हूँ कि इस भावना को रेल मंत्रालय समझे। आप उन्हें सूचना दें कि ऐसे फाटकों पर चौकीदारों की नियुक्ति होनी चाहिए अथवा ऐसे गेट हों जहां अंडर पास बनाए जाएं। ऐसी सभी जगह पर आरओबी बनाए जाएं।

श्री पी.पी.चौधरी (पाली) : महोदय, मैं अपने आपको श्री अहीर द्वारा उठाए गए मुद्दे से सम्बद्ध करता हूँ।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : सभापति जी, मैं अपने संसदीय क्षेत्र बांदा-चित्रकूट में चिकित्सा व्यवस्था बड़ी दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है। वहां केंद्र का कोई बड़ा अस्पताल नहीं है। न ही एम्स है और न कोई बड़ा अस्पताल है। जिला अस्पतालों से ले कर ग्रामीण एवं सभी अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी है। बीमारियों के विशेषज्ञ नहीं हैं, खासकर ग्रामीण अंचल के अस्पतालों में तो महीनों यहां तक कि वर्षों से कोई डाक्टर ही नहीं है।

माननीय सभापति : यह स्टेट सबजेक्ट है।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र : सभापति जी, फार्मासिस्टों की पदस्थापना में उत्तर प्रदेश की सत्ता का दबाव इतना अधिक है कि फार्मासिस्ट जिला मुख्यालय में ही कुंडली जमाए बैठे हैं। केंद्र सरकार जो अस्पताल खोलना चाहती है या तो नजदीक खोले जाएं या राज्य सरकार पर दबाव डाले कि चिकित्सा व्यवस्था को ठीक करे। स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतर गिरती हालत और ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ती बीमारी से जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। इलाज के अभाव में निरंतर लोग अकाल मृत्यु झेलने को मजबूर हैं। वहां ट्रोमा सेंटर खोलने की आवश्यकता है। ग्रामीण अंचलों में सचल चिकित्सा वाहन चलाए गए थे, वे भी काफी समय से बंद कर दिए गए हैं। गरीब और असहाय रोगी मजबूरी में 150 किलोमीटर दूर इलाहाबाद या 200 किलोमीटर दूर लखनऊ अथवा 220 किलोमीटर दूर कानपुर जाने के लिए सूदखोरों से मनमानी ब्याज पर कर्ज ले कर इलाज हेतु जाते हैं। महंगे इलाज से यदि ठीक भी हो जाते हैं तो इलाज के लिए जो कर्ज लेते हैं उसे वापिस करने के लिए खेतीबाड़ी तथा बहु बेटियों के जेवरात तक बेचने पड़ते हैं।

अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए बांदा-चित्रकूट लोकसभा क्षेत्र के दर्जनों सुविधाविहीन अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति सुधारने के लिए भारत सरकार से अनुरोध कर रहा हूं ताकि मूलभूत सुविधा के अभाव में अमूल्य जिंदगी के लगातार ह्रास को रोका जा सके।

श्री मुकेश राजपूत (फर्रुखाबाद) : महोदय, मुझे आपने शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं फर्रुखाबाद संसदीय क्षेत्र से आता हूं। हमारे यहां एक कम्पिल तीर्थ स्थली है, वहां आज तक कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। यह जैन भगवान बिमल नाथ जी के गर्भ, जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान का प्रतीक है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस जगह को पर्यटन स्थल में घोषित किया जाए।

दूसरा हमारे यहां संकिसा स्थान है। जहां भगवान दुद्ध अवतरित हुए थे। यह बौद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किल में आठवां स्थान रखता है। केवल हिंदुस्तान से नहीं बल्कि पूरे विश्व से लगभग सौ देशों के बौद्ध अनुयायी आते हैं। उनके लिए आवागमन का कोई विशेष साधन नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि उक्त दोनों पर्यटन स्थलों को धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में घोषित करें जिससे वहां के रास्ते ठीक हो जाएंगे। वहां रेल व्यवस्था नहीं है।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, with your permission I want to raise a matter regarding the Indian Council for Historical Research or ICHR.

The ICHR is the premier organization in the country guiding and funding historical research in the country and is under the Union Ministry of Human Resources Development. It has its office at 35, Foroz Shah Road in Delhi. Now,

the appointment of...* a former professor in the Kakatiya University in Telangana area, as the Chairman of the Indian Council for Historical Research has created a controversy in the academic circles and has re-ignited the saffronization debate among the academics.

Eminent historian, premier historian of ancient India, Dr. Romila Thapar has recently written an article questioning the academic credentials of the newly appointed Chairman. Few people in the history circles have heard of ...* His appointment was done quietly on the sly in the week when the HRD Ministry was busy with the standoff between the University Grants Commission and the Delhi University on the four-year undergraduate programme.

..* has said that he does not belong to the RSS but he shares the RSS view in maintaining that Indian intellectual and spiritual achievements have no parallel... (*Interruptions*)

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): सर, जीरो ऑवर में कोई पढ़कर नहीं बोल सकता।... (व्यवधान)

यह ठीक नहीं है।... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Prof. Saugata Roy, please listen to me.

PROF. SAUGATA ROY : What is wrong?... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I am handling the matter. Please take your seats.

PROF. SAUGATA ROY : You please tell me what is wrong in what I am saying.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please take your seat.

PROF. SAUGATA ROY : It is now 'Zero Hour' which has been approved by the Speaker. It is a small statement I am reading.

HON. CHAIRPERSON: You cannot mention the name of a person who is not in the House. Why are you bringing his name? He is not here. You cannot bring his name.

... (*Interruptions*)

* Expunged as ordered by the Chair.

PROF. SAUGATA ROY: Please listen to me. I am not making allegation or attributing or denouncing anybody. I am just saying that there is a controversy over his appointment.

HON. CHAIRPERSON: Do not mention his name. The name that you have mentioned cannot go on record. That is what I am telling you.

PROF. SAUGATA ROY: The House should permit this much of freedom of speech. Article 105 is there. So, are you asking me to expunge the professor's name?

HON. CHAIRPERSON: I have already expunged the name.

PROF. SAUGATA ROY : All right, no problem.

This new Chairman has said that he does not belong to the Rashtriya Swayamsevak Sangh but he shares the view of the RSS in maintaining that Indian intellectual and spiritual achievements have no parallel. His eagerness is to fix a date for the Mahabharata. No historicity is there. He wants to say that the Mahabharata was written in a particular time. That effort has also been questioned by historians. The new Chairman has a view on the caste system. He supports the caste system. ... (*Interruptions*) Please listen to me.

I can understand the ruckus raised by the RSS supporters but please listen that there should be some academic freedom in this country and we cannot subject our education and research system to saffronization. We cannot subject it to a particular philosophy. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : Shri Chhedi Paswan.

... (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY : Sir, please let me complete it. ... (*Interruptions*) I am reading a statement, which is approved by the Speaker. I am carrying this. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You have already read it.

... (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY : Let me complete it. ... (*Interruptions*) Sir, his articles have not been subjected to any peer review, nor have they been published in any reputed historical journal. ... (*Interruptions*) Because of this controversy, I would urge the Government to reconsider the appointment of the present Chairman, who will tend to saffronize education and historical research.

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : माननीय सभापति जी, राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर मोहनसराय वाराणसी, उत्तर प्रदेश से औरंगाबाद बिहार तक 192.400 किलोमीटर हो रहे छः लेन निर्माण कार्य में लगी कंपनी द्वारा 12.09. 2011 से ही छः लेन रोड का शुल्क लिया जा रहा है जबकि कंपनी को उक्त वर्णित कार्य 8 मार्च 2014 तक पूरा करना था लेकिन अभी तक एक-तिहाई कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। अब तक 500 करोड़ रुपए का अवैध शुल्क का कलैक्शन कर लिया गया। एक तरह से यह आर्थिक अपराध है। माननीय प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा घोषित स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में यह रोड बनाया जा रहा है, अब तक लगभग 500 करोड़ रुपए की अवैध उगाही कर ली गई है जबकि छः लेन रोड तैयार भी नहीं हुई है। 25 परसेंट काम हुआ है तब भी शुल्क की उगाही जारी है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि जांच उपरांत उपर्युक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनुचित उगाही को समाप्त करने और शीघ्र सरकार द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय राजमार्ग-2 मोहनसराय वाराणसी, उत्तर प्रदेश से औरंगाबाद, बिहार तक छः लेन का शीघ्र निर्माण करने हेतु संबंधित विभाग को निर्देशित किया जाए ताकि आम जनता को आर्थिक अपराध एवं अवैध उगाही से छुटकारा मिल सके।

महोदय, छः लेन रोड का निर्माण किए बिना अनुचित एवं अवैध शुल्क की उगाही के विरुद्ध ठोस कानूनी कार्यवाही की जाए जिससे करोड़ों का अवैध शुल्क उगाही के दोषी को दंडित किया जाए। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि आप सरकार को निर्देशित करें ताकि प्राइवेट कंपनी को दंडित किया जाए, जुर्माना लगाया जाए और जनता से कलैक्ट किया हुआ शुल्क लौटाया जाए।

श्री बलभद्र माझी (नबरंगपुर): माननीय सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं प्रोजेक्ट डिले के बारे में बोलना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले वन एवं पर्यावरण मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही कि किस तरह से प्रोजेक्ट जल्दी हो सकते हैं। उन्होंने वन एवं पर्यावरण अनुमति के सरलीकरण की बात कही और कुछ प्रकल्प के लिए छूट भी दी। इसी से उत्साहित होकर ही मैं अपनी बात कह रहा हूँ। मैं विशेषकर लीनियर प्रोजेक्ट, जैसे कि नेशनल हाईवेज़ और रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में कहना चाहता हूँ। जिस दिन प्रोजेक्ट सैंक्शन होता है, प्रकल्प अधिकारी चक्रव्यूह में फंस जाता है। कैसे? क्योंकि वन और पर्यावरण मंत्रालय, इरीगेशन मंत्रालय, पीडब्ल्यूडी, तहसीलदार, लैंड एक्वीजिशन अफसर, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, म्युनिसिपिलिटी, इलैक्ट्रिकल और टेलीफोन डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेनी पड़ती है। इस तरह से इसे मुजरिम बना दिया जाता है और हर कोई पूछता है कि प्रोजेक्ट कैसे पूरा करेंगे क्योंकि क्लियरेंस लिए बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। बेचारा प्रोजेक्ट क्या करेगा? वह हर किसी के पास दौड़ता रहता है, इससे क्लियरेंस लो, उससे क्लियरेंस लो। कई जगह तो ऐसे होता है कि प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाता है, और सालों तक पड़ा रहता है। मैं रेलवे लाइन का नाम नहीं लूंगा, सैंक्शन को 15 साल हो गए लेकिन अभी तक फोरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिली है। एक टुकड़ा जमीन को सरकार ने पहले गवर्नमेंट लैंड के हिसाब से रेलवे को ट्रांसफर कर दिया। अभी कुछ महीने पहले बताया गया कि यह सरकारी जमीन नहीं जंगल है इसलिए पहले फोरेस्ट डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लीजिए। इसमें ये सब दिक्कतें हैं और फोरेस्ट क्लियरेंस का जो पहले नियम था, उसमें एक नई चीज डीजीपीएस सर्वे कराने की और डाल दी। डीजीपीएस सर्वे का मतलब है कि सैटेलाइट से सर्वे करके प्रोजेक्ट अथारिटी को प्रमाणित करना है कि यहां जंगल है या नहीं है। उसी प्रोजेक्ट में जब डीजीपीएस सर्वे किया और जिस एरिया को ये लोग अपने कागजों में जंगल या जमीन बतला रहे हैं, वह डीजीपीएस सर्वे में दीख नहीं रहा है। फिर वे संबंधित डीएफओ को लेकर रेलवे अथारिटी गये, वहां डीएफओ दूढ़ रहा है कि जंगल कहां है। क्योंकि वहां एक भी पेड़ नहीं था। कागज में जंगल है और उसकी क्लियरेंस लेने में इतने साल लग रहे हैं। डीजीपीएस सर्वे कराने से भी फाइनली क्या होता है कि वहां कितने पेड़ हैं, यह आपको गिनना पड़ता है। जैसे एक बार आपने प्रोजेक्ट का एलाइनमेंट फिक्स कर दिया, सबको पता है कि इस दिशा में कितनी दूरी और चौड़ाई है। एक बार जब डिमार्केशन हो गया तो डिमार्केशन

होने के बाद हर डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कि उसमें रेलवे लाइन बनाने के लिए इलैक्ट्रिसिटी का क्रासिंग, टेलिफोन लाइन का क्रासिंग, कोई इरिगेशन कैनल या जो भी चीजें हैं, सभी को पता है कि उसमें ये-ये चीजें आती हैं। फिर ऐसा क्यों न करे कि वही विभाग उसे अधिग्रहण करके हमें दे। अन्यथा प्रोजेक्ट इसी में फंसा रहेगा कि हर किसी के पास दौड़ता रहे, फाइनली होता क्या है बहुत सारे काम हो गये, लेकिन रेलवे लाइन ऐसी चीज है कि सब कुछ बन गया, अगर एक इंच बीच में रह गया, एक इंच टुकड़ा भी रह गया तो आप उसे कमीशन नहीं कर सकते।

महोदय, इसमें मेरा सुझाव है कि डीजीपीएस सर्वे वाली चीज हटा दें और आज के दिन फारेस्ट की क्लियरेंस के लिए पांच हैक्टेअर से ज्यादा होने पर सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना पड़ता है। उसे बढ़ाकर पचास हैक्टेअर कर दें और जो क्लियरेंस है, कंसर्न्ड डिपार्टमेंट सुओ मोटो अपना दे न कि प्रोजेक्ट अथारिटी को जबरदस्ती करें कि आप ही को देना है। यही शब्द कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Hon. Chairperson, Sir, I would like to bring to the notice of the House a very serious and urgent matter. There is an inordinate delay in EAMCET counselling and I would request the Government of India to immediately intervene and direct the Government of Telangana to start EAMCET counselling at the earliest.

Admissions into engineering and medical colleges in undivided Andhra Pradesh used to take place through annual EAMCET examination, and even after the bifurcation, it was to continue. Section 95 of the Andhra Pradesh Reorganisation Act says and I quote:

“In order to ensure equal opportunities for quality higher education to all students in the successor States, the existing admission quotas in all government or private, aided or unaided, institutions of higher technical and medical education in so far as it is provided under Article 371D of the Constitution, shall continue as such for a period of ten years during which the existing common admission process shall continue.”

This clearly shows that admissions have to be made on the basis of Section 95 and Article 371D, and also as per the Presidential Order and 6-point formula, but the Government of Telangana has taken a decision and decided to fix 1956 as the cut-off date to determine local status of the candidates in spite of knowing that

it goes against the Constitution and against the Andhra Pradesh Reorganisation Act. This intention of the government of Telangana is to delay the counseling as much as possible so that students from Seemandhra will take admissions in colleges of other States and after that, it wants to fill those seats with students from Telangana. This act is not only in violation of the above Act, but also against Article 15 of the Constitution which guarantees right to equality. Section (1) of Article 15 reads:

“The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them.”

The Government of Andhra Pradesh has sent the file to Telangana Government for its concurrence for the joint admission process as mandated under Section 95 of the Andhra Pradesh Reorganisation Act, but the Government of Telangana is holding up the process.

In view of the above, if immediate intervention by the Central Government is not made in commencing the EAMCET counselling, the future of lakhs of students from Seemandhra will be in limbo. So, I urge upon the hon. Home Minister to immediately, without any further delay, intervene and direct the Government of Telangana to start the admission process by starting EAMCET counselling immediately.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदय, अभी सी.आर. रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट आई है। वह रिपोर्ट यह कह रही है कि यदि 32 रूपये गांवों में कोई परिवार कमा रहा है, 47 रूपये यदि शहरों में कमा रहा है तो वह गरीबी रेखा के ऊपर है। इस देश में, इस पार्लियामेंट में लगातार जब भी मैं भाषण सुनता हूँ, भाषण करता हूँ तो गरीबों के लिए बातें होती हैं। गरीब के अलावा किसी की बात नहीं होती है। लेकिन गरीबों के साथ कितना बड़ा मजाक होता है, इसका उदाहरण यह है कि पहली बार सन् 1962 में योजना आयोग ने यह निर्णय लिया कि गरीबी रेखा के ऊपर कौन है और नीचे कौन है, इसके बारे में विचार किया जाए। उसको 15 साल लग गए एक कमेटी बनाने में। सन् 1977 में वाई.के. अलघ की एक कमेटी बनी, जिसने यह निर्धारित किया कि यह गरीब है और यह अमीर है। उसके इंप्लिमेंटेशन के लिए एक लकड़वाला कमेटी बनी, सन् 1977 से ले कर 1989 लग गया, लकड़वाला कमेटी को 12 साल लग गए। जब सन्

1993 में उसकी रिपोर्ट आई तो फाइनली सन् 2003-04 में, प्रिसाइज़ली यदि उसको कहें तो सन् 2006 में तेंदुलकर कमेटी बन गई। इसी यूपीए सरकार ने तीन कमेटी और बनाई। तेंदुलकर कमेटी बन गई। इसके बाद अर्जुन सेन गुप्ता की कमेटी बन गई। उसके बाद एन.सी. सक्सैना कमेटी बन गई। जब इन सारी कमेटियों से काम नहीं हुआ तो एक हासिम कमेटी बन गई कि वह अर्बन पूअर को अलग से देखेंगे और रूरल पूअर को अलग से देखेंगे। उन सभी के ऊपर एक सी. रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट बन गई। सी. रंगराजन साहब ने गरीबों के साथ इतना बड़ा मजाक किया। महोदय, उन्हीं सी. रंगराजन साहब ने, जब गैस के प्राइस बढ़ाने की बात आई तो उन्होंने कहा कि 4.2 एम.एम. बीटीयू से, चूंकि मार्केट प्राइस से तय होना है कि अमरीका में गैस का प्राइस कितना होगा, यू.के. में गैस का दाम कितना होगा, इतना ही हिंदुस्तान में होना है तो 4.2 डॉलर से बढ़ा कर उसको 8.4 कर दिया।

सभापति महोदय, हम जो पेट्रोल और डीजल के लिए रोज यहां हंगामा करते हैं, वह कहा जाता है कि मार्केट तय करता है और पेट्रोलियम कंपनियां कहती हैं कि अण्डर रिकवरी होती है। अण्डर रिकवरी यह होती है कि अमरीका में किस रेट में बेचा जा रहा है, यू.के. में किस रेट में बेचा जा रहा है। उस कमेटी को भी रंगराजन साहब ही हैड कर रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि जब आपको विदेश से ही सब कुछ लेना है और विदेश का एक मापदण्ड है तो सन् 2005 में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट दी कि दुनिया में गरीब कौन है। सन् 2005 की रिपोर्ट है, दुनिया में गरीब वह है, जो कि 1.25 डॉलर से कम कमाता है। यदि 1.25 डॉलर को भी आज की स्थिति में माना जाए तो, मिनिमम 75 रुपये, सन् 2005 का है, यह सन् 2014 में हम लोग बात कर रहे हैं, उस रेट के हिसाब से लगभग 100-110 रुपये के आस-पास वर्ल्ड बैंक पहुंच चुका है, पूरी दुनिया पहुंच चुकी है, यू.एन. का रिज़ॉल्युशन है, तो रंगराजन साहब अमीरों के लिए तो 4.2 से 8.4 हो जाते हैं, लेकिन जब गरीबों की बात आती है तो 32 रुपये और 47 रुपये पर क्यों आते हैं?

सभापति महोदय, मैं इस सरकार से मांग करना चाहूंगा कि आप रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट को जाने दीजिए और यू.एन. में, वर्ल्ड बैंक में, आईएमएफ में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो गरीबों का एक मापदण्ड है कि मिनिमम 100 या 110 रुपये गांव में रहने वाले और 150 रुपये से कम जो शहर में रहने वाले हैं, उनकी एक रेखा निर्धारित कीजिए, जिससे गरीब-गरीब का निर्धारण हो पाए, गरीबों का हम मजाक नहीं उड़ाएं और गरीबों को लगे कि वे भी सम्मान के साथ जिंदगी जीते हैं। मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहता हूँ।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members Shri Bhartruhari Mahtab, Shri Arvind Sawant, Shri Om Prakash Yadav and Shri Arjun Ram Meghwal are allowed to associate with the issue raised by Shri Nishikant Dubey during 'Zero Hour'.

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): सभापति महोदय भूख से मौतें या बच्चों की खरीद-फरोख्त अथवा महिलाओं की बिक्री यह किसी भी सभ्य समाज के लिए एक कलंक है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं आज भी देश के कई प्रांतों में हो रही हैं। ताजा प्रकरण उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है, यह हर मोर्चे पर विफल है। वहां पर अराजकता है। वहां पर कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ यदि आम जनमानस को मिला होता तो संभवतः ये स्थितियां नहीं होती। प्रस्तुत प्रकरण जनपद हमीरपुर, बुंदेलखंड का है, जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को 25 हजार रूपए में बेच दिया है।

महोदय, यह घटना तब होती है जब वह अपनी पत्नी को पहले अलग-अलग लोगों से खरीदने की बात करता है, जब कोई खरीदने को तैयार नहीं हुआ तो उसने एक सार्वजनिक पंचायत बुलायी और उसने सार्वजनिक पंचायत के माध्यम से अपनी पत्नी की नीलामी की और वहां पच्चीस हजार रूपए में एक व्यक्ति ने उसकी पत्नी को खरीदा। वहां प्रशासन पंगु बना हुआ है। शासन के कानों में इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बाद भी जूं नहीं रेंगती है। यह गंभीर प्रकरण है। इस देश के अंदर आज भी सभ्य समाज के अंदर बच्चों की बिक्री हो, महिलाओं की बिक्री हो, लोग भूख से मरें, यह अत्यन्त शर्मनाक स्थिति है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस प्रकार के प्रकरण को गंभीरता से लें और इसके लिए जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए कि इस प्रकार की घटनायें क्यों घटित हो रही हैं? इसके लिए केवल प्रशासन ही नहीं, वहां की राज्य सरकारें भी दोषी होनी चाहिए, जहां पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। अगर ये व्यवस्थायें ठीक ढंग से लागू होतीं तो संभवतः इस प्रकार की स्थिति नहीं पैदा होती।

महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार इसका संज्ञान ले और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें।

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : महोदय, जीरो ऑवर में मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। पोस्टल डिपार्टमेंट का इस देश के डेवलपमेंट में बड़ा योगदान रहा है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, वह महाराष्ट्र का एक जिला हिंगोली है। डेढ़ सौ साल पहले जब पोस्टल डिपार्टमेंट की शुरुआत हुयी थी, उस समय हमारे यहां पोस्ट की बिल्डिंग का निर्माण हुआ था। वहां पोस्टल डिपार्टमेंट की बिल्डिंग डेढ़ सौ साल पुरानी थी, अब दस-बारह साल हो गए, वहां पर बिल्डिंग नहीं है, पोस्ट आफिस स्टॉफ की बिल्डिंग में चल रहा है और बेचारे स्टॉफ को अपने घर के लिए कहीं बाहर घूमना पड़ रहा है। करीब 90 हजार वर्ग फीट की जगह पोस्टल डिपार्टमेंट की वहां पर एवलेबल है।

मंत्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि हम सब जगह पर पोस्टल की बिल्डिंग नहीं बना सकते, लेकिन कम से कम जिले में तो यह बिल्डिंग होनी चाहिए। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि हिंगोली में पोस्टल डिपार्टमेंट की बिल्डिंग बने।

दूसरा, इसमें एक इश्यू यह था कि महाराष्ट्र के जो साढ़े तीन शक्तिपीठ हैं, उसमें से मेरी कांस्टीच्युएंसी में माहुर जो माता का एक स्थान है, हर साल करीब एक करोड़ से ज्यादा लोग वहां पर आते हैं, लेकिन वहां पर भी पोस्टल डिपार्टमेंट की कोई बिल्डिंग नहीं है। चालीस साल से पोस्टल का ऑफिस रेन्टेड बिल्डिंग में चल रहा है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह रहेगा, हिंगोली जिला है, वहां पोस्टल डिपार्टमेंट की बिल्डिंग होनी चाहिए और माहुर जो साढ़े तीन शक्तिपीठ से माता का शक्तिपीठ है, वहां पर भी पोस्टल डिपार्टमेंट की बिल्डिंग बननी चाहिए। मुझे समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं शून्यकाल में आपके माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठा रहा हूँ। आचार्य तुलसी तेरापंथ समाज के आचार्य थे और इनका जन्म शताब्दी वर्ष इस वर्ष मनाया जा रहा है। भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ाने तथा सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के मापदंड विकसित करने में आचार्य श्री तुलसी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आचार्य तुलसी ने 29 अप्रैल 1950 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेन्द्र प्रसाद जी से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात कर अणुव्रत के बारे में जानकारी दी थी। इसके बाद 19 दिसंबर 1974 को संसद भवन में आचार्य श्री तुलसी का सांसदों के समक्ष उद्बोधन भी हुआ था। जीवन में चरित्र निर्माण और नैतिकता के विकास के लिए आचार्य श्री तुलसी ने अणुव्रत की स्थापना की थी। अणुव्रत छोटे-छोटे वृत्तों की वो श्रृंखला है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपना नैतिक विकास कर सकता है। आचार्य तुलसी ने विधायिका में नैतिकता के विकास के लिए अपने स्तर पर अणुव्रत संसदीय मंच की भी स्थापना की थी जो वर्तमान में भी कार्यरत है। वर्ष 2013 में भारत सरकार ने इनके नाम से डाक टिकट भी जारी की है। मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार से यह मांग है कि किसी महत्वपूर्ण संस्था या योजना का नाम आचार्य श्री तुलसी के नाम से किया जाए, जिससे नैतिकता के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था एवं महापुरुषों को एक प्रेरणा मिल सके। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रसन्न कुमार पाटसाणी (भुवनेश्वर): मैं स्वयं को श्री अर्जुन राम मेघवाल जी द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध करता हूँ।



श्री जुगल किशोर : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार ध्यान आए दिन जम्मू-कश्मीर में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान के द्वारा फायरिंग की जाती है और उस फायरिंग में काफी निर्दोष लोग शिकार बनते हैं। इसके साथ-साथ उनके पशुओं को भी निशाना बनाया जाता है और कई बार तो बम उनके घरों पर आ कर गिरते हैं। पिछले दिनों साम्बा और अखनूर एरिया में पाकिस्तान द्वारा की गयी फायरिंग में काफी नुकसान हुआ है। कोई भी ऐसी ठोस पॉलिसी बॉर्डर एरिया के लोगों के लिए नहीं है, जिससे उनको राहत मिल सके। हर बार फायरिंग होती है, लेकिन वह उसमें डटे रहते हैं। बिना हथियार के वह जम्मू-कश्मीर बॉर्डर पर एक प्रहरी की तरह डटे हैं। उन लोगों को राहत देने के लिए न तो जम्मू-कश्मीर सरकार की कोई पॉलिसी है और न ही केन्द्र सरकार की कोई पॉलिसी है। मैं आपके माध्यम से सरकार को यह बताना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति के मकान पर जब कोई गोला गिरता है तो उसके परिवार का क्या हाल होता होगा? उनके पशु मारे जाते हैं। पिछले दिनों में अर्णिया में एक बच्चे को, जो कि चौक पर खड़ा था, टांग में आ कर गोली लगी। वहां हमेशा दहशत का माहौल बना रहता है। वहां से लोगों को शिफ्ट करने के लिए भी कोई अच्छा प्रावधान नहीं है। मेरी सरकार से यह मांग है कि वह उन लोगों के लिए कोई ऐसी बीमा योजना बनाए, जिसमें जब किसी को गोली लगती है या गोला किसी के घर में गिरता है या कोई मवेशी मरता है या किसी जान-माल का नुकसान होता है तो उसकी भरपायी की जा सके ताकि लोग बॉर्डर पर डटे रहें अन्यथा वहां से पलायन होना शुरू हो रहा है, जो कि सही नहीं है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि जब भी किसी को गोली लगे या मकान पर गोला गिरे या मवेशी मारा जाए तो तुरन्त उसको राहत दी जानी चाहिए।

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYANAGAR): Thank you hon. Chairman for giving me an opportunity in this august House. I would like to know from the hon. Minister for Women and Child Development, through you, that what are the parameters set by the Government of India to determine malnutrition among children across the country. Has any survey or study been conducted recently regarding the utility and effectiveness of such parameters set?

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : महोदय, मैं एक अति लोक महत्व के विषय को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जब यूपीए की सरकार थी तो बुंदेलखण्ड पैकेज की बात हुई थी जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा, गरीब और पेयजल संकट से जूझता क्षेत्र है। मेरा क्षेत्र भी उसी में आता है। उसमें तीन जिले दमोह, सागर और छतरपुर मध्य प्रदेश का हिस्सा है। एक बड़ा पैकेज बुंदेलखण्ड के लिए दिया गया था, जिसमें पेयजल की योजनाओं का बड़ा ढिंढोरा इसी सदन में और सदन के बाहर पीटा गया था। मैं अपनी

क्षेत्र में 26 स्थानों पर गया, जहां नल-जल योजना संचलित था। एक भी योजना छः दिन से ज्यादा नहीं चली। उसकी तकनीकी खामियां और उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। यह पूरा पैसा भारत सरकार का पैसा है और बुंदेलखण्ड पैकेज के नाम पर इतनी बड़ी-बड़ी बातें की गयी थीं, लेकिन वह सारी की सारी योजना पूरी तरह से भ्रष्टाचार में समा गयी। एक योजना की कीमत कम से कम 52 लाख रुपये से लेकर 82 लाख रुपये तक है। यह मैं उन 26 योजना की बात कर रहा हूं, जिनको मैं देख कर आया हूं।

15.00 hrs.

वहां पर सभी योजनाएं विफल हैं।

महोदय, भारत सरकार की जल संसाधन मंत्री उसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि मंत्री उस बात को कहें कि चाहे जो भी बुंदेलखण्ड का पैकेज बने, चाहे वह सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए हो, लेकिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उन्हें दंडित किया जाए।

महोदय, मैं इस अवसर पर इतना ही मांग करता हूं।

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान) : सभापति महोदय, आप ने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

15.01 hrs.

(Shri Arjun Charan Sethi in the Chair)

महोदय, रेल बजट वर्ष 2010-11 में तत्कालीन रेल मंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने एक महत्वपूर्ण रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव किया था। यह छपरा जिले के मांझी रेलवे स्टेशन से उत्तर प्रदेश के लार स्टेशन तक थी जिसकी दूरी लगभग 90 किलो मीटर थी। इसके लिए जमीन का सर्वे हो गया है लेकिन आज तक उसमें कोई उपलब्धि नहीं है। उसमें कोई काम नहीं हो रहा है।

महोदय, हम आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहेंगे कि उस क्षेत्र में जो नयी रेलवे लाइन प्रस्तावित है, वह काफी महत्वपूर्ण है। यह दियारा क्षेत्र है। वहां के लोगों को आने-जाने में काफी कठिनाई होती है। हम आप से अनुरोध करेंगे कि छपरा के मांझी से उत्तर प्रदेश के लार रेलवे स्टेशन तक जो नयी रेल लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है, इस पर तत्काल कार्य प्रारंभ कराया जाए।

माननीय सभापति : श्री गणेश सिंह - उपस्थित नहीं।

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): Mr. Chairman, Sir, I would like to invite the attention of this House and also the Government of India through you to the sad

plight of more than 36,000 Rohingya refugees in the country. These Rohingya refugees have come from the State of Rakhine in Myanmar. In June 2012, one of the largest genocides in the Asian continent took place in Munto, Rakhine in western Myanmar. Some of these refugees are now in Delhi, some of them are in Jammu and Kashmir and some of them are in Haryana, Hyderabad, etc.

Mr. Chairman, I have personally visited one of the refugee camps here in Delhi in Kalindi Kunj. More than 400 people are living there in shanty shelters which have been made of plastic waste and filthy clothes. Three children have died during the last months because of snake bites alone. The only property these refugees have is the identity card issued by the United Nations High Commission for Refugees.

Sir, this genocide which happened in our neighbouring nation Myanmar, is just like that one of the largest genocides that have happened in Sri Lanka. Now these people are starving; they do not have clothes. Any time an epidemic may come and more children may die. It is high time that the Government of India took up this matter with the United Nations offices concerned because some of the refugees who have fled from Myanmar are in Australia now, some are in the Kingdom of Saudi Arabia, in Thailand, Indonesia and Malaysia. The United Nations have passed some resolution for the settlement of these Rohingya refugees. Mr. Chairman, Sir, one refugee camp is in Kalindi Kunj and another is in Shaheen Bagh in Okhla.

We have to take the issue to the international fora. We have to provide some shelters and also provide some permanent settlement. We have to either send them back safely to their homeland or some other alternative have to be provided because the children do not have any access to education or health. Some of the women are suffering from cancer. This is a very serious situation. This involves the lives of more than 36,000 human beings. My humble submission is that you have ample powers, hon. Chairman, Sir, to give a direction to the Government to

take up this issue at the international fora concerned and help the displaced community.

HON. CHAIRPERSON : Next, Shri Ram Kirpal Yadav. Shri Yadav, you will have to take only two minutes because we have a large number of hon. Members to raise important issues.

श्री राम कृपाल यादव (पाटलीपुत्र) : माननीय सभापति महोदय, मैं अत्यन्त ही महत्वपूर्ण समस्या की तरफ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, जो हमारे बिहार और हमारे क्षेत्र से लगी हुई है। हमारे यहां सोन प्रणाली है। सारे सोन प्रणाली में पानी न आने की वजह से पूरे बिहार के नौ जिले प्रभावित हो रहे हैं। सोन प्रणाली की जो नहर है, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। उसमें पानी मध्य प्रदेश के बाणसागर डैम से आता है और मध्य प्रदेश से बिहार सरकार का एग्रीमेंट है कि हर साल लगभग एक मिलियन एकड़ फीट में पानी वह उपलब्ध कराएगा। 1973 में यह एग्रीमेंट हुआ था, मगर मैं आपको बताऊँ कि पटना, जो हमारा संसदीय क्षेत्र है, पाटलिपुत्र पटना से, जिले से सटा हुआ इलाका है, जो गांवों का इलाका है।

उस पूरे इलाके में पानी उसी नहर से आता है, मगर आपको पता है कि ऊपर वाले की कृपा नहीं है, बारिश हो नहीं रही है, इन्द्र की कृपा भी नहीं है और सरकार की कृपा भी नहीं है, जिसकी वजह से उस पूरे इलाके में किसानों में हाहाकार मचा हुआ है, किसान इससे बहुत परेशान हैं। जो बीज डाला गया था, वह भी सूख रहा है और पूरे तौर पर उस इलाके में इतना ज्यादा आक्रोश है, न सिर्फ हमारे यहां, बल्कि जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, कैमूर, गया, बक्सर, इन सब इलाकों में पानी लगभग नहीं जा रहा है।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन होगा, माननीया जल संसाधन मंत्री खुद मध्य प्रदेश की हैं, वे पहल करें और वहां की राज्य सरकार से जो बाणसागर डैम से पानी नहीं आ रहा है, वह पानी दिलवाने का काम करें, ताकि किसानों में खुशहाली आ सके और किसानों की जान बच सके। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण और गम्भीर मामला है। वहां के किसानों में बहुत हाहाकार मचा हुआ है। माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, वे इस पर कुछ कहें। ... (व्यवधान)

SHRI MULLAPPALLY RAMCHANDRAN (VADAKARA): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity.


I draw the serious attention of this august House to an important matter relating to the rescue and relief of 17 Indian sailors on board the Maharishi Bhavatreya off the Dubai coast.

The ship belongs to a Mumbai based company and is an LPG carrier registered in Singapore. The ship has been stagnant off the Dubai coast for almost two years now. The sailors are made to stay on board without power in the scorching summer heat and without proper drinking water, proper food or medicine. The hapless sailors are deprived of means of communication. They are thus undergoing physical and mental agony. One of the sailors, Mr. Dineshan Kinarullathil hails from Keezhariyur under my Parliamentary constituency and his family members including wife, children and aged and ailing father are put to great hardship and misery because of the harrowing experiences of Mr. Dineshan and other sailors.

I request the hon. Prime Minister, the Minister of External Affairs as also the Minister of Shipping to immediately intervene so that these sailors in distress are rescued from their present plight.

I once again urge upon the Government that the conditions of the sailors are precarious and anything may happen to them if there is any delay.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, this is an important issue and I am really gratified that the hon. Minister of Labour is also present here. I need his attention.

During the last UPA Government's tenure, five medical colleges and hospitals were supposed to be established by the Labour Ministry and they were to be called as the ESI Medical College and Hospitals. Already four  medical colleges have been established – in Gulbarga, Patna, Jodhpur and the fourth in some other place. Bhubaneswar was also selected and the Labour Minister had gone to Bhubaneswar to lay the foundation stone. The hon. Member of Parliament, Dr. Patasani, who is still representing that constituency, was present and the Labour Minister was also present.

But recently, it has come to our notice that not much fund is now flowing there. Though the boundary wall has been constructed and the land has been alienated in favour of ESI, but the medical college has not yet started. We have an

apprehension. My request to the NDA Government and the hon. Minister is that he should intervene in the matter and see that this medical college comes up. Lakhs of workers who are called IPs, those who are registered workers are living in and around Bhubaneswar can take the benefit as also their families.

I request the hon. Minister to put a word so that it comes up. If he can intervene now, we will be happy.

SHRI PRASANNA KUMAR PATASANI : I would like to draw your attention. It is in my constituency. I would like to associate with the matter.

HON. CHAIRPERSON: You can associate.

SHRI T.G. VENKATESH BABU (CHENNAI NORTH): Sir, this is regarding a long-pending demand from my North Chennai constituency to start a Kendriya Vidyalaya school. This constituency of mine consists of all classes of people, working in various Central and State Government organizations, defence forces, public sector undertakings, multinational companies, industrial establishments, and overall, a large number of below poverty line and downtrodden people live in my constituency.

Though this constituency forms a part of the Chennai Metropolitan City, Chennai has got two different parts – one is the glittering south and the dull north. So, the people living in the North Chennai are deprived of quality and affordable education, by not establishing a Kendriya Vidyalaya school in my constituency. My constituency has a population of 30 lakhs. The Union Government has fixed a target of opening 500 new Kendriya Vidyalaya in the 12th Plan, that is, from 2012-17. However, no action seems to have been taken for opening of a Kendriya Vidyalaya in North Chennai.

Adequate lands are also available for setting up of a Kendriya Vidyalaya. Keeping in view the urgency and importance of the matter, I humbly urge upon the Union Government to take necessary steps to open at least two Kendriya Vidyalaya in my North Chennai Constituency in Tamil Nadu.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं एक अत्यन्त लोक महत्व के विषय की तरफ आपका और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

देश की आजादी के बाद प्रथम विश्वविद्यालय गोरखपुर यूनीवर्सिटी 57 साल पहले स्थापित हुयी। आज इस गोरखपुर यूनीवर्सिटी से अलग होकर पूर्वांचल जौनपुर यूनीवर्सिटी बन गयी, फैजाबाद यूनीवर्सिटी बन गयी। यह बौद्ध परिपथ पर अकेला विश्वविद्यालय है, जो श्रावस्ती को जोड़ता है, कपिलवस्तु को जोड़ता है, पिपरहवा को जोड़ता है, कुशीनगर को जोड़ता है। योगी आदित्य नाथ जी सदन में उपस्थित हैं। उस यूनीवर्सिटी के कम से कम 15-17 मंबर ऑफ पार्लियामेंट सौभाग्य से इस पार्लियामेंट में हैं। पिछले दिनों आदित्य नाथ जी और हम सारे लोग मिलकर भारत के शिक्षा मंत्री, एच.आर.डी. मिनिस्टर से भी कह चुके हैं कि आज उसको केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना चाहिए।

यह देश के महत्वपूर्ण और प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक है। वहां पर अभी तक कोई बुद्धिस्ट स्टडी सर्किल नहीं बन पाया है, जबकि बौद्ध धर्म के मानने वाले देश और दुनिया के जो तमाम लोग आते हैं, तो उन्हें यूनीवर्सिटी के रूप में केवल गोरखपुर यूनीवर्सिटी मिलती है। जब वहां बुद्ध पर कोई रिसर्च करने जाते हैं, शोध करने जाते हैं तो जो पिपरहवा से खुदाई की चीजें निकली हैं, वे सब कोलकाता के नेशनल म्यूजियम में रखी हुयी हैं। मैं समझता हूँ कि आज उनको भी कठिनाई हो रही है, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, आज बुद्ध के साहित्य के रूप में जो शोध का कार्य हो सकता है, वह भी नहीं हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। गोरखपुर विश्वविद्यालय जो अभी राज्य के अंतर्गत है और अपना विकास नहीं कर पा रहा है, उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए भारत सरकार कार्रवाई करे।

माननीय सभापति : योगी आदित्यनाथ अपने आपको श्री जगदम्बिका पाल जी के विषय के सम्बद्ध करते हैं।

DR.K. KAMARAJ (KALLAKURICHI): Respected Chairman, Sir, I sincerely thank our hon. Chief Minister Amma for providing me an opportunity to represent the people of Kallakurichi constituency. I also thank the people of Kallakurichi constituency for overwhelmingly supporting the people welfare measures of our hon. Chief Minister and also electing me to this temple of democracy.

Chinnasalem railway station is an important station which caters to the needs of the commuters of Kallakurichi, Sankarapuram and Chinnasalem talukas, Kallakurichi municipality and Sankarapuram, Vadakkanandal, Chinnasalem and



Thiyakadurgam town panchayats. Chinnasalem is listed by the railway administration as a temporary station and its status is extended every three months. Consequently, Express and Superfast trains are having stoppage at this station on temporary basis. It is extended after every three months. This is causing inconvenience to the general public.

I would request the Railway Minister to instruct the Railways to stop all the superfast and express trains at Chinnasalem railway station on a permanent basis. I would also request the Minister to continue advanced railway booking at the railway station for all the superfast and express trains passing through this station.

श्री राजकुमार सैनी (कुरुक्षेत्र) : महोदय, मैं राजकुमार सैनी पहली बार कुरुक्षेत्र से निर्वाचित हो कर संसद में आया हूँ और प्रथम बार आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरा धन्यवाद, मैं प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को करना चाहूँगा, जिनकी वजह से पूरे विश्व में प्रजातंत्र के प्रति जो विश्वास जगा और जिस गौरवपूर्ण दृष्टि से प्रजातंत्र को सराहा गया, मैं इसका धन्यवाद उनको संसद नमन कर के देता हूँ। तीसरा धन्यवाद, मैं कुरुक्षेत्र की जनता को देना चाहूँगा। ... (व्यवधान)

मैं एनवायरनमेंट के मुद्दे पर सदन का विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पर्यावरण पूरे विश्व के लिए जितनी जरूरी है, यह हमारे देश के लिए भी उतनी ही जरूरी है। लेकिन, जब फ्रांस और पेरिस जैसे बड़े-बड़े शहर बने होंगे, वहां भी रेत, बजरी और डस्ट खिंडा होगा। हमारे इस देश में पर्यावरण नीति एक अभिशाप के तौर पर विकास को रोके हुए है। इस ओर ध्यान दी जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी रेलवे लाइनें, टनल्स, नहरें, सड़कें और इंडस्ट्रीज, सिर्फ पर्यावरण की पॉलिसी की वजह से रूकी पड़ी हैं। मैं वर्ष 2010 में एक इंडस्ट्री लगा रहा था। चार वर्षों के बाद भी, आज तक इंडस्ट्री को एनवायरनमेंट क्लीयरेंस नहीं मिली है। मैं हिमाचल प्रदेश की सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आंशिक तौर पर मुझे परमिशन दी, लेकिन कोई इंडस्ट्री के लिए जमीन लेने के पश्चात्, कोई सड़क, कोई नहर या कोई बिजली लाइन, अगर चार वर्ष तक उनका मामला क्लीयर नहीं होता है तो उनके मायने ही बदल जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर उसे छोड़ कर भाग जाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस ओर पर्यावरण पॉलिसी में विशेष ध्यान दी जाए।

SHRI JITENDRA CHAUDHURY (TRIPURA EAST): Thank you, Chairman, Sir. I would like to raise a very important issue. I would like to take the privilege of

the presence of the hon. Union Minister of Commerce and Industry. I am very much moved by the desire of the present Government to be engaged with the neighbouring countries.

You know, Sir, that the Northeastern region and my State Tripura in particular is bounded by the international borders from three sides. Transportation cost of essential commodities or construction material from the main land is manifold. There has been a demand to connect Chittagong Sea Port with the national highway and also with a road from Tripura. If this Government takes an initiative to connect the Chittagong Port with the National Highway 44 and also with the Agartala-Subroom railway line, which is an on-going project, that will be mutually benefit to both the countries and particularly for the north-eastern region including the State of Tripura. I would request the Union Government to consider this. I believe the hon. Minister present here would definitely take an initiative on that.

श्री राहुल कस्वां (चुरु) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य काल में अत्यंत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने विचार रखने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। 20वीं सदी के महापुरुषों में एक जाना पहचाना नाम आचार्य तुलसी जी का है। आचार्य तुलसी ने नैतिकता और भाई चारे के मिशन के साथ भारत की एक लाख किलोमीटर की पद यात्रा की। मेरे संसदीय क्षेत्र में आचार्य तुलसी जी के बहत बड़ी तादाद में अनुयायी हैं। उनकी प्रेरणा से लाखों व्यक्ति नशा मुक्ति बने और पूरे देश में नैतिकता को अपनाने का एक अभियान चल पड़ा जो पूरे भारत वर्ष में अनवरत आंदोलन के नाम से विख्यात है। वर्तमान में महापुरुष आचार्य तुलसी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। भारत सरकार ने आचार्य तुलसी की जन्म शताब्दी के अवसर पर उनकी स्मृति में सिक्के जारी किए हैं। लेकिन महापुरुष आचार्य तुलसी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी नहीं करने से जनमानस में भयंकर आक्रोश है। अतः मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि उनके जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी की जानी चाहिए।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य श्री राहुल कस्वां के विषय के साथ श्री सी.आर. चौधरी अपने आपको एसोसिएट करते हैं।

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत साधुवाद। देश के कई राज्यों में बाढ़ एवं सुखाड़ का संकट उत्पन्न हो गया है। गंगा, कोसी सहित

अन्य नदियों के कटाव से भारी समस्या प्रति वर्ष उत्पन्न हो जाने के कारण जीवन संकटमय हो जाता है। लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। बिहार में बक्सर, कोईलवर तटबंध के मजबूतीकरण एवं उस पर सड़क निर्माण का काम काफी वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है। दर्जनों जगहों पर तटबंध टूटे हुए हैं जिनसे भीषण कटाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वह तटबंध गंगा कटाव से उस क्षेत्र का बचाव करता है। उस पर सड़क निर्माण होना आवश्यक है। गंगा नदी के किनारे बाढ़/बरसात के बाद सिर्फ रबी फसल ही होती है। फिर हजारों एकड़ जमीन परती रह जाती है। विशेषकर बिहार में मेरे संसदीय क्षेत्र बक्सर और गृह क्षेत्र भागलपुर तक विभिन्न क्षेत्रों/टालों में बाढ़/बरसात के बाद हजारों एकड़ जमीन में सिर्फ रबी की फसल ही हो सकती है। गंगा नदी के किनारे लिफ्ट सिंचाई योजना का विस्तारीकरण होने से सालों भर गरमा फसल एवं सब्जियों का उत्पादन बढ़ेगा जो देश के लिए उन्नत होगा। बिहार में विशेषकर बक्सर से भागलपुर तक तथा उत्तर बिहार के दरभंगा सहित कई जिलों में सिंचाई के अभाव में सूखे का संकट उत्पन्न हो गया है। इंद्रपुरी बैराज के बक्सर (शाहबाद), औरंगाबाद होते हुए पटना तक विभिन्न नहरों में अंतिम छोर तक पानी नहीं आने के कारण लाखों हैक्टेयर जमीन सिंचाई से वंचित है जिससे लाखों किसानों में तबाही मची हुई है। अतः सरकार शीघ्र रिहंद (उत्तर प्रदेश) से इंद्रपुरी जलाशय में पानी उपलब्ध कराने, कटाव हेतु सभी बांधों की सुस्था, सुखाड़ हेतु कारगर कदम उठाने तथा उक्त बक्सर-कोइलवर तटबंध की पूर्णरूपेण मरम्मत सहित सड़क निर्माण की दिशा में अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करे।

SHRI S. SELVAKUMARA CHINNAIYAN (ERODE): Respected Chairman, Sir,
I thank you for giving me this opportunity to speak.

In my Constituency, Kodumudi is a famous pilgrimage centre and people from all over the country go there to worship God Magudeeswarar. But the trains - Coimbatore to Nagarkovil Express, Mysore to Mayiladuturai Express and Coimbatore to Mayiladuturai Express as also inter-city express do not stop at Kodumudi Railway Station.

I would urge upon the hon. Railway Minister to take appropriate steps so that these trains stop at Kodumudi Railway Station for the benefit of general public.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I would like to draw the attention of the House to a very important matter. I am fortunate enough that the concerned Minister, Madam Sitharamanji, is also present here.

The fact is that closure of scores of tea gardens have become a nemesis for the entire north-Bengal area. Thousands of tea labourers have been inflicted by poverty and penury due to closure of the tea gardens in north-Bengal. The fly-by-night operators who are virtually ruling the roost in the tea industry have made the life of the tea workers more severe and difficult. I have personally visited those closed tea gardens and found that those tea labourers are living in distress and in utter deprivation. They are virtually landed in abysmal despair. They do not have any viable alternative to eke out their livelihood. In such a situation, finding no alternative, they are even selling their kids and even flesh trade has become rampant in those areas.

I would urge upon the hon. Minister to have a personal visit to those closed tea garden and save those poor people from starvation deaths. Already starvation deaths have been reported from that area. Madam, this area has been compared by the common people with Kalahandi and Somalia. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : Shri Mohammad Salim may be allowed to associate with the issue raised by Shri Ahir Ranjan Chowdhury.

SHRI BHEEMRAO B. PATIL (ZAHEERABAD): Sir, I would like to bring to your kind attention the provisions made in the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 which I am quoting for your kind perusal.

“The Ministry of Road Transport and Highways shall take necessary steps to improve road connectivity in backward regions of the successor State of Telangana.”

The existing two-lane section of Akola Nanded, Sangareddy Road, NH 161 covering a length of 140 kilometres passing through Telangana State is a very important NH link connecting Maharashtra and Telangana State. This section should be considered for widening to four-lane section during 2014-15.

Extension of National Highway No. 16 the New NH 63), Jadgalpur – Bhopalpatnam-Sironacha-Nizamabad upto Madnoor on National Highway No.

161 to provide National Highway connectivity to border region of Maharashtra and Telangana.

The work of four laning of Sangareddy to Karnataka State border section of National Highway No. 9 (the new NH 65) should be done expeditiously.

The hon. Chief Minister of Telangana State has already submitted a memorandum to the hon. Prime Minister and requested for declaration of new National Highway covering a length of about 4207 kilometres. The demand of the State Government should be accepted and the new National Highways for 4207 kilometres of length should be declared at the earliest.

In order to accelerate integrated road development programme of Telangana State, a special package of Rs. 10,000 crore should be granted at the earliest.

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN (MURSHIDABAD): Mr. Chairman Sir, I have a major problem in my area and I wish to say something about it.

There are at least 75 kilometres of Indo-Bangladesh border in my constituency. The BSF is there to protect our country and stop smuggling. Generally, they are to stay at zero point. But sometimes they are coming to the locality and torturing common people and poor villagers like indulging in assault, sexual assault, custodial death, abuse, threat, etc. Specially, the people along the international border at Jalangi and Raninagar blocks are the victims of BSF in many ways. Sometimes, when people are going to cultivate land in the border area, the BSF seizes their own cattle under the false charges of smuggling. This year, the BSF has announced not to cultivate jute in border area. Milk producers are also under threat in these areas alongwith their cows. The BSF is not controlled by the State Government. Many reports of torture are published in newspapers also. Human rights are violated seriously in the border area of our district. My question is, who will control the BSF in those areas? What is the view of the Government about such a serious concern? Why not the BSF get special training about how to behave with the common people of the border areas?

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : सभापति महोदय, बिहार में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के नाम पर एक कृषि विश्वविद्यालय है। उस कृषि विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार के अधीन कई बार आया, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। बिहार के पिछड़े इलाके में उस कृषि विश्वविद्यालय के कारण खेती में बहुत क्रांति हुई है और कृषि में प्रगति हुई है।

मैं भारत सरकार से आग्रह कहता हूँ कि आप डॉ. राजेन्द्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाकर बिहार के पिछड़ेपन के विकास में सहयोग करें।

15.30 hrs.

PRIVATE MEMBERS' BILLS- Introduced

HON. CHAIRPERSON: Now, the House will take up Private Members' Business.

Shri Om Prakash Yadav is to move for leave to introduce his Bill.

(i) Basic and Primary Education (Compulsory Teaching in Mother Tongue) Bill, 2014*

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बच्चों को बुनियादी और प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने में सभी शिक्षण संस्थाओं द्वारा मातृभाषा के अनिवार्य प्रयोग और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON : The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the compulsory use of mother tongue in imparting basic and primary education to children in all educational institutions and for matters connected therewith and incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री ओम प्रकाश यादव : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 25.07.2014.

** Introduced with the recommendation of the President.

15.31 hrs.

(ii) Constitution (Amendment) Bill, 2014*
(Amendment of the Eighth Schedule)

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India. ”

The motion was adopted.

श्री ओम प्रकाश यादव : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 25.07.2014.

15.32 hrs.

(iii) Sanskrit Language (Promotion) Bill, 2014*

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि संस्कृत भाषा का संवर्धन जिसमें विद्यालयों में इसका अनिवार्य अध्यापन शामिल है तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for promotion of Sanskrit language including its compulsory teaching in schools and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री ओम प्रकाश यादव : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 25.07.2014.

15.33 hrs.**NATIONAL MINIMUM PENSION (GURANTEE) BILL,
2014...Contd.**

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, now the House will now take up the next item in the agenda for discussion.

Before I call upon Shri Nishikant Dubey to move the Motion for consideration of his Bill, namely the National Minimum Pension (Guarantee) Bill, 2014, the time for discussion of the Bill has to be allotted by the House. If the House agrees, two hours may be allotted for discussion of the Bill.

SEVERAL HON. MEMBERS: All right.

HON. CHAIRPERSON: Agreed.

Now, Shri Nishikant Dubey to speak.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देश में सभी पेंशनभोगियों, जिनमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जिन्होंने असंगठित और निजी क्षेत्र में कार्य किया है, को प्रत्याभूत न्यूनतम पेंशन का संदाय करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

धन्यवाद सभापति महोदय, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण बिल है। पहली बार तो कोई मौका नहीं मिला और दूसरी बार जब एमपी बना, तो यह मौका मिला कि प्राइवेट मेंबर बिल एक नम्बर पर आ गया और उस पर डिस्कशन स्टार्ट हो गया। कोई फिक्सिंग नहीं हुई। आज जिस सेक्टर के लिए मैं बात करने जा रहा हूँ, हम यहाँ पर जितने भी मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं, उनके दिल से जुड़ा हुआ विषय है। वही हमको वोट देते हैं, वही चुनते हैं, वही इस देश के मालिक हैं। उनकी जो स्थिति है, वह इतनी खराब है कि हम और आप चूँकि लोक सभा से बार-बार चुनकर आते हैं, बार-बार जनता के बीच जाना होता है। इसलिए उसमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि उनकी परेशानी क्या है? यह बिल क्या कहता है? यह बिल कहता है कि भारत में बहुसंख्यक पेंशनभोगियों की दशा अत्यंत दयनीय, दुखद और निराशाजनक है। इस बिल के जो ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन हैं, वे समाज में बेहतर व्यवहार पाने के हकदार हैं, विशेषकर इस कारण से,

क्योंकि किसी समय उन्होंने समाज की सेवा की थी या कर रहे हैं। अतः यह समाज का उत्तरदायित्व है कि वह उनके साथ आदरपूर्ण व्यवहार करे और यथासंभव उनकी समस्याओं का निराकरण करें।

इस विधेयक का आशय प्रत्येक पेंशनभोगी को न्यूनतम पेंशन की संदायगी का उपबंध करना है, जिनमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं, जिन्होंने असंगठित क्षेत्र और निजी क्षेत्र में काम किया है। चूंकि न्यूनतम पेंशन की संदायगी का प्रावधान उन व्यक्तियों के लिए भी किया जा रहा है, जिन्होंने असंगठित और निजी क्षेत्र में कार्य किया है, यह जनसंख्या के एक बड़े भाग के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा। यद्यपि इससे पेंशनभोगियों की सभी समस्याओं का हल नहीं होगा, तथापि उनको इससे कुछ राहत मिलेगी। इससे उन्हें यह संतोष भी होगा कि उनकी समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है। इस देश में सात प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जिनके एनपीएस और ईपीएफ जैसी संस्थाएं हैं। जब माननीय मंत्री जी जवाब देने के लिए खड़े होंगे, यही सब बातें कहेंगे। लेकिन 93 प्रतिशत ऐसे लोग हैं, आप इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए, कि इस देश में सात प्रतिशत लोगों के पास ही सोशल सिक्योरिटी है और 93 प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जिनके पास, यदि वे बीमार हो जाएं, इलाज के लिए भी पैसा नहीं है। यदि उनको दिल्ली आना हो, जैसे हमारे झारखण्ड से किसी को दिल्ली आना है, तो वे भी जब तक पैसा किसी दूसरे से नहीं मांगेंगे, उनके पास टिकट का भी पैसा नहीं होगा, जनरल क्लास में सफ़र करने का भी पैसा नहीं होता है। वे कौन लोग हैं? वे लोग हैं कृषि क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर, नरेगा में काम करने वाले मजदूर। आप कितने दिन का पैसा देते हैं? आप उनको वर्ष में 100 दिन का पैसा देते हैं। 100 दिन के पैसे में आप उनको कितना ज्यादा से ज्यादा देते होंगे? साल में साढ़े बारह हजार करोड़ रुपये दे देते होंगे या चौदह हजार करोड़ रुपये दे देते होंगे, कहीं-कहीं यदि मजदूरी 200 रुपये प्रतिदिन होगी, तो मान लीजिए उनको 20000 रुपये साल में देते हैं। 20000 रुपये साल में मिलने का मतलब यह है कि उनको एक हजार से डेढ़ हजार रुपये महीने मिलते हैं और उस पैसे से उनको चार-पांच लोगों को पालना होता है। यदि रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट को आधार माना जाए, तब आपको लगेगा कि हम उनके लिए दाल-रोटी की व्यवस्था कर पा रहे हैं, लेकिन यदि आप रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट को नहीं मानते हैं, तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट को नहीं मानते हैं, तो आपके सामने यह समस्या आएगी कि उनको खाने के लिए एक जून की रोटी मिलती है, दाल खाएंगे या नहीं, सब्जी होगी या नहीं, चपाती एक खाएंगे या दो खाएंगे। यह बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या यह है कि जो लोग गाय-भैंस चराते हैं या पहाड़ों पर जो लोग भेड़-बकरी चराते हैं, आप यह समझिए कि वे लोग सुबह भेड़-बकरी लेकर जाते हैं और जिन लोगों की भेड़-बकरी या गाय-भैंस लेकर वे जाते हैं, गांवों में लेकर जाते हैं, वे उनको किसी महीने पैसा दे देते हैं और किसी महीने नहीं देते हैं। उन लोगों को हम सोचते हैं कि वे कहीं न कहीं काम कर रहे हैं। इस तरह के लोग हैं। तीसरी तरह के वे लोग

हैं जो कुटीर उद्योगों में काम करते हैं। हमारा एमएसएमई सेक्टर, लघु उद्योग का सेक्टर है, जिसमें डायमंड के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, सिल्क के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, बुनकर हैं। इस तरह के लोग हैं। हम हमेशा कहते हैं कि हमारा एमएसएमई सेक्टर इस देश में करेंट एकाउण्ट डेफिसिट को खत्म करता है, 40 प्रतिशत पैसा वही लाता है, एक्सपोर्ट करता है, उसमें 70 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिलता है। किस तरह का रोजगार होता है? रोजगार इसी प्रकार का होता है, जिसका काम चल गया, बढ़िया हो गया, तो वे पैसा दे पाते हैं। अगर पैसा नहीं दे पाते हैं, तो उसके बाद वे भूखे मरते हैं और उनके पास फिर वही परेशानी है। इसके बाद बढ़ई है, कारपेंटर हैं। गांव में काम करने वाले जो कारपेंटर हैं, जिनको आप वर्ण-व्यवस्था में कुछ भी कहें, लेकिन वह उनका हुनर है। आप कारपेंटर को कितना पैसा देते हैं? कारपेंटर को यदि काम नहीं मिलेगा, तो वे शहर की ओर पलायन करते हैं। शहर में, आप यदि इस दिल्ली शहर की बात करेंगे, तो 10x10 के एक-एक कमरे में बीस-बीस लोग रहते हैं, उनके लिए सेनिटेशन की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, वे बढ़िया से स्नान नहीं कर पाते हैं। इस तरह के लोग हैं। इसी तरह की स्थिति लोहार की भी है। लोहार का भी यही हाल है, कहार का भी यही हाल है, कुम्हार का भी यही हाल है। यह जो असंगठित क्षेत्र है, जिसके बारे में हम जाति के नाम पर बात करते हैं, यदि आप हुनर के आधार पर देखेंगे, तो इन रोजगार पाने वालों को कोई अच्छी व्यवस्था दे पाने में हम अक्षम होते हैं। जब हम चुनाव में जाते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए स्वर्ग ला देंगे, हम तुम्हारी आवाज़ संसद में उठाएंगे और सरकार को, मंत्रियों को हमारी बात सुननी पड़ेगी, इस तरह से आपको आपकी व्यवस्था मिल जाएगी, साधन मिल जाएंगे।

दिल्ली में कई गरीब लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनके बच्चे कहां रहते हैं, उनकी बीबी रहती है यू कह लीजिए कि अंडमान-निकोबार में, समझिए कि उसे हमने कालापानी की सजा दे रखी है। उनके बच्चे पढ़-लिख रहे हैं, गुंडे या बदमाश हो रहे हैं, कुछ पता नहीं है, क्योंकि उनके पास न तो बच्चों को पढ़ाने के लिए और न ही परिवार के लिए अच्छी तरह से रहन-सहन के लिए पर्याप्त पैसा होता है, बड़ी मुश्किल से घर चलाने के लिए पैसे मिलते हैं।

इसी तरह से फिशरमैन हैं। यहां पर कोस्टल एरिया से काफी सदस्य आते हैं। हम सुनते हैं कि मछुआरों के लिए बहुत काम हो रहे हैं, उनके लिए आयोग बन रहा है, बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन फिशरमैन की स्थिति क्या है, नदी-समुद्र में जाते हैं मछलियां पकड़ने। यहां पर हमारे सदस्य अधीर चौधरी जी बैठे हैं, इनके यहां काफी तालाब हैं। यह जानते हैं कि अगर मछली उन्हें मिल गई तो सही और नहीं मिली तो फिर कोई काम नहीं। इसी तरह से बीड़ी मजदूर हैं। जिन इलाकों में बीड़ी बनती है, वहां बीड़ी


मजदूरों की स्थिति बड़ी दयनीय है। बीड़ी वर्कर्स में महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं। उनके लिए सरकार कहती है कि हमने साधन दे दिए, यह कर दिया, वह कर दिया। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जब उन्हें टीबी हो जाती है तो उनका क्या होता है। जब वे मर जाते हैं, तो उनके परिवार वालों का, उनकी स्त्रियों का क्या होता है, हम उनके इलाज की क्या व्यवस्था करा पाते हैं, इस पर भी ध्यान देना चाहिए।

इसी तरह से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं। कृषि के बाद कंस्ट्रक्शन के काम में सबसे ज्यादा मजदूर काम करते हैं। अगर कोई मजदूर कंस्ट्रक्शन के काम में लगा हुआ है और भवन बना रहा है, किसी इंजीनियर या ठेकेदार की गलती के कारण अगर इमारत धराशायी हो जाए, तो उसका क्या होगा, उसके परिवार का क्या होगा और उसके जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, दो-चार साल के, उनका क्या होगा, वे कहां से पढ़ेंगे। उसकी पत्नी का क्या होगा, क्योंकि वह ऐसे माहौल में रह रही है कि कभी घर से बाहर निकली ही नहीं, जिसने समाज को नहीं देखा। कंस्ट्रक्शन वर्कर मर गया, हम समझौता कराने जाते हैं, नौकरशाह, ठेकेदार और हम सब मिलकर समझौता करते हैं तथा 5000 रुपए या 10,000 रुपए मुआवजे के रूप में देकर चले आते हैं। लेकिन हम कभी यह नहीं सोचते कि इतनी रकम से उसके परिवार का क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा।

इसी तरह से जो जंगलों में काम करते हैं, कचरा उठाने वाले लोग हैं, स्कैप ढोने वाले लोग हैं। वे दिन भर गलियों में लोहा दीजिए, लोहा दीजिए या पेपर दीजिए, आवाजें लगाते हैं और रद्दी सामान इकट्ठा करते हैं। वे इस तरह की चीजों से रोज जूझते हैं। फिर जब हम अपने गांव जाते हैं तो वहां स्ट्रीट वेंडर्स को देखते हैं। इसी सदन ने स्ट्रीट वेंडर्स की भलाई के लिए बिल पास किया था। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि स्ट्रीट वेंडर्स को देखो और भगा दो, रोड खाली कराओ। स्ट्रीट वेंडर्स में वे लोग आते हैं जो रेहड़ी लगाते हैं, खोमचा लगाते हैं, चाय, पावभाजी बेचता है, झारखंड और बिहार में झालमूड़ी खाते हैं, उसे बेचते हैं या कपड़ा-गारमेंट बेचते हैं। एक ही आदमी पर पूरा परिवार निर्भर करता है। इस तरह के लोगों की संख्या 93 प्रतिशत है और ये सब असंगठित क्षेत्र में आते हैं। देश की 67 साल की आजादी के बाद भी हम इनके लिए कुछ मुहैया नहीं करा पाए। इसीलिए मैं यह बिल लेकर आया हूँ कि सरकार कम से एकटीवेट हो और सरकार इन लोगों के बारे में सोचे। पहले क्या होता था, एक बहुत बढ़िया संस्कृत का श्लोक है –

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनाः।
चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम॥

वह यह कहता है कि हम यदि बड़े बुजुर्ग का सम्मान करेंगे, अभिवादन करेंगे, रोज करेंगे तो क्या होगा, चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, हमारी आयु, विद्या यश और बल, ये चारों बढ़ेंगे। आज क्या होता

है, आप समझिए कि संयुक्त परिवार का पूरा का पूरा कंसेप्ट तहस-नहस हो गया है। परिवार में लड़ा काम करने लगा। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा छोटा भाई मुम्बई में रहता है। हम अपने पेरेंट्स को यहां लाने का प्रयास करते हैं, वे आते हैं। कभी मेरे यहां और कभी छोटे भाई के महीना-दो महीना रह गए। कभी कभार मेरी बहनों के यहां रहने चले गए। लेकिन उनका मन अपने गांव में ही लगता है। गांव में यदि लगता है तो हम परिवार के सभी लोगों को चिंता रहती है कि उन्हें अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी या नहीं। उन्हें अच्छे नौकर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। उन्हें गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। यदि हमारे पास साधन हैं तो हम इसकी अपेक्षा करते हैं और अपने माँ-बाप को बढ़िया तरीके से रख पाने में सक्षम होते हैं। लेकिन जो गरीब आदमी है, जो दस-बाई-दस के कमरे में दिल्ली में रह रहा है, जिसे बस या मेट्रो में जाने के बाद 500-1000 रुपया ही महीने में बच पाता है, चाहे वह दिल्ली, मुम्बई या कोलकाता में रहता है। लेकिन उनके बुजुर्गों का क्या होगा? संयुक्त परिवार सिस्टम इसीलिए तहस-नहस हो रहा है। हम सोचते हैं कि बड़े बुजुर्गों बेकार में पड़े हुए हैं, जल्दी इनकी मृत्यु हो जाए तो अच्छा है। उसका कारण ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि उनकी मृत्यु हो जाए, उसका कारण ये है कि हमारे पास संसाधन नहीं हैं, साधन  हैं। स्टेट ने जो ओल्ड-ऐज के नाम पर पैसा दे रखा है वह बहुत ही कम है। कहीं 150-200-250-500 रुपये देते हैं, इससे क्या कहीं घर चलने वाला है, पांच सौ रुपये से क्या होने वाला है? हमने टारगेट फिक्स कर दिया है कि बीपीएल की कैटेगरी अलग है, एपीएल की कैटेगरी अलग है। मैं जब स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का मैम्बर था तो माननीय महताब जी बड़े सीनियर मैम्बर हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ और वे जब भी बोलते हैं बड़ा अच्छा बोलते हैं, तो हम लोगों के सामने सुधा पिल्लई जी आई थीं। वह प्लानिंग कमेटी की मैम्बर सैक्रेट्री थीं। हमने अपनी कमेटी की रिपोर्ट में कहा है कि उन्होंने ऑन-रिकार्ड कहा कि जो इस देश की पॉलिसी बन रही है, राजीव गांधी विद्युत्तीकरण योजना है, पीडीएस सिस्टम है, या समाज को आगे बढ़ाने का सवाल है, हमने टारगेट कर लिया है कि हम गरीब को देंगे। वर्ष 1995-96 के पहले अगर किसी को गरीब कह दीजिए तो उसे यह गाली नजर आती थी लेकिन आज जमाना आ गया है कि आप किसी को गरीबी की रेखा में डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं, सारे एमपीज-एमएलएज को यही टेंशन है। लोग कहते हैं कि आप हमारा लाल-कार्ड बनवा रहे हैं या नहीं, बीपीएल में हमारा नाम डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं? इस सरकार की पॉलिसी ने ऐसी सिचुएशन क्रेट कर दी है कि गरीब के लिए अलग, अमीर के लिए अलग, व्यापारी के लिए अलग, एमपी के लिए अलग, मजदूर के लिए अलग कानून है और इस पॉलिसी ने इस देश का कबाड़ा कर दिया। सुधा पिल्लई जी ने ऑन-रिकार्ड कहा कि यह इस देश का फेशन बन गया है और इसी टारगेटिड चीज के कारण सभी लोग गरीब रहना चाहते हैं, कोई अमीर नहीं होना चाहता है। जब

आप ओल्ड-एज पेंशन देते हैं तो उसमें ऐसे लोग हैं जो जाति के आधार पर हो, चीजों के आधार पर हो, आर्थिक आधार पर हो।

मान लीजिए कि किसी के पास जमीन है, आप कह रहे हैं कि इसके पास जमीन है, इसके पास छत है। बड़े बुजुर्ग जो गांव में रह रहे हैं उनकी स्थिति देखिये? मेरे पिता जी 70 साल के हो गये, मां 68 साल की हैं, क्या मैं उनसे कल्पना करूंगा कि वे खेती करेंगे। जब वे खेती नहीं कर पायेंगे, किसी के साथ बंटाईदारी करेंगे तो क्या वे अपना पेट पालने की स्थिति में हैं? यदि नहीं हैं तो आपने जो एक लॉलीपॉप थमाने का, पेंशन देने का काम किया है क्या यह सही है? जितनी भी सब्सिक्वेंट सरकारें रही हैं, उन्होंने जो लॉलीपॉप थमाने का काम किया है, उसके कारण यह इतनी बड़ी समस्या हो रही है जिसका कि आप लोगों को कोई न कोई हल ढूंढना पड़ेगा।


सभापति जी, मैंने अपने बजट भाषण में कहा है कि आप नेशनल पेंशन सिक्योरिटी फंड बनाइये। आप इतनी सारी चीजें बना रहे हैं, आपके पास इतने साधन हैं। मैंने कहा कि कम से कम उसकी शुरुआत कीजिए। आप 50 हजार करोड़ रुपये का एक फंड बनाइये और फंड बनाने के बाद स्टेट गवर्नमेंट को भी कहिये, क्योंकि यहां से आप पॉलिसी बना देते हैं जैसे मनरेगा जैसी पॉलिसी बना दी, सर्व-शिक्षा-अभियान बन गया, राजीव गांधी विद्युतीकरण प्रोग्राम बन गया। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना कांग्रेस सरकार ने बनाई, अधीर साहब ने बनाई। उन्होंने कहा कि सब गांवों को बिजली दे देंगे। बिजली में क्या दिया उन्होंने कि केवल बीपीएल को ही बिजली देंगे। यानी गरीब आदमी बिजली में रहेगा और अमीर आदमी बिजली में नहीं रहेगा। उसके लिए 10 किलोवाट का, 16 किलोवाट का ट्रांसफोर्मर दे दिया। अब अमीर आदमी यदि गांव में दबंग है तो उसने क्या किया? जबर्दस्ती बिजली जलाना शुरू कर दिया। गांव का ट्रांसफोर्मर या तो चोरी हो गया या जल गया। इस तरह की पॉलिसी मत बनाइये। इसी तरह की पॉलिसी का यह कमाल है कि इस तरह की सिचुएशन पैदा हो गयी। राज्य सरकार के ऊपर कभी आप राजीव गांधी विद्युतीकरण के नाम पर, कभी सर्व-शिक्षा अभियान के नाम पर, कभी फूड-सिक्योरिटी के नाम पर, कभी नरेगा के नाम पर जो दे रहे हैं तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम माइंडलेस पॉपुलरिज्म के कारण आप जो इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं वह पूरा नहीं होगा।

एक यूनीवर्सल पेंशन स्कीम आप लागू कीजिए, जिन्हें लेना होगा वे लेंगे और जिन्हें नहीं लेनी होगी वे नहीं लेंगे। आपको पता है कि पीडीएस सिस्टम की क्या समस्या है? छत्तीसगढ़ में पीडीएस सिस्टम क्यों अच्छा है और दूसरी जगह क्यों खराब है। क्योंकि वर्ष 1996-97 में आपको ध्यान होगा कि जितने सभी लोगों ने नाम पर चाहे वे गरीब थे या अमीर थे, सभी के नाम पर राशन कार्ड होता था। अधीर साहब, आपके



नाम पर भी होता था और हमारे नाम पर भी था। एक समय ऐसा आया कि 1996-97 में हमने कहा कि नहीं, एकदम गरीबों को ही राशन कार्ड देंगे, इसमें अमीर का कोई मतलब नहीं है। अमीर को यदि बासमती चावल खाना होगा तो वह क्यों वह राशन का गेहूं या चावल खरीदने जाएगा। वह गरीब का हक क्यों मारने जाएगा? इस तरह के केवल दो-चार परसेंट लोग ही हो सकते हैं। लेकिन वह एक ऐसा सिस्टम था जिसमें ट्रिपिंग नहीं होती थी। आज ऐसा हो गया है कि मार्केट में सामान के दाम एकदम बढ़ रहे हैं, यदि 1996-97 के पहले की स्थिति देखें, चाहे मिनिमम स्पोर्ट प्राइज का सवाल हो, चाहे मार्केट में चावल, आटा, दाल का भाव हो, उनमें जो फर्क आया है, वह यही आया है कि हमने वोट बैंक की राजनीति के आधार पर अपने माइंड को बदल दिया है और उस माइंडसेट का प्रभाव है कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है। अगर आप गरीबों के कल्याण के लिए सोचते तो इस तरह की बात ही सोचनी चाहिए।

दुनिया में सोशल सिक्योरिटी क्या है? ऐसा नहीं है कि हम अपने यहां कोई नई चीज लागू कर रहे हैं और वह दुनिया में कहीं लागू नहीं है। सोशल सिक्योरिटी का जनक विस्मार्क है। वर्ष 1889 में जर्मनी में सोशल सिक्योरिटी, हुआ यह था कि जर्मन पार्लियामेंट में एक कानून पास हुआ था और उस वक्त उन्होंने कहा था कि “Those who are disabled from work by age and invalidity have a well-grounded claim to care from the state.” यह जर्मनी में अपना कानून 1889 में पास किया था। जर्मनी में सोशल सिक्योरिटी उसी वक्त से लागू है। उसके बाद जब यह आगे बढ़ा तो यूएसए में क्योंकि यूएसए अपने आपको बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक स्टेट मानता है, वहां सिविल वार अमीर और गरीब में हो गई और पचास परसेंट से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे थे। वर्ष 1776 में उन्होंने डिक्लेयरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस किया, सोशल सिक्योरिटी लागू करने के लिए वे 1776 से सोच रहे हैं। आप यह सोचिए कि हम कम्पिट करने की बात सोचते हैं, हम कहते हैं कि हम वर्ल्ड इकोनोमी बनेंगे, हम अमेरिका से आगे जाएंगे, भारत विश्व गुरु बनेगा। इसमें किसको परेशानी है? इसमें परेशानी यह है कि वर्क फोर्स, वर्क फोर्स क्या है। आप हमेशा कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है। हमारी युवा पापुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है। कभी आपने सोचा है कि आज आप सैकेंड लार्जस्ट ओल्ड एज पापुलेशन में भी गुजर रहे हैं। 18 करोड़ लोग वर्ष 2020 से ले कर 2025 तक साठ साल से ऊपर हो जाएंगे और आप दुनिया में नम्बर एक पर ओल्ड एज पापुलेशन हो जाएंगे। जिस तरह से युवा बढ़ रहा है, उसी तरह से यहां बूढ़े लोग भी बढ़ रहे हैं। आप युवाओं के लिए सारी पालिसी बना रहे हैं। आप बूढ़े लोगों के लिए पेंशन बनाइए। अमेरिका ने 1776 में शुरू किया और उसने इस चीज को आगे बढ़ाया। आपको मालूम है कि पुलमान स्ट्राइक हुई थी। यह 1881 की बात है। 1776 में भी जब ये सफल नहीं हुए तो पुलमान स्ट्राइक हो गई और इतनी बड़ी स्ट्राइक हुई तो लगा

कि अमेरिका कहीं न कहीं रुक जाएगा, टूट जाएगा और गरीब तथा अमीर के बीच इतनी बड़ी खाई हो जाएगी कि उसे पार पाना मुश्किल है। इसके बाद 1935 में अमेरिका ने सोशल सिक्योरिटी एक्ट पास किया और रूजवेल्ट वहां के 1930 में जब राष्ट्रपति हुआ करते थे तो उन्होंने इस सिस्टम को आगे बढ़ाया और अमेरिका में यह सिक्योरिटी सिस्टम 1935 से लागू है। सौ साल बाद भी हम इस चीज को यहां पर लागू करने में अपने आप में परेशानी अनुभव कर रहे हैं। इसके बाद जर्मनी में, अमेरिका में, फ्रांस में, ये सारे सोशल सिक्योरिटी के सिस्टम लागू हो गये तो 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंडियन लेबर ऑरगेनाइजेशन बना और आईएलओ ने  102 कंवेन्शन जो कहता है:-

ILO Convention No. 102 says:

“Covering minimum standard of social security like medical care, sickness benefit, unemployment benefit, old-age benefit, invalidity benefit, employment injury benefit, family benefit, maternity benefit and survivor’s benefit is very much important.”

It was adopted in the year 1950.

आईएलओ ने फाइनली कंवेन्शन नं. 102 में इन सारी चीजों को किया और जब हमारे फोरफादर्स ने संविधान बनाया जो 26 जनवरी 1950 को अपने ऊपर लागू किया।

Article 14 of our Constitutions says:

“**Equality before law** – The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.”

सबको ईक्वल राइट है तो आप 7 प्रतिशत संगठित क्षेत्र के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उनको आप सारा बेंनेफिट, सारी सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं और यह जो 93 प्रतिशत हमारे मां-बाप हैं, अनऑरगेनाइज्ड सैक्टर है, प्राइवेट सैक्टर है, जैसे प्राइवेट सैक्टर में कोई आदमी काम कर रहा है और मान लीजिए कि 58 साल में नौकरी से निकाल दिया गया तो 60 साल के बाद वह क्या खाएगा, इसके बारे में क्या कभी सोचा है? इसीलिए इसमें यह कहा कि आप डिसक्रिमिनेट नहीं करेंगे और आज डिसक्रिमिनेशन हो रहा है। इसी से आगे बढ़कर आर्टिकल 41 और 42 कहता है:

Similarly, Article 41 of our Constitution says:

“Right to work, to education and to public assistance in certain cases -- The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want.”

Then, Article 42 of our Constitution says:

“Provision for just and humane conditions of work and maternity relief -- The State shall make provision for securing just and humane conditions of work and for maternity relief.”

Then, Article 43 of our Constitution says:

“Living wage, etc., for workers – The State shall endeavour to secure, by suitable legislation or economic organization or in any other way, to all workers agricultural, industrial or otherwise, work, a living wage, conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities and, in particular, the State shall endeavour to promote cottage industries on an individual or co-operative basis in rural areas.”

जब इतनी बातें संविधान ने कह दीं, हम रोज पार्लियामेंट में संविधान कोट करते हैं, उसी के आधार पर कानून बनाते हैं, जब उसने यह कह दिया कि ऑरगेनाइज्ड और अनऑरगेनाइज्ड का कोई मतलब नहीं है, पब्लिक और प्राइवेट का कोई मतलब नहीं है। सबको आपको समान अधिकार देना है, सभी के बारे में सोचना है, सबका विकास, सबका साथ। सबके अच्छे दिन आने वाले हैं।...(व्यवधान) सबके अच्छे दिन की कल्पना करने के लिए ...(व्यवधान) सबके अच्छे दिन आ गये। इसीलिए तो हम यह बिल लेकर आए हैं। आप यह बिल नहीं लाए हैं। यह सरकार की सोच कहलाती है। हम यह बिल लेकर आए हैं। माननीय नरेन्द्र मोदी जी की यह सोच है और आपको पता है कि इस देश में पहली बार ऐसा हुआ कि एक चाय बेचने वाला व्यक्ति इस देश का प्रधान मंत्री हुआ है।...(व्यवधान) इसीलिए मैं यह कह रहा हूँ कि जब इस देश ने हमें एक मौका दिया है और भारत का यह इतिहास रहा है कि यदि वेद और पुराण की बात करेंगे तो हमने इसके बारे में बहुत कुछ सोचा है। हमारे यहां पहले से ये चीजें मौजूद थीं कि जिस जातिगत व्यवस्था को, हुक्मदेव नारायण बाबू जी इस पर ज्यादा बात करेंगे। जिस जातिगत व्यवस्था के बारे में हम बहुत ज्यादा बोलते हैं और मनु स्मृति बार बार कोट करते हैं। उस मनु स्मृति का एक बहुत अच्छा श्लोक है।

16.00 hrs.

मुन स्मृति का बहुत अच्छा श्लोक है -

आर्तस्तु कुर्यस्वस्यः सन् यथा भाषित मादितः
सदीर्घस्यामि कालस्य तथ्य भंतो वेतनम्॥

16.01 hrs(Shri Hukmdeo Narayan Yadav *in the Chair*)

मनुस्मृति कहती थी कि किसी आदमी को रोजगार साल भर का मिलना है, किसी जाति, धर्म, संप्रदाय और वर्ग के आधार पर नहीं मिलना है। कोई आदमी यदि बीमार हो जाए, काम नहीं करे और जब वह लौट कर आए तो उसे उतने दिन का पैसा दीजिए। उनसे काम कराइए, यह काम उनका ही है, उन्हीं के माध्यम से होगा। इसका मतलब यह था कि मनुस्मृति, जिसके बारे में इतना क्रिटिसाइज होता है, कहता था कि हम इस देश में सभी चीजों को इक्वल लेते थे। जातिगत व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। प्रो और पोस्ट आरयन वर्ण व्यवस्था ऐसी थी कि कर्म के आधार पर चीजें तय होती थी। आज अगर हम अपने बच्चों को आईटीआई करा रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, एमबीए करा रहे हैं और कोई पोलिटिशियन बन रहा है। इस तरह से यह कोई जाति नहीं है। कोई आईटीआई करता है, कोई कारपेंटर का काम सीख रहा है, कोई इलैक्ट्रीशियन का काम कर रहा है। यदि एक यूनियन बन जाए, जैसे इलैक्ट्रीशियन की यूनियन है, कारपेंटर की यूनियन है तो क्या इसे जाति कहेंगे? 1835 में अंग्रेजों के आने के बाद यह सिस्टम हुआ। मैं इसके लिए बहुत अच्छी बात कहता हूँ कि हम किस वेद पुराण की बात कहते हैं? हम रामायण की बात कहते हैं, सबके घर में रामायण होगी, रामायण के रचियता कौन थे? महर्षि वाल्मीकी थे। यदि जाति की बात कहें तो वह अनुसूचित जाति के थे या नहीं? महाभारत की बात कहते हैं, वेद की बात कहते हैं, उपनिषद् की बात कहते हैं। किसने महाभारत ग्रंथ लिखा? महर्षि वेद व्यास ने लिखा। किसके बेटे थे? मछुआरे के बेटे थे। अनुसूचित जाति के वाल्मीकी थे जिन्होंने रामायण लिखी। महाभारत ग्रंथ महर्षि वेद व्यास ने लिखा। मैंने आर्टिकल 14, 41 और 43 कोट किया, संविधान के रचियता कौन हैं? डॉ. अंबेडकर हैं। कहां जाति व्यवस्था थी? कौन सा भगवान ब्राह्मण है? आप बताएं कि तमिल, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़ बोलते हैं लेकिन मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो क्या तमिल में उच्चारण होता है या संस्कृत में होता है? अधीर जी, आप बताएं कि बंगाल में क्या बंगाली में पंडित पूजा कराता है या संस्कृत में कराता है। यहां कविता जी बैठी हैं। आप बताएं कि तेलंगाना में पूजा में पंडित तेलुगू में बोलता है या संस्कृत में बोलता है। संस्कृत एक ऐसी भाषा थी जो कश्मीर से कन्याकुमारी को, काबुल से कंधार को जोड़ती थी। उस सिस्टम को 1835 में वर्ण व्यवस्था में डाल दिया। जातिगत व्यवस्था का दबदबा इतना हो गया, वोट बैंक की राजनीति इतनी

प्रभावी हो गई, हमारी सोच इतनी छोटी हो गई कि हमने सबको जातिगत एंगल से देखना शुरू कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि जहां विकास होना चाहिए था, सबका विकास होना चाहिए था, सबके साथ विकास होना चाहिए था, उसे बंद कर दिया। मैं इसके जवाब में बाद में बोलूंगा लेकिन यह कहूंगा कि नए कन्वेंशन यहां तक कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है कि पूरी दुनिया में जिस तरह ओल्ड एज के लोग बढ़ रहे हैं, उनके विकास के लिए सोचने की समग्र आवश्यकता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है, उसकी रिकमेंडेशन है -

1. “Reforming expensive and equitable Civil Service Pension Scheme.
2. Addressing the needs of millions of internal and international migrant workers in a globalised labour market.
3. Improving the performance of privately managed defined contribution scheme.
4. Increasing the transparency, accountability and efficiency and fund management of publicly managed scheme.
5. Mitigation preserved labour market incentive due to tax wages and incentive for early retirement.”
6. And, the most important one is, “More systematically talking into account elements of the fourth pillar in particular how health insurance affects the adequacy of pension income and how other support mechanism affects elderly poverty prevalence.”

यदि गरीबी को हटाना है, गरीबों को सचमुच न्याय देना है। तेंदुलकर की कमेटी, लकड़वाला की कमेटी, एन.सी.सक्सेना की कमेटी, रंगराजन की कमेटी, अमीरों की कमेटी, गरीबों की कमेटी, शेड्यूल्ड कास्ट की कमेटी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कमेटी, ओबीसी की कमेटी, ब्राह्मणों की कमेटी, क्षत्रियों की कमेटी यदि इन सारी चीजों से दूर होना है तो इस देश के लिए युनिवर्सल पेंशन स्कीम ही एकमात्र तरीका है और वह तरीका यह नहीं है कि हम आपको बहुत कुछ दे पाने की स्थिति में होंगे। हम यह कह रहे हैं कि आपको कम से कम दो जून की रोटी और आत्मसम्मान मिलना चाहिए। आज बच्चे अपने मां-बाप को रखना नहीं चाहते, जो बूढ़े अपना इलाज कराना नहीं चाहते, जो अपने परिवार से मिलने के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। आप जब मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में जाते हैं तो आपको एक बड़ी फोर्स भिखमंगों की नजर

आती है, यदि हम उन्हें सम्मान से जीना सिखा देंगे, यदि इससे कुछ कर पायेंगे तो हम इस देश के लिए कुछ कर पायेंगे।

इसीलिए मंत्री महोदय मेरा आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस बिल को स्वीकार कर लीजिए, इस देश में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लागू कर दीजिए। गरीबों का कल्याण कीजिए, गरीबों का कल्याण करेंगे, तभी कुछ होगा। “आपदा मा पतन्तिनाम हितो अप्यायाती हेतुताम, मात्रि जंघा ही बत्सस्या असत्म भवति बंधने।”

क्योंकि आज आपके पास पावर है, आज आपके पास साधन है और हम कुछ कर पाने की स्थिति में हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

माननीय सभापति : बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है, माननीय वक्ता यदि समय का ध्यान रखेंगे तो अधिक से अधिक लोग इसमें भाग ले सकेंगे। श्री अधीर चौधरी जी, आप बोलिये।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, Nishikant Dubey ji has already enlightened us on this issue without being exhaustive and I must appreciate his views, sentiments and emotions, which have been reflected by his speech and the legislation that he has brought.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): Sir, I would like to bring it on record. मैं दोनों सदनों में रहा हूँ, लेकिन मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि प्राइवेट मैम्बर बिल पर पहली बार मैंने देखा है कि भारत सरकार के पांच-पांच मंत्री इस समय सदन में बैठे हैं। यह लोक सभा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि निजी विधेयक पर हो रही बहस को भारत सरकार के पांच मंत्री सुन रहे हैं। यह सरकार की गम्भीरता, सरकार की मजबूती और सरकार के हुनर को दर्शाता है। हम अपनी तरफ से और सदन की तरफ से बधाई देना चाहेंगे।

श्री अधीर रंजन चौधरी : ऐसा होना चाहिए, क्योंकि रोस्टर ड्यूटी तो लगी हुई है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : रोस्टर तो पहले भी लगता था।

श्री अधीर रंजन चौधरी : अभी श्री नरेन्द्र मोदी जी भी कड़ा रुख अपना रहे हैं, इसलिए आप लोग यहां बैठे हैं, देखने में अच्छा लगता है। पीयूष गोयल साहब का ध्यान भी आकर्षित किये हैं। Sir, I would like to say that a graceful and honorable old-age is a childhood of immortality. हमारे देश में बूढ़े लोगों का हम हर वक्त सम्मान करते हैं। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि हमारी आर्थिक व्यवस्था के चलते हम कभी-कभी ओल्ड एज पापुलेशन को अपना बर्डन समझने लगे हैं। जब पिछली यूपीए सरकार थी तो चुनावों की घोषणा होने के पहले they decided to ensure a minimum pension of Rs.1,000 a month under the retirement fund body, EPFO's scheme, which would benefit 28 lakh pensioners. It was said at that time that it would be a reality soon. An EPFO official told the PTI that Employees' Pension Scheme-95 (EPS-95) will be implemented now as the elections are over. So, it is incumbent upon the present dispensation to implement this because due to model code of conduct, it was stalled and now there is no obstruction in the way of implementing this scheme at least.

Since the day we were civilised and we started to lead a gregarious life, the society was formed. Since that time, it means the time immemorial, helping the



disadvantaged section of our society has become a practice, has become a norm of human civilisation.

Sir, in the Roman Empire, social welfare to help the poor was enlarged by the Emperor Trajan. Trajan's programme brought him acclaim from many, including Pliny the Younger.

In Jewish tradition, charity is a matter of religious obligation rather than benevolence. Contemporary charity is regarded as a continuation of the Biblical Maaser Ani as well as Biblical practices, such as permitting the poor to glean the corners of a field and harvest during the sabbatical year. Voluntary charity along with prayer and repentance is befriended to ameliorate the consequences of bad acts.

During the Song Dynasty in 1000 AD, the Government supported multiple forms of social assistance programmes including the establishment of retirement homes, public clinics and pauper's graveyards.

According to Robert Henry Nelson, the medieval Roman Catholic Church operated a far-reaching and comprehensive welfare system for the poor.

Last but not least, the concepts of welfare and pension were put into practice in the early Islamic law of the Caliphate in the form of *zakat*. Now-a-days, Muslim people are observing the Ramzan. There are five pillars of Islam and out of those five pillars, one pillar is *zakat*. During the time of Caliph Umar in the 7th Century, the taxes collected in the treasury of an Islamic Government were used to provide income for the needy, including the poor, elderly, orphans, widows and the disabled.

Early welfare programmes in Europe included the English Poor Law of 1601 which gave parishes the responsibility of providing poverty relief assistance to the poor. This system was substantially modified by the 19th Century Poor Law (Amendment) Act which introduced the system of workhouses.

It was predominantly in the late 19th and early 20th Centuries that an organised system of state welfare provision was introduced in many countries.

Otto Von Bismarck, Chancellor of Germany – already referred to by my esteemed friend, Shri Dubey – introduced one of the first welfare systems for the working classes in 1883. In Great Britain, the liberal government of Henry Campbell-Bannerman and David Lloyd George introduced the national insurance system in 1911, a system which was later expanded by Clement Attlee. The United States did not have an organised welfare system until the Great Depression where emergency relief measures were introduced under President Roosevelt. Even then, Roosevelt's new deal focussed predominantly on a programme of providing work and stimulating the economy through public spending on projects rather than on cash payment. So, Sir, it is not a new concept to us. However, in so far as India is concerned, we all know that it has the second largest population in the world. Further, India is one of the poorest countries in the world too.

Sir, in 1819, in a speech to mark the Independence of Venezuela, Simon Bolivar pronounced, which translates as follows : “The most perfect system of Government is that, which produces the greatest amount of happiness; the greatest amount of social security; and greater amount of political stability.” We cannot expect political stability in any country whatsoever without social security. Therefore, I would like to give my suggestions now because I know that there is paucity of time. So, I am a little restive to put my suggestions so as to draw your attention as well as that of the entire House. Those who are in greatest need should be considered first, and development objectives should be given priority to the poorest and underprivileged.

I cannot entirely subscribe to the view of Shri Nishikant Dubey because everything cannot be run in India in a market-oriented manner. I am saying this because we have a big chunk of poor / underprivileged population who want to be fed by the country itself. The purpose is to eradicate poverty; promote full and productive employment; and encourage active participation in society by everyone. Therefore, I will put forward some suggestions, namely, right to social security; social security coordination; sickness, maternity and paternity benefits; old-age

benefit and surety, and orphanage security; and last but not least is the creation of a Social Security Tax Fund at a proportionate rate of income and benefit that may be extended to all who have meagre or no income as well.

Now, we are all very much familiar with some popular texts / verse, namely, demographic dividend; demographic eco; dependency ratio; and so on. We have to look into the Indian demographic profile if we want to peep into the depth of social security.

The lifespan of our population has increased due to the progress and development of India. डॉ. हर्ष वर्धन जैसे डॉक्टर लोग हमारे देश में हैं, इसलिए हमारी आयु बढ़ती जा रही है। जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय हमारी औसत आयु 31 वर्ष थी। अब हमारी औसत आयु 67.5 वर्ष पहुंच चुकी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने आम लोगों की जिन्दगी बचाने के लिए तरह-तरह की कार्यवाही की है, हम दवाईयों का इंतजाम कर चुके हैं। इन्हीं कारणों से आज हमारी औसत आयु बढ़कर 67 साल के आसपास हो चुकी है। 55 से 64 साल की आबादी की रेश्यो 6.9 परसेंट है। 25 से 54 साल की आबादी का हमारा रेश्यो 40 परसेंट है। हमारी जनसंख्या का ग्रोथ रेट 1.2 परसेंट है। हमारी डिपेंडेंसी रेश्यो 52 परसेंट है। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे लोगों की जितनी उम्र बढ़ती जाएगी, उतना ही हमें पेंशन व्यवस्था की जरूरत होगी। हम पीछे हैं। हमें जापानी सिंड्रोम के बारे में मालूम है। जापानी सिंड्रोम में डिपेंडेंसी रेश्यो में एक फैमिली को खिलाने के लिए चार वर्कर थे, आज दो हो गए हैं। हमारे हिन्दुस्तान में डिपेंडेंसी रेश्यो 52 परसेंट है। इसलिए हम कहते हैं कि हमें डेमोग्रेफिक डिवेडेंड मिलेगा क्योंकि काम करने वाले लोगों की संख्या हमारे देश में ज्यादा है। लेकिन आगे क्या होगा? आने वाले दिनों में हमारे देश में ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। इन लोगों को सोशल सिक्योरिटी देने की जरूरत और ज्यादा महसूस होगी। अमेरिका, यूरोपिन कंट्रीज और जापान सोच चुके हैं। इसलिए उन्होंने सारे इंतजाम किए हैं। लेकिन फिर भी उन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2001 में जब यशवंत सिन्हा जी वित्त मंत्री थे तो उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा था कि पेंशन फण्ड अनसस्टेनेबल होते जा रहे हैं। इसको सस्टेनेबल करने के लिए हमें ध्यान देना होगा। इसलिए डायरेक्ट बेनीफिट से डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन की तरफ हमारा ट्रान्जीशन हुआ है। इसलिए हमने पेंशन और रेगूलटरी फण्ड बनाया है। इंड्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को हम लोग अनुमति दे चुके हैं। यह सरकार 49 परसेंट करना चाहती है, इस पर भी हमारी अनुमति है। क्योंकि हम चाहते हैं कि पेंशन के दायरे में ज्यादा से ज्यादा हिन्दुस्तान की पॉपुलेशन को लाया जाए। हम लोगों ने एक नयी पेंशन स्कीम चालू की जो कि एक कम्पलसरी स्कीम है। for the

Government employees from June, 2014 (except the Armed Forces). Again, NPS was launched on voluntary basis for all citizens of the country, including the unorganized sector workers from 2009.

श्री निशिकान्त दुबे : इसको अटल जी की सरकार ने ऑर्डिनेंस के ज़रिए किया था।

श्री अधीर रंजन चौधरी : उन्होंने ऑर्डिनेंस से किया था और हम लोगों ने इसका कानून पारित किया था। I am not at all interested in the war of taking credit.

Sir, in addition to it, to encourage people from the unorganized sector to voluntarily save for their retirement, the Central Government launched the co-contributory pension scheme called '*Swavalamban*'. The Government will contribute a sum of Rs. 1,000 to each eligible NPS subscriber, who contributes a minimum of Rs. 1,000 and maximum Rs. 12,000 per annum. This Scheme is presently applicable up to 2016-17.

Therefore, I personally feel that the older population of our country would be our asset if only we are able to provide them with health facilities, and an assured income sufficient enough to have a decent living. I think that will be a great tribute to our older population.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : सभापति महोदय, हमारे सहयोगी सम्माननीय श्री निशिकांत दूबे ने असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों और पेंशनधारी लोगों के लिए पेंशन की राशि का प्रावधान करने का विधेयक लेकर आए हैं, मैं उसका समर्थन करने के लिए इस सदन में खड़ा हुआ हूँ।

सभापति महोदय, सबसे पहले मैं निशिकांत जी से एक आग्रह करूंगा। इसमें पेंशनभोगी शब्द लिखा है। मुझे नहीं पता कि यह उन्होंने लिखा है या संसद की परंपरा है कि हम कोई चीज़ लिखते हैं तो पहले वह अंग्रेजी में ट्रांसलेट होती है और फिर हिन्दी में होती है तो उसका कई बार स्वरूप बदल जाता है। पर, मुझे लगता है कि पेंशनभोगी शब्द के बजाय पेंशनधारी शब्द ज्यादा बेहतर होता।


दूसरी बात, मैं असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों के बीच काम करता हूँ। मैं भेद नहीं कर रहा, पर मैं एक आंकड़ा सदन में दे रहा हूँ। यह इसी संसद का आंकड़ा है। जब 90 के दशक में मज़दूरों की गणना हुई तो 43 करोड़ 40 लाख असंगठित क्षेत्र के मज़दूर बताए गए और लगभग चार करोड़ सिर्फ संगठित क्षेत्र के मज़दूर बताए गए। मैं नहीं जानता कि इसमें भेद किस ने किया? न तो मैं उस अतीत में जाना चाहता हूँ कि दुनिया में किस देश ने सामाजिक सुरक्षा की गारंटी के लिए इन मज़दूरों की चिंता की। लेकिन मुझे यह अच्छे-से याद है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधान मंत्री थे तो सामाजिक सुरक्षा के लिए उन्होंने चिंता की। उसके बाद एक कानून बना था। निर्माण मज़दूरों के लिए इस देश में वर्ष 1998 में कानून बना। उसके बाद सामाजिक सुरक्षा की गारंटी के लिए उन्होंने प्रावधान किया कि अगर एक सौ करोड़ रुपये की लागत से कोई सड़क बनेगी या पुल-पुलिया बनेगा या भवन बनेगा तो 99 करोड़ रुपये खर्च होंगे और एक करोड़ रुपये उसमें परिश्रम करने वाले मज़दूर की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी के लिए खर्च किए जाएंगे। पैसे का प्रावधान अलग-से नहीं होगा। जो नियत राशि थी, उसमें उसे एक सेपरेट सेस के रूप में प्रावधान कर दिया गया। उसे टैक्स नहीं कहा गया, उसे सेस कहा गया।

सभापति महोदय, मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि हम इतनी लम्बी-चौड़ी बातें करते हैं लेकिन इसकी प्रक्रिया कहां है? उन 43-44 करोड़ लोगों के पंजीयन और पहचान का संकट आज भी देश के सामने है। मैं बड़ी विनम्रता से इस सदन से कहूंगा कि वास्तव में इनके पहचान का संकट है। आप किसे मज़दूर मानते हैं? मैं एक उदाहरण देता हूँ। बैण्ड बजाने वाले और सारे अच्छे कामों में लगे व्यक्ति चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के हों, लेकिन वे मज़दूरों की सूची में नहीं हैं।

मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। जो सड़क पर पान का ठेला चलाता है, वह मज़दूर है। लेकिन अगर उसने लोन ले लिया तो वह ट्रेडर हो जाता है। वह लेबर से अचानक ट्रेडर हो जाता है और वह सारी सुविधाओं से वंचित हो जाता है।

महोदय, मैं चंडीगढ़ गया था। मैं मज़दूरों के बीच काम करता हूँ। वहां की स्थिति देख कर मैं भौंचक था। एक हज्जाम कहे जाते हैं, वे मुस्लिम जाति हैं, उनका रजिस्ट्रेशन आज़ादी के पहले का है। यह एक उर्दू का शब्द है। अगर आज कोई व्यक्ति सड़क पर किसी के बाल काटने का व्यवसाय करेगा तो वह एक लेबर होगा लेकिन अगर उस ने कर्ज़ लेकर दुकान खोल ली, चाहे वह सरकारी बैंक से ले, चाहे गैर सरकारी बैंक से ले, वह ट्रेडर हो जाएगा। इस पर फैसला नहीं हो सका। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि निशिकांत जी कह रहे थे कि हम इसमें भेद नहीं करते तो मुझे लगता है कि अभी तो हमें इतने छोटे सवाल से जूझना है। इसलिए मैं जब काम कर रहा था तो हम लोगों ने एक चार्टर बनाया। उस चार्टर में कहा कि पहले तो इस देश के मज़दूरों को सूचीबद्ध करो। कितने ट्रेड हैं? आज से चार साल पहले 37 ट्रेड थे। अब वे 62 हो गए। अभी कुछ महीने पहले वे 67 हो गए और उसके बाद भी जिनके मैंने नाम लिए उनकी समस्या जस-की-तस हैं। इसका कोई समाधान नहीं निकला है। यह तो पहचान की बात कि हम अमुक ट्रेड के रूप में पहचाने जाएंगे कि कौन जूट के क्षेत्र में काम करता है, कौन चाय बागानों में काम करता है, कौन बीड़ी मज़दूर है।

महोदय, महिलाओं को लेकर बहुत बड़ी-बड़ी बातें होती हैं लेकिन मैं इन तीन ट्रेडों की बात कर रहा हूँ- चाय बागान, बीड़ी का क्षेत्र और जितने भी पहाड़ी राज्य हैं उनमें खेतों में जो काम करने वाले मज़दूर हैं, उनमें 90 फीसदी से ज्यादा महिलाएं हैं। लेकिन आपको सुन कर यह आश्चर्य होगा कि इस देश का जो भी डेली वेज है, अगर यह सबसे कम कहीं है तो यह चाय बागानों में है। उन्हें 52 रुपये दिए जाते हैं। बीड़ी बनाने वालों को 52-53 रुपये दिए जाते हैं। आप पहाड़ों पर चले जाइए। वहां की हालत भी 50 रुपये से नीचे है। मैं समझता हूँ कि कभी हमने जिम्मेदारी के साथ चर्चा ही नहीं की। अभी तो मैं इसके क्रियान्वयन की बात पर आया ही नहीं। मुझे लगता है कि जब हम इन बातों पर चिंता करते हैं तो इस बात को भी सोचें कि इन्हें पेंशन क्यों मिलना चाहिए। जब कोई वृद्ध आदमी होता है तो जैसे मैं उन्हें हम्माल कहता हूँ। पचास साल की उम्र के बाद इस देश में हम्माली करने वाला हम्माली नहीं कर सकता। रिक्शा चलाने वाला रिक्शा नहीं चला सकता। वृद्धावस्था पेंशन 60 साल की आयु में मिलेगी।

किसके पास जमीन है, किसके पास नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन जिस देश का कानून कहता है कि जब 60 साल की उम्र पार कर जाओगे, बीड़ी मज़दूर को छोड़कर, क्योंकि, बीड़ी मज़दूर के मामले में प्रावधान है कि 59 साल की उम्र के बाद उसको पेंशन मिल सकती है, लेकिन बाकी सब को 60 साल के बाद मिलेगी और वह भी अन्यान्य प्रकार की योजनाओं और शर्तों के साथ मिलेगी। मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कहना चाहता हूँ, सदन विचार करेगा कि हम्माल सिर्फ एक जगह नहीं होता है।  पीमेण्ट साइडिंग पर हम्माली करने वाला, रेलवे साइडिंग पर हम्माली करने वाला, पेस्टीसाइड्स में हम्माली करने वाला, कृषि

उपज मंडी में हम्माली करने वाला, सब्जी मंडी में हम्माली करने वाला और जो ट्रकों में लदान करने वाला हम्माल है, यह एक ही सैक्टर में इतने प्रकार हैं, जिनकी सामाजिक सुरक्षा में उनकी चिकित्सा और उनकी बाकी समस्याएं भी भिन्न-भिन्न हैं। हम्माल एक शब्द है, ये सैक्टर इतने सारे हैं, लेकिन उसका समाधान नहीं है। इसलिए मैं आपसे बड़ी विनम्रता से कहूंगा, पेंशन की तारीख पर बहस हो सकती है कि किस उम्र में हो, इसका कोई प्रावधान हो सकता है, लेकिन इसी में उम्र की उलझन शुरू होगी कि किस उम्र में पेंशन मिलनी चाहिए। ट्रेड के आधार पर इस देश के मजदूर की पेंशन के बारे में विचार करना पड़ेगा और इसलिए आपको तय करना पड़ेगा कि कौन सा मजदूर आर्गेनाइज्ड है, कौन सा आर्गेनाइज्ड नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। आपको यह तय करना पड़ेगा कि उसकी शारीरिक हालत क्या है और देश में उसने अपनी जवानी की जितनी भी ऊर्जा थी, उसने देश के काम में लगा दी, चाहे वह परिवार पालने के नाम पर लगाई हो, चाहे उसने अपने देश को बनाने में लगाई हो, लेकिन उसके पसीने का इस देश के निर्माण में योगदान है और इस नाते मैं यह कहता हूँ कि इस पर इस सदन में बहस होनी चाहिए कि वास्तव में उस गरीब को किस उम्र में पेंशन मिले। कौन सा तंत्र काम करेगा, आप मैडीकल टीम बनाइये और उसका आकलन करिये, जिसने जीवन में परिश्रम किया। अगर वह किसी बीमारी के कारण अपंग हो गया और उसका बच्चा भी अगर मजदूर है तो वह उसे पालने की स्थिति में नहीं है।

सामाजिक सुरक्षा की जो भी दूसरी पेंशन हैं, वे पेंशन जातियों के आधार पर या अन्य वर्गों के आधार पर ज्यादा हैं, बजाय इसके कि उसकी लाचारी के कारण हों। मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि मैं किसी जाति का विरोधी नहीं हूँ, मैं मजदूर को सिर्फ मजदूर की दृष्टि से देखना चाहता हूँ, लेकिन उस मजदूर के बारे में फैसला कैसे होगा? कांग्रेस के लोग 2006 में नकल करके एक कानून लेकर आये थे। साहिब सिंह वर्मा जी ने कहा था कि आप इनके पंजीयन के लिए पैसा दीजिए, आप सामाजिक सुरक्षा कानून की जगह पर पंजीयन के लिए एक मजदूर सुरक्षा कानून लेकर आये। यहां पर मंत्री महोदय मौजूद हैं, मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि 2006 में कानून बना, मैंने अभी प्रश्न लगाया था कि कितने लोग पंजीकृत हुए, उसका जवाब आया कि इसमें कोई प्रगति नहीं हुई, क्योंकि, पैसे का प्रावधान नहीं किया गया। आपने कानून बना दिया, राज्य सरकारों से कह दिया, उनके हवाले छोड़ दिया कि आप जाकर लोगों को पंजीकृत करिये, लेकिन पंजीयन का पैसा कहां से आएगा, इसका प्रावधान कौन करेगा? जैसे अटल बिहार वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर 100 करोड़ रुपये का निर्माण होगा तो उसका एक प्रतिशत उस गरीब आदमी की सामाजिक सुरक्षा के लिए लगेगा। अगर यह कानून उस समय बना दिया गया होता कि यह केन्द्र का कानून है, उसके पैसे का प्रावधान यहां से होगा, उसका पंजीयन होगा। क्योंकि, पंजीयन किसी भी मजदूर को

लाभ देने के लिए पहली शर्त है। अगर मैं जीवन भर मजदूरी करूं, लेकिन अगर मेरे पास में कार्ड नहीं है तो मुझे सामाजिक सुरक्षा का कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं है।

मैं बुन्देलखण्ड से आता हूं और बुन्देलखण्ड में सूखा है, गरीबी है, लाचारी है और मैंने कहा कि वहां पांच एकड़ का काश्तकार, जिसके पास सिंचाई नहीं है, उसकी दुर्दशा यह है कि वह यहां पर तो मजदूरी करता ही है, वहां पत्थरों में कुछ होता नहीं, जमीन के नीचे मिनरल है, वैसे कहने के लिए तो वह करोड़पति-अरबपति है, लेकिन उसके पास में कुछ नहीं है। मैंने कहा कि वह पांच एकड़ का काश्तकार, जिसके पास में सिंचाई का साधन नहीं है, उसको मजदूर घोषित करो, नहीं तो उसका गरीबी की रेखा का कार्ड नहीं बनेगा। क्योंकि, जिसके पास में एक एकड़ जमीन है, दो एकड़ जमीन है, वह 12 रुपये और 14 रुपये दिन के कमाता है। अगर पांच लोगों के बीच में दो एकड़ जमीन है तो जितने भी सर्वे हैं, जितने तमाम नाम हमारे निशिकान्त जी ने लिए हैं, मैं उन महापुरुषों से कहूंगा कि कभी बुन्देलखण्ड की धरती पर जाइये और पांच एकड़ के काश्तकार की, जिसके पास असिंचित जमीन है, उसकी दुर्दशा देखिये। एक आदमी 12 रुपये, 14 रुपये से ज्यादा वहां उससे नहीं कमा सकता है। उससे ज्यादा मजदूर कमाता है। अगर एक परिवार में चार लोग मजदूरी करते हैं तो आठ एकड़ जमीन के काश्तकार से ज्यादा पैसा अपने परिवार में लेकर जाते हैं, यह जमीनी सच्चाई है। लेकिन इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि, हमारे पास आंकड़ेबाजी नहीं है, हमारे पास में दस्तावेजी प्रमाण नहीं हैं। हम जमीन पर हैं, जो हम कह रहे हैं, वह शपथपूर्वक कह रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। कई बार मुझे आश्चर्य होता है, मैं भी बहुत छोटी उम्र में, 27.5 साल की उम्र में इस सदन में आया था। मैं किसान का बेटा हूं, एक मध्यवर्गीय परिवार में पैदा हुआ हूं, हमें जमीन की जानकारी है, लेकिन हमें आंकड़ों की जानकारी नहीं है, हमसे आंकड़ों की बाजीगरी नहीं होती। वास्तव में सच्चाई यही है कि कांग्रेस जो कानून लेकर आई, उस कानून में अगर पैसे का प्रावधान किया होता तो आज तक गरीब मजदूर का पंजीयन हो गया होता। आज सिर्फ भवन बनाने वाले जो भी मजदूर हैं, उनको छोड़कर किसी भी ट्रेड में पंजीयन की व्यवस्था नहीं है। यह तो एक चीज है, ऐसी कितनी ही सारी चीजें पड़ी हुयी हैं, जूट उद्योग हो सकता है, चाय का उद्योग है, निर्माण मजदूर है, ठेका मजदूर है, जहां कहीं पर थोड़ी बहुत व्यवस्थायें हैं, इसके अलावा किसी भी ट्रेड में अभी कोई ऐसी जिम्मेदारी वाली न तो कानून की व्यवस्था है और न ही पहचान की व्यवस्था है। मैं निशिकान्त जी को धन्यवाद दूंगा कि एक बहस तो शुरू हुई, इसलिए मुझे लगता है कि पहले उनको चिन्हित कीजिए, फिर उनका रजिस्ट्रेशन कीजिए ताकि वे अधिकार के लिए, पात्रता के लिए अपनी लड़ाई लड़ सकें।

तीसरी बात आती है कि किस ट्रेड के बारे में आप क्या सोचते हैं? तब कहीं जाकर पेंशन का प्रावधान बनेगा। यह इस देश का सदन, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, यह इसकी जिम्मेदारी है। आपको

इस बात को किसी पर छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि को लक्ष्य, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि एक लक्ष्य बनाइये ताकि किसी निष्कर्ष पर हम पहुंचें। तंत्र बन सकता है, तब कहीं जाकर लाचार आदमी की लाचारी खत्म होगी। ऐसे नहीं हो सकती कि हम हर बार भाषण दें और आगे के रास्ते पर बढ़ जायें। मैं उसके लिए सबसे अच्छा मॉडल मानता हूँ, जिसको कहते हैं कि जमीन पर खड़े होकर किसी बात का समाधान खोजना, मैं दीन दयाल जी की उस बात को अच्छा मानता हूँ। जब उनसे पूछा गया कि आप अर्थशास्त्री हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं उपाधि प्राप्त अर्थशास्त्री नहीं हूँ, लेकिन मैं भारत की जमीन पर खड़ा होकर जब किसी समस्या पर ईमानदारी के साथ विचार करता हूँ तो यह धरती माता मुझे ताकत देती है और मैं उसका समाधान खोज लेता हूँ और वह सूत्र रूप में हमारे मुंह से निकला जाता है और कल वह देश का मार्गदर्शन करता है।

हम दीन दयाल जी के शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। वर्ष 2015 और 2016 उनका शताब्दी वर्ष है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगा कि दीन दयाल जी के एकात्म मानव दर्शन को आधार मानकर चलने वाला दल आज देश की राजनीति में सत्ता में बैठा है। अगर वास्तव में कुछ सच्ची श्रद्धांजलि दीन दयाल उपाध्याय जी को देनी है तो इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। दरिद्र नारायण की सेवा ईश्वर की सच्ची सेवा है, यह स्लोगन जो दुनिया में दीन दयाल जी का चलता है, अगर वास्तव में उसकी पूर्ति करनी है, वास्तव में उस मंशा को धरती पर, जमीन पर लाकर उतारकर देना है तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता है।

मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि हमने भी आन्दोलन चलाया था। आजकल मानव अधिकार दिवस मनाते हैं, आईएलओ का भी एक वह फैशन बन गया है, सभापति महोदय, आप तो जमीन से जुड़े हुए हैं, उन संघर्षों को आपने देखा है। हमने कहा कि रोजी-रोटी पर तकरार, फिर कैसा मानव अधिकार? यह आलोचना नहीं है, यह जमीनी सच्चाई है। आप किस मानव अधिकार की बात करते हैं? हमने जब रैली की तो हमने यही कहा कि मालिक-मजदूर भाई-भाई, लेकिन हिसाब होगा पाई-पाई। जब यह बात कहते हैं तो अलगाव नहीं होना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि इस देश में जो ट्रेड यूनियन बनीं, उन्होंने कई बार जिस भाषा का प्रयोग किया, उन्होंने वेज की बात पहले की, वेलफेयर की बात नहीं की। कई बार हमारा समाज जो वास्तव में समाज के परिवेश में चलता है, वह एक धड़ा दूसरे धड़े के दुःख-दर्द की हिस्सेदारी का हिस्सा होता है और वह समाधान देता रहा है। जिस प्रकार से हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे, चाहे वे जकात की बात करें, मैं मजदूर को खैरात के पक्ष में नहीं हूँ। उसे अगर कोई चीज मिलनी चाहिए तो वह सम्मान के साथ मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसे कोई चीज भीख के नाते दी जाये। उसकी लाचारी का मजाक न बने, इस बात के लिए सदन में चर्चा होनी चाहिए, इस बात के लिए नहीं कि किसी की कृपा

पर फेंककर उसको दे दिया जाये। इसलिए कोई ऐसी जिम्मेदारी के साथ ऐसा कानून बने ताकि लगे कि नहीं, वास्तव में हम उसका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, हम उसको शिक्षा दे रहे हैं।

महोदय, हम अगर ईएसआई के अस्पतालों की हालत देखते हैं, वह शहर से 12 किलोमीटर दूर है। मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि टी.बी. का मरीज 12 किलोमीटर दूर कैसे जायेगा? उसके पास पैसा कहाँ है? जिस वृद्ध आदमी के लिए हम आज अधिकारों की बात करते हैं, किसी आदिवासी गरीब आदमी की बात देखिए, जिससे अस्पताल 50 किलोमीटर दूर है, उसके पास बस में जाने का पैसा नहीं है। उसके लिए सिर्फ खाने भर का संकट नहीं है। बुढ़ापा, गरीबी, लाचारी और यह बीमारी भी है, उसकी बीमारी के इलाज का पैसा कहाँ से आयेगा? पेंशन के लिए विचार करते समय इन आंकड़े देने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ पेट की दो टाइम की रोटी उस पेंशनधारी को मिलेगी? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ क्योंकि वह उम्र सिर्फ भोजन की नहीं है, उसकी दवाई की भी जरूरतें हैं तो इस आधार पर उस बारे में फैसला करना होगा। मैं इसको सामयिक मानता हूँ कि जिस समय यह बिल आया है, इस पर सकारात्मक बहस होनी चाहिए, लेकिन मैं कांग्रेस के मित्रों से कहूंगा कि हम श्रेय लूटने के चक्कर में कई बार अपने विषयों से भटकते हैं। श्रेय के चक्कर का नहीं, यह सवाल नीयत का है। जब आप जमीन पर बैठकर पूरी संवेदनशीलता के साथ अगर इस पर विचार करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का दुरुपयोग हो सकता है।

अंत में मैं इतना ही कहूंगा, मैंने एक सुझाव दिया था, आधार कार्ड के लिए हजारों करोड़ रुपये इस देश में खर्च हो रहे हैं, उस आधार कार्ड का नम्बर उस गरीब आदमी का पी.एफ. नम्बर बना दो तो उसका रास्ता निकल जायेगा। इस दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, 1200 करोड़ रुपये पी.एफ. का एक साल के भीतर लैप्स हुआ। इस देश का कानून कहता है कि कोई क्लेम करने नहीं आयेगा तो राज्य सरकार विवेक के आधार पर खर्च कर लेगी और वह पैसा खर्च हो गया। मेहनत का पैसा, उस मजदूर के पसीने की कमाई उसके बच्चों को मिलनी चाहिए। वह ऐसे उड़ जाती है। इनके लिए रास्ते निकाले जा सकते हैं। हमने सिर्फ अलोचना नहीं की थी, हम ने कहा था कि उसका पी.एफ. नम्बर और आधार कार्ड का नम्बर एक हो जाए, ऐसा कोई रास्ता यह सरकार निकाले, ताकि उनकी मेहनत की कमाई का पैसा उनकी सड़कों में न लगे बल्कि गरीब आदमी के बच्चों को मिले। इतना कहते हुए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

प्रो. सौगत राय (दमदम) : सभापति महोदय, हमारे देश के असंगठित मजदूरों को मिनिमम पेंशन के लिए, निशिकांत दुबे जी जो राष्ट्रीय न्यूनतम पेंशन (गारंटी) विधेयक - 2014 लाए हैं, इसका मैं समर्थन करता हूँ। राजनीतिक दृष्टिकोण से मेरा उनसे फर्क है। होल व्यू में भी फर्क है। लेकिन, अगर उन्होंने कोई अच्छा प्रस्ताव किया है, तो उसका समर्थन करना चाहिए और मैं उसका समर्थन करता हूँ।

माननीय सभापति जी, हमारे संविधान में जो डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, पार्ट-फोर, उसमें यह लिखा है। Article 41 of the Constitution on Right to work, to education and to public assistance in certain cases states:

“The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in case of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want.”

हमारे संविधान के जो प्रणेता थे - श्री जवाहर लाल नेहरू, श्री राजेन्द्र प्रसाद या बाबा साहेब अम्बेडकर, ये देश के लिए एम्बिशन पहले से ठीक कर के गए थे कि सभी लोगों को बुढ़ापे में मदद मिलनी चाहिए। क्योंकि डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स जस्टिसेबल तो नहीं है, हम उसको लागू करने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, लेकिन देश का लक्ष्य क्या होना चाहिए, यह डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा हुआ है। निशिकांत दुबे जी का यह कानून उसी को पूरा करने के लिए आया है। हमारे देश में बहुत बड़ी आबादी है, लगभग 120 करोड़ लोग रहते हैं। हम पूरी जनसंख्या के बारे में तो नहीं कहते हैं। हम कहते हैं कि जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है, उनको मदद करने की एक व्यवस्था होनी चाहिए। इसी लक्ष्य को ले कर निशिकांत दुबे जी ने इसको रखा है।

बात यह नहीं है कि इस दिशा में कोई कोशिश नहीं हुई है। 70 लाख लोग केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में काम करते हैं, उन के लिए पेंशन की व्यवस्था है। सरकार सभी को पेंशन देने की जिम्मेवारी नहीं लेना चाहती है, इसलिए न्यू पेंशन स्कीम चालू की गई। तब भी उन्हें मिनिमम पेंशन गारंटेड है। कुछ साल पहले जिन लोगों को प्रॉविडेंट फंड, ई.पी.एफ. इम्प्लॉयज प्रॉविडेंट फंड है, उनके लिए एक प्रॉविडेंट फंड लिंक्ड पेंशन चालू की गई थी। बहुत लोग मेरे पास आते थे और कहते थे कि हमको 300 रुपया पेंशन मिलता है। यह शर्म की बात है। पाँच सालों से मैं इस संबंध में लिखते आया और बोलते आया। यू.पी.ए-II के अंतिम समय में मिनिमम पेंशन 1000 रुपया ग्रांटेड हुआ। वित्त मंत्री जी के बजट भाषण में भी इसका उल्लेख है कि ईपीएफ लिंक्ड पेंशन में मिनिमम पेंशन एक हजार रुपये होगी।



वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना भी एक पेंशन स्कीम है। उसमें अभी तक केवल 3 लाख 16 हजार लोगों को पेंशन मिलती है। यह भी एक सरकारी स्कीम है। केन्द्र सरकार ने एक स्कीम चालू की थी जिसका नाम इंदिरा गांधी नैशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम (इंदिरा गांधी नॉप्स) था। मुझे पता नहीं कि वह नाम अभी है या नहीं।... (व्यवधान) इंदिरा गांधी नॉप्स में भी लोगों को पंचायत या निगम के माध्यम से पेंशन देने का प्रावधान है। उसमें भी एक हजार रुपये मिलते हैं। लेकिन उसमें यह परेशानी है कि पंचायत में कोटा होता है। जब वह पूरा हो जाता है तो दूसरे लोगों को पेंशन नहीं मिलती। अभी नियम लागू हुआ है कि जिनके पास बीपीएल कार्ड है, उन्हीं को वह सुविधा मिलेगी। हमारे मुल्क में लगभग 30 प्रतिशत बीपीएल हैं। बाकी लोगों को इंदिरा गांधी नॉप्स का मौका नहीं मिलेगा।

पश्चिम बंगाल में प्रांतीय सरकार की ओल्ड एज पेंशन स्कीम चालू है। प्रांतीय सरकार के पास कम साधन होते हैं। मैं देखता हूँ कि वहां एक व्यक्ति को ऐप्लाइ करने के बाद कम से कम तीन साल लगते हैं। मेरे पीछे बहुत लोग घूमते हैं। मैं अधिकारियों के पास जाता हूँ तो वे कहते हैं कि हमारा कोटा पूरा हो गया है। जब तक लोग गुजर नहीं जाते, हमारा कोटा नहीं खुलेगा। इसलिए हम नहीं दे सकते। सरकारी पेंशन, ईपीएफ लिंक पेंशन, वरिष्ठ बीमा योजना और प्रांतीय सरकार की पेंशन स्कीम हमारी जनसंख्या के बहुत कम लोगों को मिलती है।

यह लॉग टर्म एम्बिशन भी हो सकती है, लेकिन निशिकांत जी का कहना है कि हर वरिष्ठ नागरिक को कम से कम 5 हजार रुपये पेंशन मिलनी चाहिए। मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। अगर हमारा राष्ट्र वेल्फेयर स्टेट है, अगर जनता का भला, देखभाल करना राष्ट्र का फर्ज बनता है तो लोगों के लिए मिनिमम पेंशन का प्रावधान करना चाहिए। लोग अलग-अलग प्रोफेशन में लगे हुए हैं। कोई खेतीहर मजदूर है, कोई मछुवारा है, कोई जंगल में काम करता है। उन सब लोगों को पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाने की बात पहली बार निशिकांत जी लोगों के सामने लाए हैं। मैं इसका समर्थन करता हूँ क्योंकि हम जिस जनजीवन के साथ जुड़े हुए हैं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि हालत क्या है। शायद हर प्रांत में, मैं अपने प्रांत में देखता हूँ कि लोगों को सौ-सौ करोड़ रुपये प्रॉविडेंट फंड में जमा करने होते हैं।

हमारे वहां जूट मिल है जिसमें दो लाख इम्प्लॉई हैं। लेकिन वहां 200 करोड़ रुपये प्रॉविडेंट फंड ड्यूज हैं। हमारे वहां ग्रेच्युटी का कानून है। हर साल काम करने पर 15 दिन की ग्रेच्युटी मिलती है। रिटायरमेंट के समय कोई मालिक ग्रेच्युटी नहीं देता। वह उनके साथ एग्रीमेंट करता है कि जब तक ग्रेच्युटी क्लीयर नहीं होती आप काम कीजिए। जिन लोगों की उम्र 65, 66 साल हो गई, वे जूट मिल में काम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उन्हें काम करना पड़ता है क्योंकि उनके पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। उनका शरीर जूट मिल में काम करने लायक नहीं है फिर भी वे काम करते हैं। क्योंकि उनको ग्रेच्युटी नहीं

मिलती। इसमें बदलाव आया है। जूट मिल में 80 प्रतिशत लोग बिहार और यूपी के हैं। आजकल उसमें भी आदमी मिलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि एमजीएनआरईजीएस के शुरू होने से लोगों को प्रतिदिन 150 रुपये मिलते हैं इसलिए उन्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए लोग कोलकाता चटकल में आना नहीं चाहते हैं। वहां लेबर की कमी हो जाती है। हमारा कहना है कि मुल्क में बदलाव आया है, कुछ सुधार आया है, लेकिन हमें बहुत आगे जाना है।

महोदय, निशिकांत जी का रेज्योलूशन हमें एक रास्ता दिखाता है कि हमें कहां तक पहुंचना है। इंग्लैंड में हर नागरिक को नैशनल हैल्थ स्कीम की सुविधा मिलती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंग्लैंड में नैशनल हैल्थ स्कीम में डायलिसिस से लेकर किडनी ट्रांसप्लांट आदि सब कुछ सरकारी खर्च से होता है। मेरा एक दोस्त था, वह पहले इंग्लैंड में काम करता था। मैं आज से दस-पन्द्रह साल पहले की बात कह रहा हूं। वह हर साल इंग्लैंड जाता था और डायलिसिस करके वापिस आता था। आज कल डायलिसिस यहां भी चालू है। वह अपना किडनी ट्रांसप्लांट भी इंग्लैंड से कराकर आया, क्योंकि खर्चा नहीं लगना था। मुझे पता नहीं कि कब हम उस स्तर पर पहुंचेंगे जहां आप हर आदमी को मेडिकल सुविधाएं दे पायेंगे, लेकिन एक रोडमैप होना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं नहीं समझता कि निशिकांत जी जो रेज्योलूशन लेकर आये हैं, वह असंभव है। अगर हम 33 हजार करोड़ रुपया एमजीएनआरईजीएस पर दे सकते हैं, तो निशिकांत जी ने क्या कहा है? उनका कहना है कि 50 हजार करोड़ रुपये से एक कारपस फंड बनाया जाये और हर साल 30 हजार करोड़ रुपया दिया जाये, तो आप उसे कवर कर सकते हैं। आप हिन्दुस्तान के सब ऐलिजिबल लोगों को 5 हजार रुपये मिनिमम पेंशन दे सकते हैं। कल ही हमने 18 लाख करोड़ रुपये का एप्रोप्रिएशन बिल पास किया है। जिस सरकार का 18 लाख करोड़ रुपये एक्सपेंडीचर पर खर्च होते हैं, वहां 50 हजार करोड़ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सरकार की इच्छा होनी चाहिए। सरकार की नीयत और इच्छा, दोनों में कमी है। अब 18 लाख करोड़ रुपये का जो खर्चा होता है, उसमें प्लान के लिए साढ़े 5 लाख करोड़ रुपये का खर्चा है जबकि बाकी सब पैसा नॉन प्लान में चला जाता है। उसमें से वे सरकारी कर्मचारी को देते हैं और ऐस्टेब्लिशमेंट खर्चा होता है। हम सब एमपीज को पेंशन मिलती है, सरकारी कर्मचारियों को भी पेंशन मिलती है और हर प्रांत में एमएलए को भी पेंशन मिलती है, लेकिन बेचारी गरीब जनता को कुछ नहीं मिलता है।

महोदय, निशिकांत बाबू ने सही बात कही कि जब हम अपनी कांस्टीट्यूंसी में जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि हमारे लिए आप कुछ कीजिए। बंगाल में बहुत विधवाएं हैं जो दूसरे घरों में काम करती हैं, यानी घरेलू कर्मचारी हैं। उनकी देख-भाल करने के लिए कोई नहीं है। वे अपना पेट पालने के लिए दूसरे घरों में

झाड़-पोंछ करती हैं। वे मुझे आकर बोलती हैं कि हमें इंदिरा गांधी नोप्स दिला दीजिए। कुछ लोगों को तो मैंने दिला दिया। जिसे वह मिल गया, वह तो बच गया, क्योंकि वह कम से कम दिन में एक बार तो खा सकता है। बाकी लोगों को कुछ सहूलियतें नहीं हैं। हम कहते हैं कि मंगल में यान भेजेंगे, बड़े-बड़े समुद्र के नीचे से तेल उठावेंगे। हम आकाश में जायेंगे, मिसाइल बना रहे हैं, लेकिन इस देश में आम जनता की हालत अभी भी बहुत खराब है। हमें दूर-दृष्टि से देखना चाहिए।

महोदय, मैं समझता हूँ कि निशिकांत बाबू जो रेज्योलूशन लाये हैं, उस पर कम से कम चर्चा हो। देश में प्रॉयरिटी क्या होनी चाहिए, किस चीज पर अग्राधिकार होना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। हम बजट में कितने रुपये, कितने परसेंटेज सामाजिक सुरक्षा के लिए खर्च करना चाहते हैं, इस पर एक चर्चा हो। मैं श्री अधीर जी जैसा, कि इंग्लैंड का क्या इतिहास है, वेस्टर्न डेमोक्रेसी से कम्पेयर करने की जरूरत नहीं है, वहाँ तो टोटल रिसोर्सेज हैं। आप स्वीडन जाइए, ये छोटे-छोटे मुल्क हैं, यहाँ एक-एक करोड़ की आबादी है। हिन्दुस्तान की जो समस्या है, उसका साईज़ बहुत बड़ा है। यहाँ का पापुलेशन साईज़ जितना बड़ा है, उसकी तुलना हमें छोटे-छोटे देशों से नहीं करनी है। हमें बड़े ढंग से सोचना चाहिए, देखना चाहिए। रास्ता क्या है, इसे लेकर बराबर बात होती है। मैं कल भी चर्चा में बोला था कि ग्रोथ होने से यह नहीं होगा। यदि ग्रोथ का लक्ष्य होगा, ग्रोथ के साथ सामाजिक इंसाफ, सामाजिक न्याय-विचार होगा, तभी हम अपना रास्ता ढूँढ पाएंगे। मैं तो जानता हूँ कि प्राइवेट मेम्बर बिल का क्या होता है? श्री निशिकांत बाबू तो चालीस मिनट बोल लिये। उसके बाद मंत्री जी अंत में भाषण देंगे, वे बोलेंगे बहुत अच्छा और श्री निशिकांत बाबू उसे विदद्दा कर लेंगे। मैं तो इसलिए धन्यवाद करता हूँ कि वह कानून लागू हो जाएगा, बल्कि इसलिए करता हूँ कि कम से कम इस पर चर्चा तो कराएँ। देश के सबसे गरीब, दबे हुए, कष्ट में रहने वाले, बेसहारा लोगों के बारे में चर्चा तो इस हाऊस में हो चुकी है। हम न्यूक्लियर इनर्जी और अन्य कई चीजों पर चर्चा करते हैं, लेकिन देश की आम जनता के बारे में इस सदन में चर्चा नहीं होती है। आप तो श्री लोहिया जी के भक्त रहे हैं। अभी बीजेपी में हैं, ठीक है। आप जानते हैं, लोहिया जी के इन सब लोगों के बारे में बताया था। गांधी जी से लेकर लोहिया जी तक यही चिन्ता थी। इस चिन्ता को अभी लागू करना चाहिए। मैं इसलिए इस बिल का समर्थन करता हूँ और श्री निशिकांत बाबू से अपील करता हूँ कि आप इस पर अड़े रहिये। जब आपको सरकार की तरफ से बोला जाएगा कि आप विदद्दा कर लीजिए, तो आप नहीं करिएगा, इससे क्या होगा? देश के लोग याद रखेंगे कि ये पार्टी के खिलाफ फाइट करके भी गरीब लोगों के लिए बिल विदद्दा नहीं किया। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I stand here to support the Bill that has been moved by Shri Nishikant Dubeyji, especially when it deals with a guarantee.

Normally, the Bills that were coming in 15th Lok Sabha were guaranteeing many things to the people of this country. I think it has not become contagious to the BJP Members sitting in the Treasury Benches today to bring in another guarantee Bill because right to education, right to food and right to many things were guaranteed during the UPA regime. This is another guarantee as a Private Member Bill which Nishikant Babu has brought today.

I support the Bill because it deals with around 88 per cent of the work force of the country which is not covered in true sense of the term because hardly 12 per cent are in organized sector and 88 per cent are in unorganized sector. Here I would say that agricultural labour is one of the major work forces which fall under unorganized sector. When I come from a State like Odisha, I would say that tendu leaf workers also fall under the unorganized sector. As has been stated by Nishikant Babu, those who work as mason, plumber, carpenter, fishermen, blacksmith, goldsmith, *kumbhar* and even weavers, all fall under unorganized sector. But why am I saying all this? Why did Nishikant Babu mention all these things? It is because the economics of the Indian economy has changed drastically.

I do know if many Members have gone through the book which the former Prime Minister, Choudhary Charan Singh, had written when he was the Deputy-Prime Minister of this country.

17.00 hrs.

I do not know whether anyone has gone through the number of other books which have gone in detail relating to the village economy of India because the society has changed a lot. The society which was there 80 years ago was independent. In a way it was *swavalambi*. The village community itself was dependent on each other and that is how the village prospered. That was our strength and it was India's strength – to fight against the onslaught of British sovereignty. But now



the situation has changed. Gandhi Ji used to say that India lives in villages but today it does not. There has been a drastic change and that drastic change is because the village economy has been shattered. It has been shattered because of our land economy that we adopted after 1950. Many people will not accept this viewpoint but I hold this view because the planned economy and the command economy that we adopted, and we are still adopting, has destroyed our village economy.

17.01 hrs

(Shri Hukum Singh *in the Chair*)

Today, the village is dependent very much on outside support. Today, the village is dependent on everything which is produced outside. Very little of what is being produced in the village is being consumed by the village itself. Earlier, that was not so. The strength of the Indian economy was that what was produced in the village was appropriated, was consumed by the villagers or the locality. Whatever the potter or his family produced was sold around the village he was living. Whatever a weaver was producing was being consumed by the people where he was living. So is the case with the goldsmith, the blacksmith, carpenter, the mason, the plumber and others. That is how the village prospered and the village, as a community, was giving guarantee to the people who were engaged with this type of a job. It had a different connotation and it had different misgivings but the village itself was self-sufficient.

When we are talking about pension today providing social sector support invariably, we are saying that that support which was supposed to be given by the village, by the community, is lacking today. Earlier, the village was taking care of itself. Now the situation has changed. It is not only that the family has broken - there are a number of nuclear families - but there is migration also from the village to the urban areas. Traditional workforce is facing stiff competition and they have to survive. Therefore, providing social security has become essential.

A number of insurance schemes has come into being. Insurance will play a major role to provide a minimum guarantee of pension to the unorganised sector

and workers in the private sector also. Of course, health insurance has developed during the last four to five years and is now being extended to farmers in some States but it needs to be extended to the unorganised sector as well.

The organised sector has social security but the organised sector does not have a uniform social security throughout the country. Nowadays, there are many contract workers who are working in different institutions which are out of social security net.

India is young today. There is no doubt about it. But the number of old people is rising. I will come to that information a little later. But there is a need to have universal health care and it is worth considering.

The hon. Member from Kerala is present here. I would like to cite an instance that Kerala has introduced a pension scheme for paddy farmers since 2009. I would request the hon. Minister to have a study. Many State Governments are also doing that. It is quite small in number because in Kerala the farmers are slowly leaving paddy cultivation and they are indulging in other activities. This is for the older people who are above 60 years of age. I think it started with 15,000 farmer families. Now, the number of people who are eligible, I think, must be much more now. I think that is a unique thing which Kerala has done. It is necessary that such programmes are adopted by different States.

The very first line of the Statement of Objects and Reasons struck me. It says: "The condition of large number of pensioners in India is miserable, sad and frustrating." When the mover of this Bill, Shri Nishikant Dubey, has said that the condition of large number of pensioners in India is miserable, sad and frustrating, which segment of pensioners is he talking about? Definitely, he is talking about those persons who are in the security net, who are in the organised sector, who are in the unorganised sector, the widow pensioners, the old-age pensioners, etc. They are sad. Why? The only reason is the value of money is dwindling day by day. This is a caustic remark on our economic situation. It demonstrates that the economic downslide has made people miserable because the value of rupee is

sliding down. The pension that is being provided to large number of pensioners should be connected to the value of rupee in such a way that the pensioners will not suffer. It has financial implications. I think the Government can look into that. There is much money movement in the market today. Liquid money is available in plenty today in comparison to the situation that was prevalent 30 years ago.

I am coming to the last part of my speech. India's economic growth and demographic transition is resulting in a falling birth rate. The drop in death rate is sharper than the fall in birth rate due to improved economic development leading to increased life expectancy and a subsequent rise in the population of the aged people. The proportion of those aged 60 and above is expected to claim from 4.6 per cent to nine per cent in 2030. In absolute numbers, the number of people above the age of 60 will increase from 87.5 million in 2005 to 100.8 million in 2010. This is expected to jump to 200 million in 2030. By 2050, it is expected to be over 320 million. This is I am quoting from the World Population Aging 1950-2050 United Nation's Report. What makes this data very chilling is the fact that improved economic development is bound to lead to a higher life span. The inability to improve a properly functioning pension system now is likely to affect a larger number of people in future. That is why, I think, Shri Nishikant Dubey, has brought this Bill so that we can deliberate in a detailed manner. In India another added factor is also there. That complicates the matter further. What is that complication? As in developing countries and in certain developed nations, there are different forms of universal social security which provides a State-sponsored or a self-financed safety net to people without any source of income or provide sustenance for periods of unemployment through an unemployment insurance programme as in the seventies we used to hear बेकारी भत्ता देना चाहिए। But here today the Government has indeed produced an umbrella, the National Social Assistance Programme under which different schemes are housed for providing pension to destitutes and widows about which I have just mentioned. This leaves a large part

of the informal sector without any funded means of providing for old-age and for supplementing the lack of future income streams.

Mr. Chairman, Sir, I would say that the existing system of pensions which leaves more than 88 per cent of Indian workforce uncovered is likely to act as a social security umbrella for the aging Indians. There is time today. It is the need of the hour today that one has to go into this aspect that how we are going to cover, especially the farmers. Improvement in healthcare facilities leading to increase in life expectancy, evolution of nuclear family systems and rising expectations due to increase in *per capita* income, education etc. are some of the factors likely to compound the problem in future. Anticipating that, I think it is now time that we have to look into the aspect of the poor people, the disadvantaged people, those people who need social security and they have to come under the social security network. That is why I say, as has been stated by Shri Nishikant Dubey, that there is a need today to form a Board which will look into the interests of these people, those who cannot organise themselves, who rarely come out on the streets in groups and demonstrate for their rights. It is necessary today that the Government which is the sole proprietor and protector of the citizens of this country take up their cause. I hope this Government will consider it and consider it in a better way because large sections of the people have voted this Government to power with high hope and that hope should also be fulfilled in some way or the other.

With these words, I support this Bill. I expect Shri Nishikant Dubey, as has been told by Professor Saugata Roy, allows this Bill to be defeated if it is to be defeated!

HON. CHAIRPERSON : Shri Ramachandran – not there.

Shrimati K. Kavitha.

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA (NIZAMABAD): Sir, I rise to speak in support of the National Minimum Pension Guarantee Bill introduced by Shri Nishikant Dubey.

Shri Dubey, I truly appreciate your humane approach to the destitutes of India. I went through the Bill. I really appreciate the concern that you have for the majority of the people who are outside the pension framework or any of the benefits that usually the other organized sector labourers or the employees would get. This particularly brings me to a basic question: why do we need to pay pension at all to anybody? It is because after a certain age, if there is nobody to take care of them, we, as a Government, should ensure that they live in dignity, that they live and at least die in peace. That is what I would think.

When we talk about the history of pension in India, I believe the Governments have started by giving Rs.50; then increased it to Rs.150, and further increased to Rs.200 and the last outgoing UPA Government had finally increased it to Rs.1000/- and then they left. I do not know if it is implemented by this Government or taken forward. That is yet to be seen.

In our State of Telangana, we promised the people of Telangana that we would let them live in dignity. Even before the passage of the Rs.1000/- Pension Scheme of the UPA Government, we had announced it. Our hon. Chief Minister Shri K. Chandrashekara Rao had started implementing the provisions of that Bill. Now, we are giving Rs.1000 to all the people who are above 60 years of age. If this Scheme is carried out by a State Government with conviction, then, I believe, this can be carried out on a nation-wide basis if the Central Government is determined to do so, particularly if you carry forward the States with you. I am sure, the States would also want to participate, put in their amount and whatever Shri Nishikant Dubey has proposed that Rs.5000 per person as pension, it can be easily pooled with the cooperation of both the State and the Centre.

This is a very good scheme. There is no doubt about it. I agree with the overall idea but I do not agree with Shri Dubey when he says that Rs.50,000 crore,

as a corpus fund, is to be given directly from the Indian Government. We should all think about that. We only have Rs. 18 lakh crore kitty from which we spend about Rs. 13.5 lakh crore on Non-Plan expenditure and spend about Rs. 4 lakh crore to build more factories and improve our technical education which is, in turn, going to improve our economy. So, spending more or taking out more from that kitty right now does not seem to be possible. Instead, I would suggest that we raise this amount of Rs. 50,000 crore and create a pool. For example, we give out NREGS funds जिसमें से हम हरेक आदमी को 150 रुपये प्रतिदिन देते हैं। हमने गांव में देखा है कि 150 रुपये में से कम से कम 50 रुपये लोग दारू पर ही खर्च करते हैं। So, let the Government encourage these labourers who are benefiting from the Government to save even Rs. 10 or Rs. 15 from this amount of Rs. 150 and in that way we can encourage savings and we can also create a pool from which, in turn, we can pay pension to them. If at all we can link up savings and pension, it will be good. जैसे यहां प्रहलाद जी बोल रहे थे कि आधार कार्ड जो होता है but, till date, we have not identified as to how many citizens we have. हाउस में भी बार-बार यह मुद्दा उठता है, बॉर्डरिंग स्टेट पर उठता है है यह मुद्दा, कहते हैं कि कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि कौन इंडियन सिटीजन है कौन नहीं है? तो आधार जैसी स्कीम जो हम सोच रहे हैं if it is implemented perfectly and if *Adhaar* can be linked to pension, it will be good. Of course, *Adhaar*, again, is to be implemented by the Centre and the States together. If we can club *Adhaar* with schemes like pension and schemes like NREGS, we can encourage our people to save and we can create a pool of money without asking any fund from the Central Government because we cannot really afford to ask for that kind of money.

सौगत राय जी ने कहा है कि हो सकता है, हम दे सकते हैं, सरकार की इच्छा-शक्ति होनी चाहिए, लेकिन पर्स में पैसे भी होने चाहिए। इस समय सरकार के पास इतना पैसा तो है नहीं। इस स्कीम को आगे बढ़ाना है, चलाना है, we have to take everybody with us. We have to go towards inclusively growing India. That is an excellent idea. But only about corpus funding, I differ a little bit with our senior hon. Member who has brought this Bill. But if we can encourage savings, I think it will be great and particularly when we are

talking about the unorganised sector, जिसमें हमें बहुत सारी और भी बातें सोचनी होती हैं, particularly when we are talking about a quantum of Rs. 5,000 per person per month, what about the rest of the schemes? What about the Health Insurance Scheme and what about other benefits that the Government gives them? What about the PDS? Do we exclude all of that and give Rs. 5,000 pension per month or do we club all of them also in this? Otherwise, the Government is going to take a great toll if they have to Rs. 5,000 to the head of the family and the family is already enjoying rest of the benefits. So, we should seriously think about all these issues.

Sir, I lived in USA. But I do not call it an ideal country. उसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, वे गरीब-अमीर का भेद-भाव नहीं करते हैं। Everybody gets a pension there. Everybody gets social security money. Whoever is jobless, they get social security money. क्या हमारे देश में हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्योंकि हम कैसे करते हैं कि आप एससी हो, तो आपको इतना मिलेगा, दूसरे हो तो आपको इतना मिलेगा, यह आपकी ऐज है तो इतना मिलेगा, विडो है तो इतना मिलेगा। तो यह सब हटाकर can we have a universal policy for all? If we can give Rs. 5,000 per month to everybody without any disparity, I will be very happy. But how can we achieve it and how can we bundle all other schemes that the Government is already having? This is an issue to be thought about.

Sir, this is really a wonderful concept that came from the parliamentarian, my senior colleague, Shri Nishikant Dubey out of his concern for the people, out of his true concern for the destitutes who are out of this framework. I really appreciate this Bill and totally support this Bill, but only about the money part, I think we need to prudently think and move ahead.

SHRI MULLAPPALLY RAMCHANDRAN (VADAKARA): Mr. Chairman, Sir, I express my deep gratitude for having given me this opportunity. I am extremely happy to participate in the discussion on the National Minimum Pension (Guarantee) Bill, 2014 introduced by my good friend, Shri Nishikant Dubey.

I am in agreement with the spirit of the Bill as it ensures minimum pension to every pensioner, including those who have worked in the unorganized and private sectors. But my considered view is that every deserving citizen of this country must be covered under one pension or the other because this is the practice we have adopted in the State of Kerala. We have successfully implemented this practice there.

Our country is moving towards a welfare State and the dream of our Father of the Nation as also the architects of our freedom was to eliminate poverty and ensure justice to all.

The Directive Principles of State Policy contained in our Constitution clearly state:

“The State shall within limits of its economic capacity and development make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement and in other cases of undeserved want.”

India is the second most populous country in the world. Our population is more than 120 crore. My learned friend Mr. Bhartruhari Mahtab said that our country is the youngest. Yes, I agree with that. But, the fact remains that India is the world's third fastest growing economy and the resilience of our country's economy is acclaimed the world over.

It is to be remembered here that the pension scheme in India was introduced by the Britishers after the Sepoy Mutiny of 1857. This pension system was copied from Britain. The conditions prevailing in those days did not allow the British Government employees to earn any extra income through any business.

The Government had to provide for their subsistence in old age. The India Pension Act was passed in the year 1871 with this end in view.

After Independence, we all know, several pension schemes were introduced by the Government of India. All these pension schemes were intended for the welfare and the subsistence of pensioners who worked under the Government at one point of time or the other.

The Pension Scheme introduced in 1972 for the veteran freedom fighters was a landmark in the history of pension system in our country. It was an innovative scheme introduced by the then Government to recognize the valour and sacrifice of those freedom fighters who had sacrificed everything for this country. It was after 25 years of our Independence. When we were celebrating 25 years of our Independence, the Government of India had taken such an innovative decision. That was a decision in the right direction.


The decision to ensure one rank, one pension in the Defence Forces is also another milestone in the history of pension system in our country. Now the EPF pension scheme to the tune of Rs. 1000 is also a laudable step in the right direction.

Sir, certain States have taken a great leap forward in protecting the interest of the citizens by granting pension to all sections of the society. I once again compliment my friend Mr. Bhartruhari Mahtab who said this. Kerala is one State which is in the forefront of introducing what is called agriculture labourers' pension a few years back. Kerala is a model to all other States to emulate. Path-breaking decisions have been taken by the successive Governments, be it my Government or other Governments, in the State. Besides the Government employees, the toiling workers in the unorganized sector, peasants, teachers, artisans, widows, agriculture workers, destitute, old aged people, physically challenged persons etc. are covered by one pension scheme or the other in the State of Kerala. That model was appreciated by no less a person than the Nobel laureate Amartya Sen.

Therefore, if we make a study about the various pension schemes introduced in Kerala, it will be a great example for the rest of the country to emulate and follow. The time has come for us to think about such social security measures at the national level also.

We must reflect on the degeneration and decay that have crept into our society. That aspect is to be taken care of very seriously by the Government as also by the society. Ours was a great nation which has given due respect and care for the aged.

The joint family system had, in fact, taught us about the rich values. In that way, we have inherited a great legacy. In the course of time, joint family system has vanished and nuclear family system has emerged. Now, we are living in an island of isolation and selfishness and our only slogan is 'for me and for my family'.

Sir,  we all know that about one-eighth of the world's elderly population lives in India. The number of persons over 60 years of age is 90 million and this number will again rise up to 170 million by the year 2030. Every country is facing the question of aging societies. How can the elderly population be provided for at the fag end of their lives? The answer is a reasonable and affordable package of retirement benefits, which includes pension and health care.

Old age homes have become order of the day and children are dumping their parents in these homes.

I may suggest an amendment to this Bill. Sir, through you, I am requesting Shri Dubeyji to include all vulnerable sections of society by bringing this amendment to this Bill. Subject to the amendment, I fully support this Bill. I strongly believe that pension is deferred wages.

In conclusion, I appeal to the Government to bring about a comprehensive social security legislation so that people belonging to disadvantaged, underprivileged and weaker sections of society are covered under one pension or other.

श्री हुयमदेव नारायण यादव (मधुबनी) : माननीय सभापति जी, मैं नौजवान साथी निशिकांत जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने महत्वपूर्ण विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया है और इस पर हम विचार कर रहे हैं। देश के लाखों लोग लोकसभा टीवी को देखते रहते हैं, संसद की कार्यवाही को देखते रहते हैं, इस कार्यवाही को सुन रहे होंगे। हम शुरु से कहते रहे हैं - गांव, गरीब, मजदूर, किसान मिलकर बनाया हिंदुस्तान। हम गांव के गरीब मजदूर के लिए सोचते हैं, चाहे संगठित मजदूर हो या असंगठित मजदूर हो, उनके बारे में चर्चा चलती है। हिंदुस्तान का किसान भी तो जीवन भर, जीवन के अंतिम क्षण तक खेत में लगा रहता है, कोई न कोई काम करता रहता है। खेती के उत्पादन में लगा रहता है। पशु पालन में लगा रहता है। वह किस तरह की जिंदगी जीता है यह वही जानता होगा जिसने किसान के घर में जन्म लिया होगा या गांव में रहा होगा।

‘का दुख जाने दुखिया, का दुख जाने दुखिया,
जाके पांव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई।’

जिसक पैर में बिवाई नहीं फटती है वह उसके दर्द को क्या जानेगा। वह गरीबी में जन्म लेता है, गरीबी में पलता है, गरीबी में बढ़ता है, गरीबी में जवानी जाती है और गरीबी में ही दुनिया से चला जाता है। यहां तक कि मां के पेट में भी आता है तब भी वह निर्धनता की कोख में पलता है क्योंकि उसकी मां को भर पेट भोजन नहीं मिलता है, दाल नहीं मिलती है। दुनिया भर के लोग प्रोटीन, विटामिन की बात कहते हैं। इसी लोकसभा में डॉ. लोहिया ने सदन में कहा था कि हिंदुस्तान की करोड़ों माताएं हैं जिन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता, दाल नहीं मिलती जिसके कारण उनके स्तन में भरपूर दूध नहीं होता। और वह अपने बच्चे को गोद में पूरा दूध नहीं पिला पाती है। एक वह हिंदुस्तान है, यहां दो तरह का हिंदुस्तान बनाया गया है। एक देश में दो तरह का हिंदुस्तान है। एक है इंडिया **that is called Bharat** और एक है हिंदुस्तान, गांवों वाला हिंदुस्तान। एक है दिल्ली वाला हिंदुस्तान, बोट क्लब वाला हिंदुस्तान और एक है हमारे और आपके गांवों के चौपाल वाला हिंदुस्तान। चौधरी चरण सिंह जब भारत के प्रधान मंत्री बने थे तो एक दिन मैं उनके पास बैठा था। उन्होंने कहा - हुकुम बहादुर, मैं प्रधान मंत्री बन गया हूँ, लेकिन 24 घंटों में एक बार, दो बार मुझे अपनी जिंदगी याद पड़ती है। जब मैं बचपन में था, जवानी में था। वही फूस का छप्पर, मिट्टी की कच्ची दीवार, आगे में कच्चा कुंआ, उसी में से जानवर पानी पीते थे और उसी कूएं का मैं पानी पीता था। आधे घर में जानवर, आधे घर में टूटी खाट पर मैं लेटता था, एक पुरानी साइकिल थी, उस साइकिल से मैं किसी तरह हाई स्कूल तक पढ़ने के लिए चला जाता था। इसलिए मैं उस बात को कह रहा हूँ कि चौधरी

चरण सिंह जी को प्रधान मंत्री बनने के बाद भी अपनी गरीबी, निर्धनता, बेबसी, बचपन, जवानी के दिन याद आते थे और तब वह सोचते थे कि जब कभी मौका लगेगा, तब उन गांव वालों के लिए सोचूंगा, उन किसानों के लिए कुछ करूंगा, उन गरीबों के लिए करूंगा। उसी तरह संयोग है कि आज भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी बने हैं। देश के अंदर इस बात का बहुत प्रचार हुआ। कई तरह से प्रचार हुए, विपक्षियों ने किया, हमने भी किया और देश के अंदर गांवों के जो गरीब लोग थे, उनके मन में यह बात गई कि भारत के प्रधान मंत्री के लिए जिस आदमी का निर्वाचन करना है, उनके मन में भी वही गरीबी की कहानी होगी, जो चौधरी चरण सिंह अपनी गरीबी की कहानी कहा करते थे। आखिर कहीं न कहीं भारत के प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी को भी वही दिन याद आते होंगे।

HON. CHAIRPERSON : Shri Hukumdeo Narayan Yadav, please wait for a minute.

I am to inform the hon. Members that two hours' time has already been taken on the Bill thus almost exhausting time allotted for its discussion. As there are three more Members to take part in the discussion on the Bill, the House has to extend time for further discussion of the Bill.

Is it the pleasure of the House that time for the discussion of the Bill be extended by one hour?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. CHAIRPERSON: Okay, time for the discussion of the Bill has been extended by one hour.

Shri Hukumdeo Narayan Yadav, you may continue now.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : मैं कह रहा था कि उसी तरह भारत के प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी को भी वे दिन अवश्य याद आते होंगे और याद आने चाहिए। वही पिछड़े परिवार में जन्म लिया, चाय बेची, रेलवे के प्लेटफार्म पर रहे, कहीं जूट के टाट पर सोये होंगे या चाय की दुकान में बेंच पर सोये होंगे। गरीबी को देखा होगा, निर्धनता को देखा होगा। देश के इन करोड़ों गरीबों, निर्धन, निर्बल, उपेक्षित, उपहासित, दरिद्र, पीड़ित, वंचित समाज के जो लोग रहे हैं, उनके मन में एक आशा की किरण जगी है, उनके मन में एक बहुत बड़ी अभिलाषा आई है और उनकी अभिलाषा यह है कि भारत की गद्दी पर ऐसा निर्धन, निर्बल, उपेक्षित और पिछड़े परिवार का बेटा प्रधान मंत्री बनकर बैठा है, कहीं न कहीं मेरे लिए उनके दिल में दर्द जरूर होगा और उसका एहसास जरूर होगा। मैं इस सदन में करोड़ों उन गरीबों, निर्धन, निर्बल, असहाय,

वंचित, उपेक्षित जो भी समाज के अंदर दरिद्र हैं, दिल्ली की फुटपाथ पर सोने वाले लोग हैं। वे उसी फुटपाथ पर जन्म लेते हैं, उसी फुटपाथ पर खेलते हैं, उसी फुटपाथ पर जवानी आती है। उसी फुटपाथ पर दूसरे कबीले के साथ शादी होती है, उसी फुटपाथ पर उसकी सुहागरात मनती है और उसी फुटपाथ पर फिर बच्चे पैदा होते हैं। फुटपाथ पर कुत्ते के बच्चे और इंसान के बच्चे एक साथ ही सो कर, फटे कपड़ों से सिली हुई गुदड़ी के अंदर रात गुजारते हैं। हिंदुस्तान के अंदर निराश, निराश्रित, हताश ऐसे करोड़ों लोगों के मन में आशा का संचार जगा है। गांधी ने जगाया, लोहिया ने जगाया, पंडित दीन दयाल जी ने जगाया, जय प्रकाश नाराण जी ने जगाया, आचार्य नरेंद्र देव जी ने जगाया या जो साम्यवादी आंदोलन में लगे हुए लोग हों, हम साम्यवादी विचारधारा के विरोधी रहे हैं, सहमत नहीं हैं, लेकिन गरीबों, निर्धन, निर्बल को जगाने में उन्होंने भी कहीं न कहीं हिंदुस्तान में सहयोग दिया है। ये सब मिल कर उस देश के लोगों को जगाते रहे हैं। ये कहते रहे हैं कि -


“आएगा जी आएगा, नया जमाना आएगा। कमाने वाला खाएगा।
लूटने वाला जाएगा। नया जमाना आएगा। ”

यह कब आएगा? श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वह नया जमाना नहीं आएगा तो लाएगा कौन? अगर नया जमाना नहीं आएगा तो हिंदुस्तान के जो करोड़ों पीड़ित, उपेक्षित, निर्धन हैं, जिनके पेट की आग की ज्वाला धधकती रहती है और उस गरीब को देखते हुए कविवर दिनकर जी ने कहा था कि -

“कुत्ते को मिलते दूध-भाव, भूखे बच्चे अकुलाते हैं।
माँ की हड्डी से चिपक-ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। ”

मेरी ही कोठी के सर्वेंट क्वाटर में काम करने वाली है, उसके सामने समस्या है कि उसके बच्चे को एक गिलास दूध कैसे मिलेगा? एक हिंदुस्तान है, जिसके सामने यह समस्या है कि उसके बच्चे को विदेश से आयात ब्रेड, दूध, मीट कैसे मिला करेगा। बड़े लोगों के घरों में जो कुत्ते हैं, उन बड़े लोगों के कुत्तों से भी हमारी जिंदगी बदतर है।

मैं सन् 1977 में जब पहली बार जीत कर आया तब गांव से आया था। तीन बार एमएलए होने के कारण पटना में रहा, लेकिन कभी दिल्ली को नहीं देखा था। सोचा कि दिल्ली को ज़रा देखें तो पैदल निकल जाता था। एक दिन मैं पैदल चलते-चलते देख रहा था, क्योंकि बड़ी ऊंची-ऊंची अट्टालिकाओं को देखने में आनंद आता था कि इतने बड़े-बड़े मकान बने कैसे? कभी गांव में देखा नहीं था। एक बार सड़क के किनारे बोट क्लब से जा रहा था। एक लंबी गाड़ी जा रही थी, न जाने कितने लाख की होगी। उसमें एक मेमसाहब बैठी थीं। उनके बगल में एक कुत्ता बैठा था। वह दरवाजे के अंदर से अपनी गर्दन निकाल कर जीभ

लपलपा-लपलपा के अंदर चल रहा था। मैं उसको देख कर के ठिठक गया। मैंने सोचा कि कुत्ता भी कुछ कह रहा होगा। फिर मेरे अंदर से अपने गांव की गरीबी की वेदना आई। हमने कहा कि यह कुत्ता जीभ लपलपा के हमें ही कह रहा है कि धिक्कार है तेरी जिंदगी। तू इंसान हो कर ऐसी जिंदगी जी रहा है। देख हिंदुस्तान में मैं कुत्ता हो कर भी कितने स्वर्ग की जिंदगी जी रहा हूँ। मैं कुत्ता स्वर्गपुरी में हूँ। तुम इंसान हो कर नर्क की जिंदगी जी रहे हो। ये दो हिंदुस्तान हैं। दो हिंदुस्तान का यह फर्क कब मिटेगा? निशिकांत दूबे जी ने छोटा सा विधेयक पेश किया है। आप कह रहे हैं कि कौन है असंगठित? डॉ. लोहिया ने जाति प्रथा पर किताब लिखते हुए लिखा है कि जब जाति गतिशील रहती है, तब उससे वर्ग बनता है और वर्ग जब गतिहीन हो कर स्थिर हो जाता है, तो वह जाति बन जाती है। भारत की जाति प्रथा पेशे पर आधारित है। जन्म दर जन्म हमें जाति से जबरदस्ती बांध दिया गया है कि अगर हमने अहीर के घर में जन्म लिया है, हमारे पूर्वज अहीर थे और हम भी अहीर हैं। मेरा बेटा या पोता चाहे आईएएस, आईपीएस हो जाए, लेकिन वह अहीर का अहीर ही रहेगा, दलित का दलित ही रहेगा। यह भारत नहीं था। भारत में पहले रूपांतरण होता था। अगर विद्वता की बात आयी तो एक दलित के घर में जन्म लेने वाले बाल्मीकि भी अपनी योग्यता, क्षमता के कारण ब्रह्मणत्व को प्राप्त करके ब्राह्मण के जैसे पूजे गए। जब तक भारत में योग्यता, क्षमता, दक्षता के आधार पर जातियों का परिवर्तन होता रहता था, उनकी ऊपर प्रोन्नति होती रहती थी, तब तक भारत बलवान था, भारत का स्वर्णिम काल था। जब से जाति को जन्म के कठघरे में कैद कर दिया गया कि तुम्हारी योग्यता, तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी दक्षता, तुम्हारी विद्वता और अनुभव  कीमत का नहीं है, इसलिए कि तुम एक अमुक जाति में जन्म लिए हो, इसलिए तुम्हारी योग्यता, क्षमता, दक्षता की कोई कीमत हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इस घर में कोई विद्वान पैदा हो ही नहीं सकता है, ज्ञानी पैदा हो ही नहीं सकता है। यह तो भारत का वांग्मय कहता है कि ज्ञान के भंडार पैदा करने वाले कबीर उसी निर्धन, निर्बल, पिछड़े समाज में पैदा हुए थे। संत रविदास उसी दलित समाज में पैदा हुए थे, चाहे वह समर्थ गुरु राम दास हों, चाहे वह तुकाराम हों, चाहे वह ज्ञानदेव हों, ये सभी कमजोर, निर्धन घर में पैदा हुए थे। ये कोई हाईस्कूल, कॉलेज और पीएचडी, आईआईएम या आईआईटी से डिग्री लेकर नहीं आए थे। आज उनकी वाणी शाश्वत है, सनातन है और ज्ञान का भंडार है।

मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि जातियों के पेशे के आधार पर लोहा का काम करने वाला लोहार होगा, लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई होगा, मिट्टी का काम करने वाला कुम्हार होगा, चमड़े का काम करने वाला चमार होगा, जंगल में मूसा मारने वाला मूसहर होगा, तेल पेरने वाला तेली होगा, सरसों बेचने वाला बनिया होगा, सरसों पैदा करने वाला किसान, अहीर, गुर्जर, जाट होगा। अब इतने जो अलग-अलग ढंग से सूक्ष्म रूप से विभाजन किया गया, जिसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन, किसी

समय समाज के हित में श्रम का विभाजन किया गया था, लेकिन धीरे-धीरे वह श्रम के आधार पर ही, पेशे के आधार पर ही जाति और योनी की कटघरे में समाज को कैद कर दिया गया। जो समाज का सबसे श्रमिक वर्ग हुआ, पसीना बहाने वाला हुआ, जिसके लिए आज निशिकान्त दुबे जी यह विधेयक लाए हैं, वही उपेक्षित रहा, उपहासित रहा, पीड़ित रहा, प्रताड़ित रहा। इसका मतलब है कि पसीना बहाने वाला इस भारत में रोता रहा है और पैसे वाला इस देश में मौज उड़ाता रहा है। क्या हिंदुस्तान में पैसे की कोई कमी है? एक तरफ है पैसे वाला, दूसरी तरफ है पसीने वाला। माननीय नरेन्द्र मोदी जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसी कोई व्यवस्था लाइए, कानून बनाइए, संविधान में संशोधन करना पड़े तो करिए। जहां पसीना है, वहां पैसे को पहुंचाना है। जिस दिन पसीने के आसपास पैसा पहुंच जाएगा, उस दिन वह भारत का स्वर्णिम युग होगा। भारत विश्व का सबसे महान राष्ट्र तब होगा, जब पसीने वाले के पास पैसा जाएगा। जहां पैसा है, वहां शरीर में पसीना नहीं है। जाड़े में गर्म, गर्मी में ठंडा, कहते हैं एयर कंडीशन, उसका नाम लिखा रहता है वातानुकूलित। मैं कहता हूं कि यह वाताप्रतिकूलित है, यह अनुकूलित कहां हुआ? वेदर में भीतर में ठंडा, बाहर में गर्म, वह अनुकूल होता तब जब बाहर में गर्म और भीतर भी गर्म। प्रतिकूल को कहते हैं कि यह वातानुकूल है, ऐसा नहीं है। एक तरफ वह हिंदुस्तान और दूसरी तरफ यह हिंदुस्तान। आखिर यह पेंशन क्यों जरूरी है? इसमें केवल संगठित मजदूर क्यों?

महोदय, इस देश में सीमांत किसान 64.77 प्रतिशत हैं, यह नये वर्ष 2010-11 के सेंसस के आंकड़ों के अनुसार हैं। वर्ष 1990-91 में इनकी संख्या 59.4 परसेंट थी, जो वर्ष 2009-10 में हो गया 64.77 परसेंट, ऐसा क्यों? जिनको मार्जिनल फार्मर्स कहते हैं, सीमांत किसान बढ़ते जा रहे हैं। किसान के परिवार की जमीन बंटती है। मेरे पिता जी के पास सवा सौ एकड़ जमीन, लेकिन आज मेरे घर में मेरे सगे भाई के पोते के हिस्से में पांच एकड़ जमीन है। कैसे हो गया? सौ एकड़ जमीन जोतने वाला किसान का पोता ढाई एकड़ जमीन का मालिक हो गया। सन् 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो बिड़ला की कुल संपत्ति 45 करोड़ थी। मैंने पाँच-आठ साल पहले एन.सी.ए.ई.आर.(नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च) का एक आँकड़ा पढ़ा था कि हिन्दुस्तान के नीचे से 20 प्रतिशत गरीबों की कुल जायदाद और कुल संपत्ति तराजू के एक पड़ले पर और बिड़ला की जायदाद तराजू के दूसरे तराजू पर रखें तो भी बिड़ला का पड़ला भारी है। अर्थात् 20 प्रतिशत नीचे के जो गरीब, निर्धन हैं, उन पर अकेला बिड़ला भारी है, उनके पास ज्यादा परिसम्पत्ति है। नीचे से 20 प्रतिशत आदमी अपनी सारी जायदाद एक तरफ रख दें तब भी बराबर नहीं होगा, ऐसा हिन्दुस्तान बनाया गया है। उसमें जो नीचे के लोग हैं, किसान हैं, लघु किसान हैं, पहले 18.8 थे जो 18.52 हो गए। गाँव में रहने वाले 1951 में 82.7 थे जो 2001 में 72.2 हो गए। कहाँ चले गए - गाँव छोड़कर भाग गए, शहर में आ गए। रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला,

मुटियागिरी का काम करने वाला, गिट्टी तोड़ने वाला, पत्थर ढोने वाला, फुटपाथ पर सोने वाला, जूठा पत्तल चाटने वाला, कुत्ते की ज़िन्दगी जीने वाला अगर कोई है तो वह किसान का बेटा है जो ज़मीन-जायदाद बँटते-बँटते जब भूमिहीन हो गया, हाथ में काम नहीं रहा तो शहर में आकर इस तरह की ज़िन्दगी जी रहा है, कीड़े-मकौड़े की ज़िन्दगी जी रहा है - उसको पेंशन नहीं मिले? हमारे मिथिलांचल में मैथिली में कहावत है कि जिसके हाथ में डोई, वही है सब कोई। जिसको अपने परोसने के लिए मिला है, सरकारी कर्मचारी आज संगठित हैं। चाहे जो मजबूरी हों, मेरी मांगें पूरी हों, तो उनकी मांगें पूरी हो जाती हैं। किसान रोते-रोते मर जाएगा, कहता रह जाएगा कि मेरी मांगें पूरी हों, तो किसान की मांग को सुनने वाला कौन है? कोई सुनने वाला नहीं है। अब जीवन में एक आशा का संचार आया है कि उसकी ज़िन्दगी में अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी बने हैं।

मैं अंत में कहना चाहूँगा कि डॉ. लोहिया ने समता समाज की बात की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा समरस समाज। दोनों एक हैं। गांधी ने कहा दरिद्र नारायण। सब एक ही हैं लेकिन कहने के लिए शब्द अलग हैं। समता, समरसता। समाज में समरसता आएगी कब, समता आएगी तब। सभापति जी, आप भी किसान, मैं भी किसान। हमारी फसल में समरस होता है जब पूरे खेत की फसल में बराबर से पानी हो और नमी जाए। तब, जबकि ज़मीन हो समतल। जब समतल होगा, तभी समरस होगा। यह समतल कब बनेगा, जब ऊँचे से नीचे आएँगे, नीचे वाले जब ऊपर उठेंगे। इसीलिए डॉ. लोहिया ने कहा था, समाजवाद का यही तकाज़ा, सौ से कम न हज़ार से ज़्यादा। न्यूनतम और अधिकतम सीमा लगाई जाए। केवल पेंशन से नहीं, समाज तब बदलेगा जब ऊपर वाले और नीचे वाले की आय की सीमा निर्धारित हो जाए। ऊपर वाले अगर 15 रहेंगे तो नीचे वाला 1 रहेगा। आज ऊपर वाले की कोई सीमा नहीं है, नीचे वाले की सीमा है। कमाने वाले पर आयकर लगता है और फूँकने वाले पर कोई कर नहीं लगता है। इसलिए खर्च पर भी सीमा लगाओ। पैसा जुटेगा और इस सबसे पैसा लाकर हिन्दुस्तान के जो किसान हैं, असंगठित मज़दूर ही नहीं, खेतिहर मज़दूर और किसान मज़दूर भी हैं। किसान किसान ही है। जब अपने खेत में काम करे तो किसान, और समय बच जाए तो दूसरे के खेत में मज़दूरी करने जाए तो मज़दूर। यह खेतिहर मज़दूर भी है और किसान भी है। चौधरी चरण सिंह जी ने अपने प्रस्ताव में दिया था, मैं इस संसद में कई बार बोला हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि हिन्दुस्तान के जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं, जो सबसे नीचे हैं, उनको जितनी पेंशन मिलती है साठ वर्ष की आयु पार करने के बाद, हिन्दुस्तान के हर किसान और खेतिहर मज़दूर को उतनी पेंशन की गारंटी कर दी जाए। क्योंकि वह जीवन भर सड़ता है, गलता है, धूप में तपता है, बरसात में गलता है, जाड़े में ठिठुरता है और नया हिन्दुस्तान बनाता है। रात में काम करने के बाद सो जाता है। मैं उस पंक्ति को कह कर वाणी समाप्त करूँगा-

‘धूप ताप में मेहनत करते, बच्चे तड़प-तड़प कर मरते,
फिर भी पेट नहीं है भरता, जीवन कटता रो-रो कर,
हम चलो बसायें नया नगर। हम चलो बसायें नया नगर।
जहां न हो छोट-बड़ाई, गले मिलें सब भाई-भाई।
ऊंच-नीच का भेद न होवे, सुख की होवे डगर-डगर।
हम चलो बसायें नया नगर। हम चलो बसायें नया नगर।’

यही गाते रहे हैं और लड़ते रहे हैं जीवन भर। आज भी लड़ रहे हैं। इस लड़ाई के अंत पर डॉक्टर लोहिया ने कहा था, उस वाणी को कह कर विराम करूंगा कि ‘हुकम चंद घबराना मत, धीरज के साथ आगे बढ़ते जाना, लड़ते जाना। एक न एक दिन आएगा जब हिन्दुस्तान के निर्धन-निर्बल वर्ग से कोई पिछड़े का बेटा भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, वह सपना साकार होगा।’ हम उस आशा के साथ बढ़ते आए हैं। आज वह सपना साकार हुआ है। लोहिया का सपना साकार हुआ है। नरेन्द्र मोदी जी से आशा है कि आप उस भारत का निर्माण कर दीजिए। चाणक्य बनिए, नये भारत का निर्माण कीजिए। स्वर्णिम युग को लाइए, विश्व में विजय पताका फहराइए।

निशिकान्त दूबे जी का प्रस्ताव छोटा प्रस्ताव है। हमें इस से भी आगे जाना है और एक नयी रेखा बना कर एक नयी दुनिया का निर्माण करना है। इसी के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI (TIRUPATI): Sir, I thank the Chair for giving me this rare opportunity. I congratulate my colleague, hon. Member Shri Nishikant Dubey, for introducing a very futuristic and welfare oriented Bill. I wholeheartedly congratulate him.

Our Directive Principles very clearly say that it is the Fundamental Duty of the Government, either State Government or Central Government, to provide the basic needs to everyone. As my colleagues who spoke earlier have mentioned, everyone should get a dignified life. It is quite unfortunate that in the present day scenario, people get pension mostly only from the government oriented jobs. Only because of the pension that either the State Government or the Central Government is giving, there is a tremendous pressure on governmental jobs. People are crazy for the State Government jobs, including the post of a peon or any other lower grade post for the simple reason that it carries the pension. If this facility of pension is made available to private sector and unorganized sector, I am sure that this will also reduce the pressure on demand for government jobs.

We all know that these days, price of every commodity is going up and living with small money is extremely difficult. Secondly, the joint-family system, which was very popular and effective in India, is slowly disintegrating. Children are not taking care of their parents. Therefore, it is high time that, as conceived by Shri Nishikant Dubey, we introduce a Bill to take care of the minimum pension for all the pensioners. The scope of this Bill may also be extended to cover the whole of unorganized sector as well. It gives me pleasure to mention here in this hon. House that earlier I worked as the Labour Commissioner, Government of Tamil Nadu. Just as the Kerala Government is a model for agricultural labourers and marginal farmers in providing pension, the Tamil Nadu Government is also having the welfare boards for most of the unorganised sectors, which is ensuring minimum pension. But what the Governments are giving is a very paltry amount of Rs. 1,000 or Rs. 2,000. Further, in the State Governments also extremely small



amount is being given to the pensioners above 60 years, and they are not able to make both ends meet.

Very often, we think that the Governments are giving various schemes or doles, but when we visit the villages, it is extremely pathetic to hear some of these women or old men saying that they are not getting even a single penny as pension. If this could cover the unorganised sectors like the construction workers, artisans, goldsmiths, etc. -- and there are as many as 30 unorganised sectors -- and if they are also made eligible for this by enlarging the scope of this Bill, then it will enable most of these people to live with dignity.

It is a very common phenomenon that parents wish for male children, but, unfortunately, they are also not looking after their parents so well. Hence, it is high time that we take care of people in the unorganised sectors. More particularly, the Government should evolve a system whereby the agricultural labourers are also covered under this scheme.

As my earlier speakers had mentioned that 80 per cent of the people in the country own less than 10 per cent of the assets of the country whereas 10 per cent of the people own more than 80 per cent of the income. In order to set this right, the Government may take adequate steps to cover these unfortunate people, particularly, the agricultural labourers. Normally, after 50 years it is extremely difficult for them to carry on with the agricultural labour work as it is a very tiresome job. As a result, if we compare the life expectancy between people in the villages and the towns, then we find that the life expectancy in the towns is increasing decade by decade whereas the life expectancy in the villages is coming down. It is happening because of the simple reason that they are not able to have nutritious meals, and they are not able to meet their minimum needs. Therefore, the Government would be very considerate to ensure that every eligible individual -- that is, who is not able to have the livelihood -- is covered by one form or the other, so that they could live with dignity, and live as independent citizens. The parents also do not want to extend their arm in front of their children and ask for

help. This can be seen in the villages as most of us have come from villages. They may be very poor, but at the same time ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Velagapalli, it would be better if you conclude now.

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI : Right, Sir. So, in order to reduce pressure on the Government jobs, the private sector as well as the unorganized sectors should also be covered, which are not being looked after so well as also the agricultural labourers, etc. should also be covered under this scheme.

One more point that I would like to mention here in the hon. House is that ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Velagapalli, please conclude now.

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI : Right, Sir. Just as other schemes are being covered, at the time of the death also they should be dealt with dignity. Therefore, a lump sum amount should also be given under this scheme.

I wholeheartedly thank the Chairman for giving me this great opportunity. I once again congratulate the Member for conceiving such a Bill.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति महोदय, आपने मुझे श्री निशिकांत दुबे द्वारा राष्ट्रीय न्यूनतम पेंशन (गारंटी) विधेयक, 2014, जो गैर सरकारी विधेयक के रूप में प्रस्तुत हुआ है, उसके बारे में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं मानता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : मेघवाल साहब, आपका भाषण अगली बार के लिए जारी रहे।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: The House stands adjourned to meet again on Wednesday, the 30th of July, 2014 at 11.00 a.m.

18.00 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, July 30, 2014/Shravana 8, 1936 (Saka).

